लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र / Seventh Session]

Chamber Fumigated 18|X|23

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 36, बुधवार, 9 अप्रेल, 1969/19 चैत्र 1891 (शक)

No. 36, Wednesday, April, 9, 1969/Chaitra 19, 1891 (Saka)

आरोप लगाने की प्रक्रिया के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा	Announcement By the Speaker Re Procedure About Making Allegations	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या विषय	**Subject**	**पृष्ठ/Pages**
S.Q. Nos.		
961 भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films	2-6
962 भारतीय माल का नेपाल से हो कर अन्य देशों को निर्यात	Diversion of export of Indian goods through Nepal	6-10
965 लौह अयस्क के निर्यात में कमी	Decrease in the Export of iron ore	10-13
967 रेशम उद्योग का विकास	Development of silk Industry	13-15
968 सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वस्थ्य व्यक्तियों के लिये सैनिक प्रशिक्षण	Military training for able-bodied persons in border areas	15-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या		
S.Q. Nos.		
963 गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें	Closed Textile mills in Gujarat	16
964 खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य का पुनर्विलोकन	Review of working of MMTC	17
966 आस्ट्रेलिया से ऊन का आयात	Import of wool from Australia	17-18
969 मारिशस को आर्थिक विकास के लिए सहायता	Assistance to Mauritius for Economic development	18-19
970 नागा समस्या	Naga Problem	19-20
971 दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर का पाकिस्तान भाग जाना	Delhi Corporation's Engineer's flight in Pakistan	20
972 किसी क्षेत्र के पिछड़ा क्षेत्र निश्चित करने का मानदण्ड	Criteria for determining Backwardness of any Region	20

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात को द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
973 पाकिस्तान के बखतर बन्द-डिविजन	Armoured brigades with Pakistan	21
974 तीर्थ यात्रियों को भारत तथा पाकिस्तान जाने की अनुमति	Permission to pilgrims to visit India and Pakistan	21
975 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद	Textile Export Promotion Council	22
976 कपड़ा मिलों को नियन्त्रण में लेना	Taking over of textile mills	22-23
977 अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with African Countries	23
978 चौथी योजना के अन्तर्गत निर्यात	Exports under Fourth Plan	23-24
979 खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं का आयात	Import of Non-ferrous Metals by M. M. T. C.	24
980 चौथा पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार करने में विलम्ब	Delay in Submission of Fourth Five Year Plan	24-25
981 प्रतिरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया	Procedure for making decisions on vital Defence Matters	25
982 व्यापार कार्यों में विदेशी सहयोग	Foreign collaboration in Trading Activities	25
983 डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई	Distiller's trading corporation Bombay	25-26
984 एक्सपो-70' प्रदर्शनी	Expo-70	26-27
985 फ्रांस के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with France	27-28
986 अखरोट का निर्यात	Export of Walnuts	28
987 निर्माताओं को कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allotment of Quota of Raw Films to Producers	29
988 चौथी योजना के लिए वाणिज्यिक गाड़ियों का लक्ष्य	Target of Commercial Vehicles for the Fourth Plan	29
989 भारत, बुलगारिया तथा ट्यूनीशिया के बीच त्रिपक्षीय व्यवस्था	Trilateral Arrangement between India, Bulgaria and Tunisia	29-30
990 प्रधान मन्त्री की लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा के समय प्रकाशित की गई सचित्र पुस्तिका	Illustrated Brochure issued at the time of P. M's Latin American Visit	30
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
5723 वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन	Reports of the Ministry of External Affairs	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5724 कोयम्बटूर में कपड़ा मिल	Textile Mills in Coimbatore	31
5725 भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा का निर्धारण	Demarcation of Indo-East Pak Boundaries	31-32
5726 वैदेशिक प्रचार विभाग का सूचना प्रसारण मन्त्रालय को हस्तान्तरण किया जाना	Transfer of External Publicity wing to the Ministry of Information and Broadcasting	32
5727 न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	New Victoria Mills, Kanpur	32-33
5728 किसी क्षेत्र विशेष को 'निर्धारित क्षेत्र' घोषित करने की शर्त	Conditions for declaring a particular area as specified area	33
5729 केन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट में उप-महाप्रबन्धक के पदों का बनाया जाना	Creation of posts of Deputy General Managers in Canteen Stores Department	33
5730 कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इन्डिया)	Canteen Stores Department (India)	34
5731 कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट द्वारा अर्जित लाभ	Profits made by Canteen Stores Deptt.	34-35
5732 विदेशी भाषा के स्कूल के अध्यापक कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति	Upgrading of the posts of Tutorial Staff in the School of Foreign Languages	35-36
5733 इन्डिया हाउस, लन्दन के स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारी	Locally Recruitment Employees of India House, London	36
5734 आयुध कारखानों में ए० एम० आई० ई० अर्हता प्राप्त व्यक्ति	A. M. I. E. qualified persons in ordnance factories	36-37
5736 भारतीय माल का पुनः निर्यात	Re-export of Indian goods	36-38
5737 इन्जीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	38-39
5738 घड़ियों का निर्यात	Export of watches	39
5739 भारत द्वारा अफ्रीकी एशियाई देशों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of industries in Afro-Asian countries by India	39-40
5740 ट्रकों की निर्यात	Export of Trucks	40
5741 कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills	41
5742 वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry of Foreign Trade and Supply	41-42
5743 राजस्थान परमाणु बिजलीघर के लिए जिरकोनियम मिश्रित धातु	Zirconium Alloys for Rajasthan Atomic Power Plant	42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5744 भारत-नेपाल करार के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार	Property Rights under Indo-Nepal Agreement	42-43
5745 श्रीमती बागची का पाकिस्तान से लौटना	Return of Shrimati Bagchi from Pakistan	43
5746 वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में हिन्दी का पढ़ाया जाना	Teaching of Hindi in the Ministry of External Affairs	43-44
5747 प्रधान मन्त्री की विदेश यात्राओं में साथ जाने वाले व्यक्ति	Persons Accompanying P. M. During Foreign Tours	44
5748 अशोक होटल	Ashoka Hotel	44
5749 निशान ब्रेक शूज	Nishan Brake Shoes	44-45
5750 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीय	Indians acquiring foreign citizenship	45
5751 राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा अनुमोदित योजनाएं	Centrally approved sehemes for states	45
5752 यादव रेजीमेंट बनाना	Raising of a Yadav Regiment	45-46
5753 उत्पादन कार्य में असैनिक कारखानों का योगदान	Contribution of Civil Factories in Production Work	46
5754 काश्मीर अवामी स्ट्रगिल कमेटी के प्रधान मौलवी फरुक को पारपत्र	Passport for Maulvi Farouq, President of Kashmir Awami Struggle Committee	46
5756 भारतीय दूतावासों में विदेशी राज चिह्न	Foreign State Emblems in Indian Embassies	46-47
5757 गणतन्त्र दिवस परेड, 1969	Republic day parade, 1969	47
5758 वायु सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan for Modernisation of Air Force	47
5759 स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने की अनुमति	Permission to Freedom Fighters in East Pakistan to come to India	47-48
5760 राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by STC	48
5761 रूस से आयात	Imports from USSR	48-49
5762 प्रधान मंत्री की दक्षिण अमरीकी देशों की यात्रा के दौरान अनुवाद की व्यवस्था	Translation arrangements during P. M's South American Tour	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5763 क्यूबा और उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार	Trade with Cuba and North Vietnam	49
5764 विदेशों में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की स्थिति	Staff position of Indian Embassie abroad	49
5766 पोलैंड को रेल के माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Railway wagon to Poland	50
5767 विदेशी पादरियों का सैनिक अस्पतालों में जाना	Foreign Bishops visiting Military Hospitals	50
5768 कोसीपुर गन-शैल फैक्टरी के काम के घन्टे	Working hours to Gun Shell Factory Cossipore	50-51
5769 कोसीपुर में गन शैल फैक्टरी	Gun shell Factory, Cossipore	51
5770 इच्चापुर में रायफल बनाने का कारखाना	Rifle Factory at Ichapore	51-52
5771 कन्नानूर सहकारी कताई मिल्स	Cannanore cooperative spinning Mills	52
5772 भारत तथा अमरीका के बीच मंत्री-स्तर पर वार्ता	Ministerial talks between India and America	52-53
5773 बम्बई में मजगांव गोदी पर जहाज निर्माण का कार्य	Ship Building at Mazagaon Docks	53
5774 भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian Navy	53
5775 फ्रांस के सेनाध्यक्ष की भारत यात्रा	Visit of Chief of French Army Staff	54
5776 इण्डोनेशिया की पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता	Assistance for Indonesian Five-Year Plan	54
5778 ताशकन्द समझौते से सम्बद्ध गोपनीय करार	Secret pact Attached with Tashkent Agreement	55
5779 गुजरात में प्रतिरक्षा-आधारित उद्योग	Defence based Industry in Gujarat	55
5780 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	55-56
5781 संयुक्त अरब गणराज्य-इसरायल के बीच नई झड़पें	Breaking out of fresh hostiles between UAR and Israel	56
5782 अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	56
5783 परमाणु शक्ति का बड़े पैमाने पर उत्पादन	Large scale production of Nuclear Power	56-57
5784 हिंडन हवाई अड्डे के असैनिक कर्मचारी	Civilian employees of Hindon Airport	57
5785 पालम हवाई अड्डा क्षेत्र में मोर लेन के	Bad condition of Quarters in More-	

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
	क्वार्टरों की बुरी दशा lane at Palam Airport	57-58
5786	पंजाब में हलवाड़ा हवाई अड्डे के एम० टी० ड्राइवर M. T. Drivers of Halwara Airport in Punjab	58
5787	त्रिवेन्द्रम में रबड़, काजू, काली मिर्च आदि के लिए प्रादेशिक कार्यालय की स्थापना Setting up of Regional Office in Trivandrum for Rubber, Cashew-nut Pepper etc.	58
5788	भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बेकार पड़ी भूमि में खेती करने की योजना Scheme for Cultivation of Waste Lands by Ex-Servicemen	50-59
5789	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन Reorganisation of tne Ministry of External Affairs	59
5790	संयुक्त अरब गणराज्य को साड़ियों और आभूषणों का निर्यात Export of sarees and Jewellery to UAR	59-60
5791	चौथी योजना में खोले जाने वाले नये सैनिक स्कूल New Sainik schools to be opened during the Fourth Plan	60
5792	बख्तर बन्द रेजिमेंटों के पास उपकरणों का आयात Aromured Regiments	60
5793	अहमदाबाद स्थित नई कपड़ा मिलें New Textile Mills, Ahemdabad	60-61
5794	भारत तथा पाकिस्तान के बीच पूर्वी नदी परियोजना के बारे में सचिवीय स्तर पर सम्मेलन Indo Pak Secretaries level conference on Eastern River Project	61
5795	मार्च, 1969 में चीन में प्रशिक्षित भूमिगत नागाओं के साथ मुठभेड़ Clash with Chinese trained under Ground Nagas in March, 1969	61-62
5796	भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच बातचीत Indo West German Talks	62
5797	नेपाल में संयुक्त औद्योगिक उद्यम Joint industrial ventures in Nepal	62-63
5798	सागर छावनी (मध्य प्रदेश) में भूमि के पट्टे रद्द हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए परिवार Families rendered unemployed due to cancellation of leases of their land in Sagar Cantonment (M. P.)	63
5799	रेल की पटरियों तथा माल डिब्बों का निर्यात Export of Railway Wagon and Track	63
5800	चलचित्र निर्माताओं द्वारा भारतीय गीतों Protest by film producers on	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
के रिकार्डों की मलेशिया में चोरी का विरोध	piracy of Indian song records in Malaysia	64
5801 साझा बाजार के देशों को पटसन का निर्यात	Export of jute to common market countries	64
5802 मैसर्स लीवर ब्रादर्स इंडिया लिमिटेड	M/s Lever Brothers India Ltd.	64-65
5803 गाय, सूअर आदि पशुओं की चर्बी का आयात	Import of Tallow	65
5804 मेसर्स मोडेला वूलन मिल्स को ऊन का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस	Import licences for import of wool to M/s Modella Woollen Mills	65-66
5805 इलायची बोर्ड केरल के चेयरमैन	Chairman Cardamon Board, Kerala	66
5806 कपड़ा मिलों द्वारा की गई अनियमितताएं	Irregularities committed by the Textile Mills	66-67
5807 ऊन के आयात के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमति पत्र	Permit for Import of wool issued to Himachal Pradesh Government	67-68
5808 यूरोपीय साझा बाजार द्वारा प्रशुल्क में छूट	Tariff Concessions by European common market	68
5809 राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials by State Trading Corporation	69
5810 संचार और दूरदर्शन के लिए राष्ट्रीय उपग्रह व्यवस्था	National Satellite for communications and Television system	69
5811 नेपाल से संश्लिष्ट रेशे और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का आयात	Import of Synthetic Fibre and Stainless Steel Utensils from Nepal	69-70
5812 तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	70
5813 यूरोपीय साझा बाजार के देशों को पटसन के माल का निर्यात	Export of jute goods to European common Market countries	70 71
5814 एवरेस्ट पर्वत अभियान	Mount Everest Expeditions	71
5815 बलासोर (उड़ीसा) के प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्टल डिपार्टमेंन्ट के एक भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच	Enquiry into charges of corruption against a former senior officer of proof and Experimental Department at Balasore (Orissa)	72
5816 आंध्र प्रदेश में अणु शक्ति स्टेशन की स्थापना	Setting up of Atomic Power Station in Andhra Pradesh	72
5817 नागालैण्ड में सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रबन्ध	Arrangements for bringing normalcy in Nagaland	73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
5818 बिना रसीदी टिकट के प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को वेतन देना	Payment of salary to Defence services Officers without receipt stamps	73
5819 कलकत्ता का विकास	Development of Calcutta	73-74
5820 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अनुसूचित जातियों के राजपत्रित अधिकारी	Scheduled Caste Gazetted Officers in the Directorate of National Sample Survey	74
5821 फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) छावनी बोर्ड के सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by sweepers of Faizabad Cantonment Board	74-75
5822 प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए छुट्टी उदार करना	Liberalisation of leave for Industrial Employees in Defence Establishments	75
5823 हिसार (हरियाणा) में अश्व नस्ल सुधार शाला	Equine breeding stud at Hissar (Haryana)	75-76
5824 चिकित्सा आदि के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति	Persons going abroad for treatment	76
5825 पश्चिम जर्मनी से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade delegation from West Germany	76-77
5826 सऊदी अरब में हज यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार	Ill-treatment of Haj Pilgrims in Saudi Arabia	77
5827 जनरल मौवू अंगामी की गिरफ्तारी	Arrest of General Move Angami	77-78
5828 अंतरिक्ष सम्बन्धी दायित्व सम्मेलन	Outer space liability convention	78
5829 भारत और फ्रांस के संयुक्त उद्यम	Joint ventures of India and France	78-79
5830 राजकीय व्यापार निगम द्वारा रूई का आयात	Import of cotton through state Trading Corporation	79
5832 तम्बाकू का निर्यात	Export of Tobacco	79-80
5833 भारतीय धर्म गुरु को कीनिया छोड़ कर जाने का नोटिस	Notice served on Indian Religious leader in Kenya	80
5834 ऊन का निर्यात	Export of Wool	80-81
5835 आयात निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import/Export licences	81-82
5836 भारत की व्यापार प्रणाली	India's Pattern of trade	82
5837 नेपाल से ट्रांजिस्टर रेडियों सेटों के पुर्जों का आयात	Import of transistor radio parts from Nepal	82-83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या U S. Q. Nos.		
5838 सोनाडांगा के निकट भारतीय राज्य क्षेत्र के एक भाग पर पाकिस्तान का दावा	Pakistan's claim on strip of territory near Sonadanga	83
5839 सिंध, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी	Refugees from Sind Pakistan	83-84
5840 दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी चीन की समस्याओं के सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया के साथ बातचीत	Talks with Australia on problem of Communist China in South East Asia	84
5841 चाय उगाने वाले राज्यों का टकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic survey of Tea growirng states	85
5842 दलाई लामा के बारे में चीन का विरोध पत्र	Chinese protest note on Dalai Lama	85
5843 बर्मा और भारत का व्यापार अन्तर	Balance of Trade with Burma	85-86
5844 चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति	Borooah Committee on Tea Industry	86
5845 समुद्र के पानी को नमक रहित बनाना	Desalination of Sea Water	86-87
5846 उड़ीसा के छोटे पत्तनों से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Minor Ports of Orissa	87-88
5847 आयात निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import/Export Licences	88-89
5848 विदेशी भाषा स्कूल में दुभाषिया पाठ्यक्रम	Interpretership course at School of foreign languages	89-90
5849 तकनीकी उपकरणों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारी	Officers sent abroad for technical equipment training	90
5850 अंगुईता के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising Anguilla issue in United Nations	90-91
5851 आयोजन का मार्क्सवादी तरीका	Marxist method of planning	91
5852 केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र पश्चिम बंगाल	Central Sericulture Research Station, West Bengal	91
5853 भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उड़ान	Pakistan forces over Flying India	91-92
5854 प्रतिरक्षा व्यय में कमी	Savings in Defence Expenditure	92
5855 खुली दाढ़ी रखने के कारण नौसेना के कर्मचारियों को दण्ड देना	Punishment to Navy Personnel for keeping their beards untied	92-93
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	93-98
बन्दूक तथा गोला कारखाना, काशीपुर कलकत्ता के कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने का समाचार	Alleged firing on the employees of Gun and Shell Factory, Cossipore, Calcutta	

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री ही० ना० मुकुर्जी	Shri H. N. Mookerjee	
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
'बसुमती' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Questions of Privilege against Editor of 'Basumati'	98
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	98-99
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-seventh Report	99
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	
तीसवां प्रतिवेदन	Thirtieth Report	100
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	100-145
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Cooperation	
श्री गाडिलिंगन गौड	Shri Gadilingana Gowd	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री बी० कृष्णामूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	
श्री द० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	
श्री बसवन्त	Shri Baswant	
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	
श्री से० ब० पाटिल	Shri S. B. Patil	
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	
श्री बिश्व नाथ राय	Shri Bishwanath Roy	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	
श्री चि० गौतम	Shri C. D. Gautam	
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prashad	
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	
श्री रमेश चन्द्र व्यास	Shri Ramesh Chandra Vyas	
8 अप्रैल, 1969 को पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गए आदेशों के बारे में	Re. Orders of the Chair on 8.4. 69	130
सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव	Motion re: Contempt of the House	145-147
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	
पाकिस्तान को रूस द्वारा शस्त्रों की सहायता	Russian arms to Pakistan	147-154
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 9 अप्रैल, 1969, 19 चैत्र, 1891 (शक)

Wednesday, April 9, 1969, Chaitra 19, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

आरोप लगाने की प्रक्रिया के बारे में अध्यक्ष की घोषणा

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER RE: PROCEDURE ABOUT MAKING ALLEGATIONS

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, Sir, before the questions are taken up I want to make a request to you. I have come to know from today's news papers that Mr. Deputy speaker has given his ruling yesterday during the heated discussions on the strike by doctors that the speeches of two of my party members ie. Shri Kanwar Lal Gupta and Shri Hukam Chand Kachwai would not be recorded for eight days. I may say that this is not an ordinary ruling. Neither there is any provision for such ruling nor Parliamentary practice allows for such a ruling. I, therefore, request you to see yesterday's proceedings, and so far as the question of putting questions is concerned, our friends should be allowed to ask questions. I would like that the ruling given by the Deputy speaker should be set aside.

Shri Rabi Ray : Mr. speaker, I support what Shri Vajpayee has said.

अध्यक्ष महोदय : मैं आज अभी लगभग 9.30 बजे प्रातः आया हूँ । मैं इस मामले को देखूंगा । यदि किसी ने उत्तेजित होकर कुछ कह दिया हो तो मैं नहीं समझता कि इसे आप सही मान लें और इसे क्रियान्वित नहीं किया जायेगा । मैं नहीं समझता कि उन्हें प्रश्न आदि करने से रोका जायेगा ।

मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि 3 अप्रैल, 1969 को कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा में श्री फखरुद्दीन अली अहमद पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने हाल में दूसरा विवाह किया है । सदस्यों से मेरे यह कहे जाने के बाबजूद भी कि वे ऐसे अशोभनीय आरोप लगाने छोड़ दें—मैंने पहली बार सदस्य को धमकाया कि मैं उसे पूरे सत्र के लिए सदन से निकाल दूंगा । दो वर्षों में मैंने सदन में ऐसा कभी नहीं कहा—इसके बावजूद भी सदस्यों से यह कहने पर भी कि वे

इस प्रकार के अशोभनीय आरोप लगाने छोड़ दें तथा इसके परिणामों की चेतावनी देने पर भी सदस्य लोग इस प्रकार के आरोप लगाते ही रहते हैं।

इसके पश्चात् श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने उसी दिन सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य में बताया कि आरोप निराधार था।

यह पहला अवसर नहीं है जब सदस्यों द्वारा आरोपों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना तथा सभापति को इन आरोपों की अग्रिम सूचना दिए बिना मन्त्रियों तथा सदस्यों पर इस सदन में व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं। इससे पूर्व ऐसे अवसर आए हैं जब 'आर्गेनाइजर' जैसे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर सूचना दी गई है। निस्सन्देह हम सब इस बात से तो सहमत हैं कि सदन में लगाए गये इस प्रकार के निराधार व्यक्तिगत आरोपों से इस महान सदन की गरिमा एवं कीर्ति कम होगी।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि मैं समाचार पत्रों की सूचनाओं पर आधारित आरोपों से सम्बन्धित किसी भी सूचना पर विचार नहीं करूँगा जब तक कि सूचना देने वाला सदस्य मुझे ठोस प्रमाण नहीं देता कि आरोपों का कोई वास्तविक आधार है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान 31 मई, 1967 को मेरे द्वारा दिए गए इस विनिर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने मंत्रियों अथवा सदस्यों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए प्रक्रिया पालन के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया था। अतः मैं पुनः सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

श्री वाजपेयी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके लिए उन्हें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। किन्तु मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी बाते ठीक नहीं हैं। कुछ साप्ताहिक पत्रिकाएँ प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार के आरोपों की पुनरावृत्ति करती रहती हैं। यदि यहां पर हमारे भाषणों तथा प्रश्नों का यही आधार हो तो इस संसार में कोई व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : बाहर के उन व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में क्या किया गया है जो यहां अपनी रक्षा नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देता।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Indian Films

+

*961. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Indian films and film songs are becoming increasingly popular in foreign countries ;

(b) whether it is a fact that only private traders have been exporting films abroad so far ;

(c) whether it is also a fact that they make good profit out of it ; and

(d) if so, whether Government now propose to undertake export of films also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :

(a) Yes, Sir.

(b) Besides the Private Traders, Indian Motion Picture Corporation Ltd., subsidiary of the S. T. C., is also exporting films to foreign countries.

(c) A reasonable profit is made when a producer/exporter sells his film to overseas countries.

(d) In view of answer to (b) this question does not arise.

Shri Prakash Vir Shastri : Has the Ministry collected any information regarding the extent of profit made out of the Indian films exported abroad and whether the profit earned is in foreign exchange and if so, the extent thereof ?

Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : The profit is on the basis of nearly 10 per cent profit which is in terms of foreign exchange.

Shri Prakash Vir Shastri : What is the actual total amount ?

Shri B. R. Bhagat : For that I require notice because the information will have to be collected.

Shri Prakash Vir Shastri : the hon. Deputy Minister has stated just now that there is a subsidiary institution of state Trading Corporation through which this is being done. But the reality is that they purchase these films at Rs, 2 to 4 lakhs and earn crores of rupees. I want to know whether Government is going to arrive at a decision to see that the foreign exchange which is being earned at present by exporting films by private traders comes to Government which carries on other trade with foreign countries through State Trading Corporation, and if not, what difficulties are being faced in this respect.

Shri B. R. Bhagat : इम्पैक सरकार कम्पनी है, क्योंकि यह राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी है । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत यह सरकारी कम्पनी है तथा जो भी आय इससे होती है वह राज्य व्यापार निगम को जाती है तथा सरकार राज्य व्यापार निगम की हिस्सेदार है इसलिए यह आय सरकार के पास जाती है ।

Shri Prakash Vir Shastri : To whom the profit goes ?

Shri B. R. Bhagat : The profit goes to the company and then to the Government.

Shri Prakash Vir Shastri : When S. T. C. has taken over other trades in its hands, why does the Government not take up this trade also in its hands as this is a trade which earns crores of rupees in terms of foreign exchange ?

Shri B. R. Bhagat : Yes, this has already been taken in hand.

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is a known faet that largest amount of black money has been invested in film industry and the largest amount of tax is evaded by this industry. Is Government aware of the fact that the film producers who have export agreements with foreign countries do not show actual amount and instead they show less amount

whereas the agreement is for more money. They same big avount and accumulate it in foreign banks and spend it for other purposes. Dothe Government propose to entrust this trade to Indian Motion Pictures export Corporation so that complaint of deposit of black money in foreign banks is removed and permission for shooting or demonstration is accorded only to those persons who can earn foreign exchange for us ; and not to others ?

Shri B. R. Bhagat : So far investment of black money in making films is concerned Ministry of Finance investigates this matter when we get such an information, and the Ministry of Information and Broadcasting looks into this matter. Regarding second thing that large amount is saved and deposited in foreign banks as the hon. member has said, the IMPEC is a subsidiary of the S. T. C. and as such this question does not arise in this case.

This is a Government Company and this can not be done here ; but so far as the question of private exporters is concerned, if they do so and we get such information, the Ministry of Finance takes adequate steps in that matter.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कुछ समय पूर्व जब मैं नैरोबी में था, तो मुझे बताया गया था कि भारतीय चल चित्रों को दक्षिण अफरीका में भेजा जाता है । दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध नहीं हैं । मैं माननीय मन्त्रो से जानना चाहता हूँ कि ये चल चित्र दक्षिण अफ्रीका किस तरह चले गये, और यदि हां, तो उनसे प्राप्त आय का क्या हुआ, तथा क्या चल चित्र व्यापारियों ने उसे अपने हिसाब में दिखाया है ।

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं हैं । मैं इसका पता लगाऊँगा कि ये दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार चली जाती हैं ।

श्री समर गुह : बंगाली चल चित्र, विशेषकर टैगोर के गीत पूर्वी पाकिस्तान में इतने अधिक प्रचलित हैं कि जब पाकिस्तानी रेडियों द्वारा टैगोर के गीतों को प्रसारित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो वहां का जनमत इतना प्रबल था कि पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तान रेडियों में रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतों को मिलाने के लिए झुकना पड़ा था । परन्तु दुर्भाग्य से पाकिस्तानी चल-चित्र वितरक पूर्वी पाकिस्तान के छवि गृहों में बंगाली चल चित्रों को दिखाने की अनुमति नहीं देते, और यदि सौभाग्य से किसी भारतीय चल चित्र को पूर्वी पाकिस्तान में दिखाया जाता है तो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत अधिक लोग उस चित्र को देखते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने भारतीय, विशेषकर बंगाली चल चित्रों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार विशेषकर पूर्वी पाकिस्तानी सरकार से आग्रह किया है जिससे इन चल चित्रों को पूर्वी पाकिस्तान में दिखाया जा सके ? दूसरे, मैंने दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी यात्रा के दौरान देखा था कि साबाह, मलेयशिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, कम्बोदिया, दक्षिण वियतनाम के चम्बा क्षेत्र तथा लाओस, में जितने अधिक भारतीय चल चित्र प्रचलित हैं उतने ही अधिक भारतीय गीत भी प्रचलित हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों को भारतीय चल चित्र तथा भारतीय गीतों के रिकार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में उनके वितरण के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह तो सत्य है कि कुछ बंगाली चल-चित्र तो बहुत श्रेष्ठ हैं तथा उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय चल चित्र समारोहों में पुरस्कार भी जीते हैं । पूर्वी पाकिस्तान में इन की मांग बहुत है । परन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि पाकिस्तान के साथ व्यापारिक

अथवा वाणिज्यिक गति विधियां सामान्य बनाने के हमारे सारे प्रयत्नों को विफल कर दिया गया है और यह स्थिति बंगला चल चित्रों की पूर्वी पाकिस्तान के दर्शकों के लिए निर्यात करने पर भी लागू होती है। भारतीय चलचित्रों के दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में यह तथ्य है कि हमारे पड़ौसी देशों में भारतीय चल चित्रों तथा गीतों की मांग बहुत अधिक है। इस दिशा में जो कार्यवाही की गई हैं उनमें एक यह है कि सरकारी क्षेत्र में एक निगम की स्थापना की गई है जो उन क्षेत्रों में भारतीय चलचित्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी गति विधियों को और तीव्र करने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री समर गुह : क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान सरकार के साथ वह बंगला फिल्मों को दिखाने की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए पुनः प्रयत्न करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया की सम्भावना नहीं है।

श्री स्वैल : आप ऐसा क्यों कहते हैं ? आपको यह कैसे मालूम है ?

श्री ब० रा० भगत : यह हमारा अनुभव है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि भारतीय चलचित्रों के निर्यात के लिए उनका चयन करते समय क्या वे हमारी सभ्यता की झांकी के चित्रों को अथवा हमारे आर्थिक रूप को ध्यान में रखते है ? क्या माननीय मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि अनेक चलचित्र इस दृष्टि से बनाए जाते हैं, जो हमारी सभ्यता की झांकी प्रस्तुत नहीं करते ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो गुण दोष निरीक्षक-बोर्ड का कार्य है जब वह इन चित्रों को प्रमाणित है। इन चित्रों के निर्यात का दायित्व सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय पर है तथा वे ही इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं कि क्या हमारे चल चित्र हमारी सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करते हैं तथा क्या ये दर्शनीय हैं। उनके निर्यात के प्रश्न के सम्बन्ध में हम उन देशों तथा क्षेत्रों की मांग तथा इनकी बिक्री की क्षमता का अवश्य ही विचार करते हैं। मैं समझता हूँ कि यहां अश्लील चित्र नहीं बनाए जाते क्योंकि गुण दोष-निरीक्षक बोर्ड उन्हें अनुमति नहीं देता। यदि फिर भी वे ऐसी होती हैं तो भी हम उन्हें प्रोत्साहन नहीं देते।

डा० रानेन सेन : कुछ भारतीय चलचित्रों, कम से कम उनके कुछ भागों को योरूप में बनाया जाता है जिससे हमारी विदेशी मुद्रा बहुत व्यय हो जाती है। प्रश्नोत्तर के पश्चात् मुझे अभी यह बात भी स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या राज्य व्यापार निगम इन फिल्मों का निर्यात किसी अभिकरण के माध्यम से करता है अथवा सीधे। यदि यह किसी अभिकरण के माध्यम से करता है तो मैं जानना चाहता हूं कि फिल्म जैसी इतनी महत्वपूर्ण वस्तु का क्यों सीधा निर्यात नहीं किया जाता, जब कि अन्य क्षेत्रों में मानव केश जैसी वस्तुओं, जो तीर्थस्थानों के सम्मुख काटे जाते हैं, का विदेशी बाजारों में सीधे निर्यात किया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : चलचित्रों की बाहर की शूटिंग के सम्बन्ध में उन कुछ मामलों में बाहर शूटिंग करने की अनुमति दी जाती है जब कि उनके निर्माता यह गारंटी दें कि इनकी शूटिंग

पर विदेश में होने वाले खर्चे से अधिक विदेशी मुद्रा वहां से आएगी। रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय इस बात की बहुत सावधानी से जांच करते हैं।

जहां तक राज्य व्यापार निगम द्वारा अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति का सम्बन्ध है, राज्य व्यापार निगम ने अपना एक अलग निगम, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम स्थापित कर रखा है तथा इसके माध्यम से वह सीधे बिक्री को बढ़ाता हैं।

डा० रानेन सेन : क्या ये निगम सरकारी हैं अथवा गैर-सरकारी ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री मधु लिमये।

भारतीय माल का नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात

962. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय माल के नेपाल से होकर अन्य देशों को निर्यात के विषय पर प्रधानमंत्री को एक संसद-सदस्य द्वारा भेजे गये ज्ञापन की एक प्रति उनके मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) क्या नेपाल से होकर अन्य देशों को किये जाने वाले इस प्रकार के निर्यात के बारे में बैंकों से कोई पूछताछ की गयी है ;

(ग) क्या इस प्रकार के निर्यात के परिणामस्वरूप होने वाली आय की हानि के बारे में स्वतन्त्र रूप से कोई जांच कराई गई है ;

(घ) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) इस जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। हम इसके सम्भाव्य उपचारों के बारे में सम्बद्ध प्राधिकारियों से भी परामर्श कर रहे हैं। एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, on the 3rd January, 1969 I wrote a letter to the Prime Minister and also gave notice of this question in January. Even then the hon. Minister says that the investigation has not yet been completed. He says that a statement will be laid on the table of the House in due course. I do not know when this will be laid on the table. I submit that only time will be wasted in this no information will be available. I request you that my question may be taken up next time according to the convenience of the hon. Minister. At present I do not want to put any supplementary question on it.

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : It is true that he had written about it but it is a very serious and sensitive matter. Concerned authorities such as Reserve Bank has given some information and we are scrutinising it very carefully. We are also having talks with the Government of Nepal in this connection and we are considering this unhealthy trends from all aspects seriously. Therefore, the hon. Member should not

think that we do not want to give any reply but on the other hand I want to assure him that we are investigating the matter and we also want help from the hon. Member in this matter.

Shri Madhu Limaye : I have already said that this question may again be taken up before the adjournment of this House.

अध्यक्ष महोदय : क्या संसद के स्थगित होने से पूर्व ऐसा करना सम्भव होगा अथवा इसमें कुछ कठिनाई है ।

श्री ब० रा० भगत : इनमें से कुछ मामलों के बारे में हमने नेपाल सरकार को स्मरण पत्र भेजा है, इसपर उनकी प्रतिक्रिया का पता लगाना होगा और फिर उनसे बातचीत भी करनी होगी । अत: मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि यह बात हमारे नियंत्रण में नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व यह नहीं आ सकता । अतः आप अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Nothing useful will come out, what answer he will give ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नाजुक की स्थिति व्याख्या कर दी है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the hon. Minister is aware that silver, spices, Grey cloth, mica, jute goods and several other kind of goods are finding their way to other countries through Nepal and Nepal is earning the foreign exchange therefrom ? We have a rupee payment trade with Nepal and therefore we get payment in rupees and not in foreign exchange for all such commodities. May I know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to this thing and whether the banks have sent any bills or they have negotiated any bills in this connection. I would like to know whether attention of the Government has been drawn towards this attitude of the Banks ?

Shri B. R. Bhagat: As the hon. Member is aware such a trade is not illegal under the present agreement which we have had with Nepal. It can be undesirable and we can be put into loss but it is not illegal. We have also seen the news towards which the hon. Member has drawn our attention. We are investigating into these matters in detail and we are also trying to check them.

Shri Madhu Limaye : What is happening to-day is that Nepal is selling the goods worth one lakh of rupees for 80 thousand rupees to other countries and is earning the foreign exchange, whereas if such goods are exported by an Indian trader to other countries India will earn foreign exchange. Nepali traders earn minimum of 28 thousands rupees as profit under the incentive licences system even if they sell the goods for 80 thousand rupees. As a result thereof our export earnings will continue to decline. I am not against of your helping the Nepal. You may help them so far as generation of electricity is concerned according to the agreement. I would like to know whether the hon. Minister will take steps to check the leakage of foreign exchange and also to deny opportunities to the notorious people from accumulating money ?

Shri B. R. Bhagat : In this matter both the countries are put to great loss and dishonest traders are taking advantage. I visited Nepal in November to negotiate this agreement and during that visit the Nepal Government agreed to take steps for preventing such things. They also agreed that they will not give more foreign exchange for stainless steel, synthetic fabrics etc. than what they have given last year for the said things. They have agreed in

principle but we will have to take some steps to check these things after going into detail in each case separately.

Shri D. N. Tiwari : Many goods are finding their way out to other countries through Nepal and several goods come to India through Nepal illegally in addition to the goods which are being transported either way legally. I want to know the steps being taken by Government to check their illegal trade which creates many complications in addition to the loss of foreign exchange.

Shri B. R. Bhagat : The goods of the third country finding their way to India through Nepal are declared illegal. Land custom officers have been appointed to the extent possible to check such things. Nepal Government have also been asked to do the same. The border is one thousand mile long. On the authorised routes we have check posts. But on seeing the number of cases detected it appears that their number is on the increase and we have not been fully successful. Even then we are trying to check such cases.

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार नेपाल सरकार को व्यापार के कुछ मामलों में दी गई उदारता का लाभ उठाने की क्यों अनुमति देती है। माननीय मंत्री ने अपनी नवम्बर की नेपाल यात्रा का उल्लेख किया और बताया कि किस प्रकार नेपाल सरकार उनके कुछ प्रस्तावों पर सहमत हुई थी। अपनी नेपाल यात्रा के पश्चात वह जो कुछ कर रहे हैं वह हमारे आपसी हितों के विरुद्ध है। हमें चांदी की तस्करी पर बहुत घाटा हुआ है जो देश से बाहर गई है। उनकी इस बातचीत के पश्चात सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया है और इस अधिनियम के अन्तर्गत चांदी से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि नेपाल को चांदी की तस्करी होगी जिसको हम रोकना चाहते हैं। और वहाँ लोगों को इसके लिये प्रोत्साहन मिलेगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि नेपाल को भेजे गये स्मरण पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और उसमें उन्होंने क्या बातें उठाई है और क्या उन्होंने इसमें चांदी के निर्यात का मामला उठाया है ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार तक पहुँचने से पूर्व स्मरण पत्र की मुख्य बातों के बारे में बताना उचित नहीं है। परन्तु अस्वस्थ प्रवृतियां और भारत और नेपाल के बीच व्यापार की समस्याओं के बारे में सभा में अथवा अन्य स्थानों पर जो बातें उठाई गई हैं वह इस स्मरण पत्र में दर्ज हैं। चांदी के निर्यात पर रोक लगी हुई है। पड़ोसी देशों से व्यवहार करते समय हमें सावधानी से काम लेना है। यदि वे किसी औद्योगिक नीति का पालन करते हैं तो हम उस पर आपत्ति नहीं कर सकते।

श्री वेदव्रत बरुआ : केवल भारत और नेपाल के सम्बन्धों पर ही विचार नहीं किया जाता है। मुख्य बात यह है। ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभी गेहूँ और पटसन से भरे ट्रके नेपाल ले जाये जाते हैं और वहाँ से वे चीजें चीन चली जाती हैं और चीन में बनी वस्तुए नेपाल की मारफत दार्जिलिंग पूर्वो क्षेत्र और समूचे आसाम में आकर बिकती हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार नेपाल की मारफत चीन के साथ इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री ब० रा० भगत : हम चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं देते।

श्री स्वैल : मैं नेपाल तथा अन्य किसी भी पड़ोसी देश के साथ सम्बन्ध सुधारने का पूरा समर्थन करता हूँ। वर्तमान मंत्री ने भारत-नेपाल व्यापार तथा 1960 की 'ट्रांजिट' करार का

पुर्निवलोकन करने के लिये पिछले वर्ष काठमण्डू की यात्रा की थी और उत्पन्न होने वाली कुछ अनियमितताओं को रोकने के लिए उनका सहयोग मांगा था। उस समय वह इस बात पर सहमत हो गये थे कि तीसरे देश से प्राप्त कच्चे माल से नेपाल में बनी वस्तुओं विशेषकर स्टेनलैस स्टील और सिंथेटिक फैबरिक का आयात 1967-68 जितना ही होगा। क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि नेपाल कपड़ा तथा स्टेनलेस स्टील निर्माता संस्था ने सरकार के साथ आन्दोलन कर रखा है कि इस करार को समाप्त किया जाये ? क्या यह भी सच है कि अधिकाँश आन्दोलन कर्ता भारतीय राष्ट्रक हैं और यदि हाँ तो क्या माननीय मंत्री उनकी इस कार्यवाही को राष्ट्र-विरोधी समझते हैं और क्या उनको नेपाल से वापस बुलाने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि नेपाल के वाणिज्यिक संघ ने इस करार की निन्दा की है और कहा है कि यह करार नेपाल के उद्योग के हित में नहीं है और नेपाल सरकार की कुछ आलोचना भी की जा रही है।

श्री स्वैल : उन्होंने प्रश्न के महत्वपूर्ण अंश का उत्तर नहीं दिया कि क्या इस आन्दोलन के पीछे भारतीय राष्ट्रकों का हाथ है। क्या वह कुछ भारतीय राष्ट्रकों की इस कार्यवाही को राष्ट्र-विरोधी समझते हैं और क्या वह उनको वापस बुलायेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे नेपाल में इस प्रकार की गतिविधियों में भाग न लें।

श्री ब० रा० भगत : इस समय उनको नेपाल से कोई शक्ति नहीं बुला सकती क्योंकि कोई भी नेपाल में निर्बाध रूप से जा सकता है। यह सम्भव है कि इस व्यापार में लगे भारतीय इस आन्दोलन के पीछे हों परन्तु वे इसमें देश-देश नहीं हैं। कोई भी गैर-नेपाली आन्दोलन नहीं कर सकता। अर्न्तबाधा

श्री स्वैल : यदि हम अपने राष्ट्रकों पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हम नेपालियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे।

Shri Bhola Nath Master : About two lakh bales of jute are produced in Nepal whereas our check posts check about 8 lakh bales of jute. How is it possible. May I know whether our government will write to Nepal Government in this connection ? I would also like to know whether some steps will be taken to check the gifts amounting to one thousand of rupees which are received in India from Nepal in which mostly Chinese fountain pens are sent ?

Shri B.R. Bhagat : We have written to the Nepal Government so much jute cannot be sent under the export contract. We are trying to check it. We can not do anything so far as gift parcels are concerned because it is under the control of Nepal Government.

Shri Bhogendra Jha : We have joint boundary with Nepal. Our people have just like family relations with the people of Nepal. May I know whether Government do not consider raising of such issues here will not help in strengthening our relations with that country ?

American, Russian and Chinese goods are cheaper in Nepal because of less octroi and that is why they are being smuggled to India. Here in our country octroi on these goods is little more as compared to Nepal. I would like to know whether our Government will try to find out ways and means to check the smuggling in consultation with the Government of Nepal so that misunderstanding may not arise between the two countries ?

Shri B. R. Bhagat : Yes Sir. That is why I have just stated that we all should consider very patiently and carefully.

Shri Sita Ram Kesari : I want to know whether you have any right to have the export of goods from Nepal ? If not, whether you have the right to check the smuggling of goods to Nepal and whether some concrete steps will be taken to check the smuggling ?

Shri B. R. Bhagat : Neither Nepal nor ourselves have the right to put hurdles in the way of each others' export of goods to third country. That is why trade transit treaty was made and it was decided to have free trade between the both countries and it was also decided that if any checks are to be provided in the interest of the economic policies of both the countries then those checks will be introduced after consultation between both the Governments. So far as the question of smuggling from here is concerned it is our duty to check it and we are trying to check it.

लोह अयस्क के निर्यात में कमी

4965. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में लोह-अयस्क के निर्यात में बहुत कमी हुई है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ? और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं। वास्तव में सन् 1968 में भारत से लौह-अयस्क का निर्यात बढ़कर लगभग 156.5 लाख टन हो गया जब कि विगत वर्ष में 134.9 लाख टन माल का निर्यात हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगामी वर्षों में लोह अयस्क के निर्यात को और भी बढ़ाने के लिये कठोर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Sita Ram Kesari : The chairman of the National Mineral Development Corporation Shri Bhagwan has said that we are suffering heavy loss in the export of iron ore. He has also said that there will be no loss if duty worth two crores of rupees which have already been imposed is reduced. I want to know whether the hon. Minister is aware of this fact or not ? We are exporting iron ore to the tune of sixteen million tonnes and out of this six million tonnes are being sent to Japan from Goa. A news item has appeared in the papers that Japan has decided to have an agreement with Russia under which she will import iron ore from Russia and it will have adverse effects on our export of iron ore to Japan. I want to know whether the hon. Minister is aware of all these happenings and if he is aware what steps he propose to take in this connection ?

The Minister of Foreign Trade and Suply (Shri B. R. Bhagat) : Yes Sir, We are aware of this fact. We are very careful. It is true that we are exporting more quantity of iron ore but its unit value has become less and as a result thereof there is a possibility of loss. There is another bottleneck in way of earning foreign exchange that is of parts. The part charges are increasing. There is an export duty also. All these things are before us and we are constantly considering them.

Shri Sita Ram Kesari : There was an 'Unctad' conference in Delhi last year. In that conference developed countries made a commitment to give preference to developing countries in export and import. I would like to know how far it is justified according to that commitment that Russia is competing with us in exporting iron ore to Japan and it will not reduce our export of iron ore to Japan.

Shri B. R. Bhagat: Every country, whether developed or semi-developed one, has the right to take steps to increase its resourses. Iron Ore is found in abundance in Syberia. We should not, therefore have any fear if Japan imports Iron ore from there.

Shri Sita Ram Kesari : My question was quite different. I want to know whether this comes under that commitment which developed countries made to the under-developed countries ?

Shri B. R. Bhagat : No Sir, I have said that they have the right to exploit their resources.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : जापान लोह अयस्क का महत्वपूर्ण खरीददार है। यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि जापान बहुत कम मात्रा में भारत से लोह अयस्क खरीद करता है। दूसरे जापान द्वारा लोह अयस्क के लिए अमरीका, अफ्रीकी देशों, चिली और पैरू को जो मूल्य दिया जाता है भारत को उससे बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है।

क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य देशों की तुलना में भारत जापान से लोह अयस्क का कम मूल्य क्यों लेता है ? सरकार द्वारा मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक भारत का संबंध है, जापान अभी भी लोह अयस्क का सब से महत्वपूर्ण खरीददार है और भविष्य में भी वह महत्वपूर्ण खरीददार रहेगा। कम मूल्य प्राप्त करने का कारण तुलनात्मक किस्म के अतिरिक्त माल लादने की कठिनाइयां भी हैं। आस्ट्रेलिया और ब्राजील के मालवाहक जहाज एक लाख अथवा दो लाख टन माल ले जाते हैं जहाँ तक हमारे पत्तनों में 30,000 टन से अधिक की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत बड़ी बाधा है। हमें गोआ और विशाखापटनम में सुविधायें बढ़ाई जायेंगी। इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ वर्ष लगेंगे। हम अभी भी दस वर्ष पीछे हैं। जब तक यह कठिनाई दूर नहीं होती तब तक माल लादने की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : लोह अयस्क तथा खनिजों के निर्यात में बिचौलियों को खत्म करने हेतु ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम का निर्माण किया गया था। परन्तु ऐसा लगता है कि बिचौलियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विभिन्न प्रकार के अयस्क सप्लाई करता है। पहले वह सीधे खान मालिकों से माल खरीदता था। क्या सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है।

Shri Shinkre : The hon. Deputy Minister has just now stated that there has been no loss in the export of iron ore. But I would say that we are suffering a loss in it. There is a strike in the Marmoga since 16th February. Bargemen are working only 12 hours nowadays whereas previously this work was going on for twenty four hours. Most of the steamers

and being diverted to other ports. I would therefore like to know whether Government attention has been drawn to the strike and what steps are being taken by Government to solve this problem ?

Shri B. R. Bhagat : This difficulty was there in 1967 also and we could export only five or five and half million tones of iron ore from there. But there has been an improvement in 1968. We have exported more than 7 million tonnes. We hope that there will be further improvement.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे पत्तन केवल 30,000 टन माल ही का लदान कर सकते हैं। यह आंकड़े ठीक नहीं हैं। यदि पारादीप पत्तन की ठीक देखभाल की जाय तो वहां पर 60,000 टन माल का लदान किया जा सकता है। क्या राज्य व्यापार निगम ने बिहार तथा उड़ीसा की खानों से 30 लाख टन लोह अयस्क के निर्यात के बारे में करार किया था और क्या अब इसको कम करके दस लाख टन कर दिया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि पारादीप पत्तन ने हाल ही में एक संकल्प में सरकार पर जोर दिया है कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि किस खान में कितना उत्पादन होता है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह प्रश्न पत्तन सुविधाओं के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 30 लाख टन को कम करके दस लाख टन कर दिया गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि निर्यात में कमी नहीं हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पारादीप में सुविधा उपलब्ध हैं। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि इसको कम क्यों किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री चिन्तमणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार द्वारा 30 लाख टन के लिए जो करार किया गया था उसको कम करके दस लाख टन क्यों कर दिया गया है। यदि यह निर्यात को कम करने का मामला नहीं है।

श्री ब० रा० भगत . पारादीप पत्तन में उपलब्ध सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग किया गया है। फैन्नी खान से अयस्क उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए निगम ने माल उतारने के लिए एक स्थान बना लिया है और पारादीप को माल ले जाने के लिए सड़क परिवहन की व्यवस्था कर ली है। ये कुछ कठिनाइयां थी परन्तु वे सुविधाओं के विकास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जब विकास हो रहा है तो व्यापार के ढांचे में भी मूल परिवर्तन होना चाहिए। कच्चे माल की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं का अधिक निर्यात किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री लोह अयस्क के निर्यात पर रोक लगा सकते है और इस्पात उत्पादों के अधिक निर्यात को प्रोत्साहन दे सकते हैं ? क्या सरकार ने देश में लोह अयस्क के भण्डारों के बारे में कोई अनुमान लगाया है ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाये जबकि हमारे अपने मिलों के लिए आगामी दस अथवा बीस वर्षों के लिए पर्याप्त लोह अयस्क न रहे ?

श्री ब० रा० भगत : इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि हमें निर्यात योग्य समूचे लोह अयस्क का निर्यात नहीं करना चाहिए और हमें अपने लिए भी कुछ रखना चाहिए।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या वह किसी अवस्था में इस पर रोक लगायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय कोई रोक नहीं लगाई जा रही ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय लोह अयस्क के निर्यात के बारे में पत्तन तथा लदान कठिनाइयों के बारे में सभा को बता रहे थे । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जापान ने बेलाडिला से लोह अयस्क निर्यात के समय वहां पर एक रेलवे लाइन बिछाने में सहायता देने का भी वचन दिया था । ऐसी आशा है कि लोह अयस्क की खुदाई और पत्तन तथा लदान सुविधाओं के विकास में समन्वय होगा । इन वर्षों में लोह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि गोआ और विशाखापतनम महत्वपूर्ण पत्तन है क्या इनके लिए पर्याप्त धनराशि मंजूर की गई है और यदि हां, तो क्या परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने में विलम्ब हो रहा है और इस सम्बन्ध में किन वास्तविक कठिनाइयों का सामना है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि जब तक लोह अयस्क खानों, खान तथा पत्तन तक माल के परिवहन और तकनीकी दृष्टि से सुविधाओं के विकास में समन्वय नहीं होता तब तक हम पूरा लाभ नहीं उठा सकते । विशाखापतनम में लदान की 'मेकेनिकल' सुविधाओं का विकास करने का निर्णय किया गया है । मुझे आशा है कि कार्यक्रम के अनुसार यह काम पूरा हो जायेगा ।

Development of Silk Industry

*967. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have enquired into the reasons why the targets fixed by the Centre in respect of production of silk and the estimated expenditure for this purpose have never been achieved ; and

(b) whether it is a fact that the targets are not achieved because the State Government do not spend their portion of 50 per cent expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) There was only a marginal short fall of 6 per cent in the achievement of production targets fixed for the III Plan as against 40 per cent shortfall in expenditure. One of the reasons for this shortfall was the inability of the State Governments to provide the matching provision of 25 per cent of the total approved outlay as required under the pattern of Central assistance.

Shri Maharaj Singh Bharti : The production of silk is decreasing in Europe and Asia due to rise in wages, whereas the demand for the same is increasing. We can produce silk in our country on a large scale and meet the demand for the same and at the same time provide employment to our countrymen. The minster has, however, said that the state Governments are not realising its importance and they are not spending 25 per cent as their share as a result of which the country loses foreign exchange. I would, therefore, like to know whether the Government have formulated any scheme whereby this work does not remain in the hands of State Governments and silk industry gets incentive.

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : It is difficult to take the work from the hands of the Government since silk is produced in villages. The Silk Board was constituted so that the quality and quantity of production could be enhanced. We are making efforts to see that it should get sufficient money to produce 30 lakh Kilograms

of silk to meet our requirement and export it to the tune of Rs. 31 crores. The present production is 22 lakh Kilograms. We are endeavouring to achieve this goal and for this purpose we want the support of State Governments and all others.

Shri Maharaj Singh Bharati : You have told that you want to achieve the minimum target. I would like to know why dont you fix maximum targets ? I would also like to know whether the State Governments are not contributing due to paucity of resources or they have given any other reason therefor ? Why are the states not working in this direction.

Shri B. R. Bhagat : The States have not contiibuted during the Third Plan. The proportion of central assistance and States' contribution during the Fourth Plan will be decided by mutual discussion.

Shri Maharaj Singh Bharati : What is the objection of State Government ?

Shri B. R. Bhagat : They have paucity of funds.

Shri Yamuna Prasad Mandal : Bihar and Assam are backward states and both produce fine quality silk. But it is difficult for Bihar to meet 25 per cent expenditure. I would, therefore, like to know whether Government will consider the question of this 25 per cent from central funds in case of Assam and Bihar.

Shri B. R. Bhagat : I am sorry to state that the progress in Bihar in respect of silk production is not as it should have been.

Shri Sarjoo Pandey : Banaras is a centre of silk industry and the sarees from Benares are supplied throughout the country. I would like to know whether Government are considering any scheme for saree industry in Benares.

Shri B. R. Bhagat : No doubt Benares is leading centre of manufacture of sarees and silk goods, though not of raw silk. The council for production and export has always been considering the question of increase in production and export fr m Benares.

श्री विक्रम चन्द महाजन : इस उद्योग से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है। क्या लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके ढूंढ़ने तथा इस उद्देश्य के लिये रेशम बनाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये माननीय मंत्री एक समिति नियुक्त करेंगे।

श्री ब० रा० भगत : रेशम बोर्ड यही काम करता है। वह इन मामलों पर विचार कर रहा है कि कितनी राशि नियत की जाये, किन साधनों से प्राप्त की जाये तथा राज्यों और केन्द्र का हिस्सा क्या हो ताकि 30 लाख किलोग्राम रेशम के उत्पादन तथा 21 करोड़ रुपये के रेशम के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

श्री क० लकप्पा : रेशम का सबसे अधिक उत्पादन मैसूर में होता है। अब उस राज्य में उत्पादन दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। सिल्क बोर्ड उस राज्य से दूर बम्बई में है। अतः वह उचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। कुछ प्रशासनिक गतिरोधों के कारण रेशम का उत्पादन करने वाले केन्द्रों को प्रोत्साहन देने के लिये दिये गये सुझावों को लागू नहीं किया जा रहा है। मैसूर तथा अन्य राज्य के उत्पादकों को उचित प्रोत्साहन देने के लिए बोर्ड के बम्बई कार्यालय से बंगलौर लाने तथा प्रशासनिक गतिरोध दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री ब० रा० भगत : पहले इसका कार्यालय बंगलौर से बम्बई लाया गया था, उसे वापिस बंगलौर ले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। परन्तु उस पर निर्णय नहीं किया गया है।

यह ठीक है कि मैसूर रेशम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक है ।

Military Training for Able-Bodied Persons in Border Areas

†

*968. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Suraj Bhan :

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to impart military training to all able-bodied persons in border areas ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

(क) से (ग) : होम गार्डों के तौर पर भर्ती किए गए व्यक्तियों को आयुधों के इस्तेमाल में प्रशिक्षण दिया जाता है। असैनिक राईफल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भी आयुधों के प्रयोग में प्रशिक्षण का उपबन्ध विद्यमान है। एन० सी० सी० के अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए और कोई योजना नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : From the reply given by the hon. Minister it is not clear whether any special arrangements have been made in border areas for imparting military education. If so, details thereof ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह योजना गृह कार्य मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। विशेष रूप से अग्रिम क्षेत्रों तथा सीमान्त क्षेत्रों में होम गार्डों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छे उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। होम गार्ड में लगभग 7 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I like to know whether Government have considered the question of imparting military training to all the able-bodied persons ? What are the difficulties therein ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह एक सामान्य प्रश्न है। गृह-कार्य मंत्रालय इस प्रश्न की जांच करता है। प्रशिक्षण गृह कार्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और हम राष्ट्रीय छात्र सेना दल तथा प्रादेशिक सेना के लिये शस्त्रों के प्रशिक्षण का क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Ram Gopal Shalwale : The Pakistanis lifted 1,67,000 cattle from Kathua area alone during the last 22 years I would like to know the action taken by Government to stop such activities and arm and impart military training to the residents of border areas and if not, reasons therefor ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सीमान्त क्षेत्र में हम सभी को सैनिक प्रशिक्षण तथा शस्त्रास्त्र नहीं दे सकते। हमें ऐसे व्यक्तियों को चुनना होगा जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम हों और कुछ अन्य शर्तें पूरी करते हों। योजना बहुत प्रभावी है और जो कुछ सम्भव है, गृह कार्य मंत्रालय कर रहा है।

Shri Ram Gopal Shalwale : What has been done uptil now.

श्री मं० र० कृष्ण : 7 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की एक योजना है तथा सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।

Shri Suraj Bhan : During Pakistani aggression in 1965, our citizens living in border areas supplied food and ammunition to our soldiers in advance areas at the risk of their life. I would, therefore, like to ask whether there is any proposal to impart training to the persons living in border areas, who are prepared to risk their life.

श्री मं० रं० कृष्ण : सीमान्त क्षेत्रों के लोग पर्याप्त संख्या में सशस्त्र सेना में हैं। उन्हें पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा उन्हें सीमा पर वास्तव में प्रभावी बनाने के लिये अग्रतर सुविधाएँ प्रदान करना कठिन नहीं है।

Shri Brij Bhushan Lal : The border of our country is so vast that training to 7 lakh persons is absolutely inadequate. Training should be imparted to all able bodied persons living in border areas. I would also like to know whether weapons will be distributed free of cost in the border areas.

श्री मं० रं० कृष्ण : सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त आसाम राइफलस, प्रादेशिक सेना आदि जैसे कई अन्य अभिकरण है। सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि हम केवल 7 लाख व्यक्तियों के सहायता से ही सीमा की सुरक्षा करेंगे।

Shri Randhir Singh : People living on the borders are the shield of our country. I would like to know what is your scheme to strengthen that shield. I would also like to know whether retired military officers and soldiers will be resettled in border areas in large numbers ? Will free military education be imparted to the people already living in border areas.

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय इन बातों की लगातार जाँच करता है। हम इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

*963. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार का विचार बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को जिन्हें परिसमाप्त किया जा रहा है, पट्टे पर ले कर उनका संचालन राज्य कपड़ा निगम के माध्यम से करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य का पुनर्विलोकन

*964. **श्री प्रेम चन्द शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य का कभी सामान्य मूल्यांकन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस की कार्य-प्रणाली में दोषों का पता लगाने तथा उसमें सुधार लाने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) : यद्यपि सरकार द्वारा कोई सामान्य मूल्यांकन नहीं किया गया है, तथापि सरकार निगम के कार्यकलापों तथा कार्य पर निकट निगरानी रखती है ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने निगम के कार्य की समीक्षा करने हेतु निगम तथा योजना आयोग के अधिकारियों की एक समिति की स्थापना की है और सुधार लाने के उद्देश्य से वह इस समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करेगा । निगम की कार्य-प्रणाली की जांच करने के लिये इस समय कोई विशेषज्ञ नियुक्त करने का सरकार का विचार नहीं है ।

आस्ट्रेलिया से ऊन का आयात

*966. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान थाना स्थित "रेमन्ड वूलन मिल्स" के कार्यकारी निदेशक द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आस्ट्रेलिया से कच्ची ऊन का आयात करने के लिये लाइसेंस देने में सरकार की ओर से विलम्ब होने के कारण मिलें बन्द करनी पड़ी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण थे और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि आयात लाइसेंस देने में सरकार की ओर से विलम्ब के कारण "रेमन्ड वूलन मिल्स" का उत्पादन घट गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में विस्तारपूर्वक जांच करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आस्ट्रेलिया से कच्ची ऊन के आयात के लिये रेमन्ड वूलन मिल्स को लाइसेंस देने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है । वस्तुतः नवम्बर, 1967 से कच्ची ऊन का

आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है तथा तमाम आयात उसके नाम में होता है। ऊनी मिलों को वस्त्र आयुक्त की सिफारिश पर राज्य व्यापार निगम से आयातित कच्ची ऊन के आवंटन प्राप्त करने होते हैं। राज्य व्यापार निगम को आयात करने का अनन्य अधिकार देने का आदेश जारी करने के बाद आस्ट्रेलिया से कच्ची ऊन के आयातों की व्यवस्था करने में कुछ विलम्ब हो गया था, परन्तु यह इस कारण से हुआ कि रेमन्ड ऊनी तथा अन्य मिलों ने इस आदेश के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में लेख याचिका पेश कर दी थी तथा राज्य व्यापार निगम को कच्ची ऊन का आयात करने से रोकने के लिये निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली थी। सम्बन्धित हितों की सलाह से प्रारम्भिक कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं और अब आस्ट्रेलिया से कच्ची ऊन के आयात की उचित व्यवस्था की जा चुकी है। तथापि वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये आयात की मात्रा इतनी नहीं है कि उससे मिलों की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके। इन आयातों के अतिरिक्त, ऊनी तथा मिश्रित वस्त्रों तथा हौज़री माल के निर्यात पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जाते हैं, परन्तु प्रतिपूर्ति लाइसेंस-धारी को अधिकार है कि वह किसी कत्तिन से काम करवाये। इनके बावजूद भी ऊनी मिलों में प्रस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त, 75 लाख रु० मूल्य की चिक्करण ऊन के आयात के लिये अप्रेल, 1965 में उनको दिये गये सीमाशुल्क निकासी परमिटों का तब तक पूरी तरह उपयोग भी नहीं किया गया था। इस परमिट पर आयात मिल द्वारा स्वयं किये जाने थे। निर्यातों पर निकासी आदेशों को देने के लिये उनके आवेदन पत्रों पर अनुमोदित क्रियाविधि के अनुसार उनकी प्राप्ति के क्रम में आयात निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा विचार किया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Assistance to Mauritius for Economic Development

*969. **Shi Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Sri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have any plans to assist actively in the economic development of Mauritius ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the extent of help rendered to Mauritius by Government during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c): During the discussions which have taken place between the representatives of the Government of India and the Government of Mauritius from time to time, India has expressed her readiness to assist Mauritius in her economic development in such fields as the two Governments may mutually decide upon. In pursuance of India's over all policy to promote economic cooperation with other developing countries, the Government would give full consideration to any request which might be received from Mauritius in this regard. While the broad fields in which India could cooperate have been indicated to the Mauritius Government informally, no detailed plans have, however, so far been drawn up.

In the past three years, India has assisted Mauritius through gift of technical equipment for village industries. The services of experts and education officers have also been made available. Two officers of the Mauritius Foreign Service have received training in India. Government are also assisting the Mauritius Government in the recruitment of doctors and pharmasists from India.

Naga Problem

*970. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Externnl Affairs** be pleased to state :

(a) whether Governmcnt have received some such indication from the underground Nagas that they are now prepared to remain in the Indian Union ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken by Government for the development of Nagaland ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) and (b) : Apart from a communication from one of the factions of the underground Nagas seeking resumption of talks, Government have had no positive information that the underground Nagas have given up their earlier stand.

(c) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Subject : A resume of the steps being taken for the development of Nagaland.

1. The administration has been stabilised. The State cadres of the I. A. S. and the Indian Forest Service have been organised and a number of local officers have been absorbed into them. Codification of Nagaland customary laws has been taken up. State Service rules and regulations have been framed and notified.

2. Success has been achieved in increasing the production of foodgrains. As a result, demand for food from outside has not increased despite increase in population. Government's efforts in introducing permanent cultivation are succeeding. There has been a ready acceptance among the farmers of the power tillers. Government have continued to subsidise small and minor irrigation channels and have taken upon themselves the responsibility of consutructing channels to irrigate compact areas of 200 acres or more.

3. Roads are being developed rapidly. The surfaced length has been increased to 200 Kilometres. State transport links practically every important administrative centre.

4. There are now over 90,000 students in schools and colleges.

5. 33 general hospitals, 2 T. B. hospitals, 83 dispensaries and several other medical units are functioning in Nagaland. The incidence of malaria has been brought down from 33 per cent to 3 per cent. A large number of doctors are from Nagaland itself.

6. Government are according priority to supply of good drinking water to all villages and towns.

7. New sources of income and revenue are being tapped. Planning Commission have given approval to the establishment of a sugar mill and a paper pulp mill in Nagaland. The Khandsari sugar mill has started production.

8. A concerted effort is being made to rationalise the exploitation and expansion of forests in the state.

9. Geological survey is being undertaken to fully exploit the hidden mineral wealth.

10. Special attention is being paid to the development of the more backward Tuensang District.

दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर का पाकिस्तान भाग जाना

*971 **श्रीमती इला पाल चौधरी :** **श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती सफाई विभाग का एक इंजीनियर, श्री मुहम्मद अहमद, सरकारी खाते में से 10,000 रुपये का गबन और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से जाली कागजात पर अनुमति प्राप्त करके हाल में पाकिस्तान भाग गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहम्मद अहमद ने पाकिस्तान जाने से पूर्व कतिपय सरकारी माल को छुड़ाने के लिए प्रभारों की कथित अदायगी के लिए सरकारी खाते से 10,000 रुपये निकाले थे। विदेश मंत्रालय से बिना किसी प्रकार की अनुमति लिए दिल्ली प्रशासन से एक झूठे 'आपत्ति रहित प्रमाण-पत्र' के आधार पर भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान गए।

(ग) उनके खिलाफ सरकारी कोष से गबन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है और इस समय पुलिस इसकी जांच-पड़ताल कर रही है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि श्री अहमद को शीघ्र ही भारत भेजने का इन्तजाम करे।

किसी क्षेत्र के पिछड़ा क्षेत्र निश्चित करने का मापदण्ड

*972. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन को सूची में दर्ज 15 बातों में से किसी एक के आधार पर निर्धारित किया जायेगा अथवा सामूहिक रूप से की गई छानबीन के आधार पर ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़े घोषित किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन का निश्चय सभी सम्बद्ध सूचकों के एकत्रीभूत विश्लेषण के आधार पर किया जाता है।

(ख) दिनांक 19 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3622 और 11 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के उत्तरों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

पाकिस्तान के पास वक्तरबन्द ब्रिगेड

*973. **श्री रणजीत सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के पास चीन अमरीका और ब्रिटेन में बने टैंकों से लैस चार वक्तर-बन्द ब्रिगेड हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसे दृष्टि में रखते हुए भारत द्वारा अपनी प्रतिरक्षा शक्ति में अनुकूल वृद्धि करने के लिये क्या तैयारियां की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के पास प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पास अमरीकन और चीनी आयुधों से सुसज्जित दो कवचित डिवीजन हैं ।

(ख) और (ग) : उसकी शक्ति में इस वृद्धि से जनित संकट का सामना करने के लिए हमारी सशस्त्र सेनाएं सुसज्जित हैं ।

तीर्थयात्रियों को भारत तथा पाकिस्तान जाने की अनुमति

*974. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान के कितने मुसलमानों को भारत में मुस्लिम तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिये अनुमति पत्र दिये गये हैं ;

(ख) इसी अवधि में पाकिस्तान सरकार ने कितने हिन्दुओं को भारत में हिन्दुओं के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की अनुमति दी है ; और

(ग) उक्त अवधि में भारत के कितने हिन्दू तथा मुसलमान नागरिकों ने पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा की और पूर्वी पाकिस्तान के कितने हिन्दू तथा मुसलमान नागरिकों ने भारत की यात्रा की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष से अब तक पूर्व पाकिस्तान से 305 व्यक्तियों ने तीर्थ यात्रा के लिए भारत में विभिन्न मुस्लिम धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया है ।

(ख) पूर्व पाकिस्तान के किसी भी हिन्दू तीर्थ यात्री दल की ओर से यात्रा करने के लिए भारत सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ग) 1-10-1965 से 31-12-1968 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार 20300 पाकिस्तान राष्ट्रिकों ने पूर्व पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया और 17320 भारतीय राष्ट्रिकों ने पासपोर्ट और वीसा के साथ पूर्व पाकिस्तान में प्रवेश किया । हिन्दूओं और मुसलमानों की संपूर्ण अवधि की संख्या अलग-अलग प्राप्त नहीं है ।

कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद

*975. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् ने कपड़े तथा सूत का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के कपड़ा आयात कर्ताओं ने निर्यात किये जाने वाले भारतीय माल को थोड़ा-थोड़ा करके भिजवाने के लिए कहा है और उन्होंने परिषद् से अल्प तथा मध्यम कालिक ऋण देने के लिये भी प्रार्थना की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद किसी भी प्रकार के वस्त्रों का निर्यात नहीं करती और इसके द्वारा विदेशी मुद्रा के उपार्जन का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) नवम्बर 1968 में ब्रिटेन सरकार ने आयात जमा योजना लागू की । तब ब्रिटेन के आयातकों ने कतिपय भारतीय निर्यातकों से पोतलदान के स्थगन तथा उक्त योजना के प्रतिकूल वित्तीय परिणामों को निष्प्रभावी करने के लिए उधार की सुविधाएं भी देने के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) वर्ष 1968-69 में मिल निर्मित सूती वस्त्रों के लिए 110 करोड़ रु० का निर्धारित निर्यात लक्ष्य था और अप्रैल, 1968-जनवरी 1969 में लगभग 81.35 करोड़ रु० के निर्यात हुए ।

कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना

*976. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री बे० कृ० दास चौधरी** :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने तीन कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेने के लिये सरकार से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन मिलों को नियंत्रण में लेने के लिए सिफारिश की गई है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ।

(ख) न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर, कम्बोडिया मिल्स लि० कोयम्बतूर, तथा ओम पराशक्ति मिल्स लि०, कोयम्बतूर को।

(ग) चूंकि मिलें बन्द पड़ी हैं और उन्हें सीमित वित्त-पोषण द्वारा समुचित अवधि के अन्दर आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम बनाया जा सकता है।

(घ) सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय यथाशीघ्र किया जायेगा।

अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार

*977. **श्री अदिचन :** **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया, उगाण्डा, तेंजानिया, जम्बिया तथा घाना द्वारा अफ्रीकी-करण की नीति अपनाये जाने के कारण अफ्रीका के देशों के साथ हमारे व्यापार को हानि पहुँच सकती है ;

(ख) क्या इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार कोई बहु-प्रयोजनीय नीति बनाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जिन देशों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रत्येक में अफ्रीकीकरण की कार्यवाही के प्रभाव का पहले से ही निश्चित अनुमान लगाना तो कठिन है, फिर भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उनके साथ हमारे कुछ व्यापार को कोई हानि पहुँची है।

(ख) और (ग) : अनूकूल तथा प्रतिकूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इन तथा अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में ये शामिल हैं: प्रदर्शनियों, प्रतिनिधिमंडलों तथा संवर्धन सम्बन्धी साहित्य के माध्यम से प्रचार, व्यापार-करार, विशेष वस्तुओं अथवा देशों के बारे में व्यापार के अवसरों का गहन अध्ययन और इन देशों में संयुक्त उद्यमों को, जिनसे हमारी मशीनों तथा पूँजीगत माल का निर्यात हो, प्रोत्साहन देना।

चौथी योजना के अन्तर्गत निर्यात

*978. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में निर्यात का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की अवधि में निर्यात में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ;

(ग) योजना अवधि में निर्यात से कुल कितनी आय होने का अनुमान है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) : चौथी पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है और इसलिये इसके अन्तिम रूप से तैयार हुए बिना निर्यात लक्ष्यों को बताना सम्भव नहीं है। तथापि योजना आयोग के "चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा" नामक पुस्तिका में यह कहा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में "निर्यातों में प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि करना आवश्यक होगा।"

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं का आयात

*979. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री प्र० के० देव : **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु निगम के माध्यम से एकाधिपत्य के आधार पर विभिन्न अलौह धातुओं का आयात करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ समेत व्यापारी वर्ग ने सरकार को इस सम्बन्ध में जल्दबाजी में निर्णय करने के विरुद्ध चेतावनी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं। किन्तु गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आवश्यकताओं को, गत वर्ष की भांति, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किये गये आयातों द्वारा पूरा किया जायेगा।

(ख) ऐसी कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो कि पूर्णतः निगम के अन्य माध्यम से आयात करने के फलस्वरूप पैदा हो सकती हैं।

(ग) ऐसे अभ्यावेदनों पर सदा बिचार किया जाता है, पर आवश्यक कच्चे माल के आयातों की लाभप्रद आधार पर व्यवस्था करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

Delay in Submission of Fourth Five Year Plan

*980. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to delay the submission of the draft of the Fourth Five Year Plan to Parliament for some more time ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time that Government propose to take further in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) : No Sir. The Fourth Five Year Plan will be placed on the Table of the House immediately after it has been considered by the National Development Council at its meeting on 19th and 20th of this month.

प्रतिरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया

*981. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्था के निदेशक ने यह कहा है कि वर्ष 1962 में भारत मनोवैज्ञानिक रूप से चीन से लड़ने के लिये तैयार नहीं था और अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही निर्णय लेने की प्रणाली बिल्कुल छिन्नभिन्न हो गई थी ; और

(ख) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने की प्रणाली को अब ठीक कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : सरकार ने उल्लिखित वक्तव्य की रिपोर्ट देखी है। जैसे कि सदन को ज्ञात है, अक्टूबर-नवम्बर, 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के कारण की गई संक्रियाओं में हुई हानियों के लिए विभिन्न कारणों का विश्लेषण करते हुए 2 सितम्बर 1963 को सदन में एक व्यापक वक्तव्य दिया गया था। यह भी बताया गया था कि सुधार कार्य करने की प्रक्रिया जाँच की संस्थापना के साथ ही शुरू कर दिया गया था। निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में सुधार करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ।

व्यापार-कार्यों में विदेशी सहयोग

*982. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1070 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारिक कार्यों में विदेशी सहयोग से देश को अब तक कितना लाभ हुआ है ; और

(ख) अब तक कितने सहयोग-करार किये गये हैं और उनको कब से क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : व्यापारिक कार्यों में विदेशी सहयोग का कोई भी मामला अभी तक सरकार के विचारार्थ नहीं आया ।

डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई

*983. **श्री देवेन सेन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 25 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के बाद डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई को रसायन के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) उक्त कम्पनी को 1967 में उसके पिछले निर्यात की तुलना में किन वस्तुओं के अतिरिक्त निर्यात के बदले में यह लाइसेंस दिया गया था ;

(ग) क्या इस कम्पनी के एक हिस्सेदार सेठ जीवनलाल ने डिग्री कालेज, कालाकंकर (उत्तर प्रदेश) के प्रधान को 1967 के आम चुनाव से पहले कोई दान दिया था ;

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि का ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) : मैसर्स डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली ने (और मै० डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई ने नहीं) 1965-66 में 14.50 लाख रुपये (अवमूल्यन पश्चात का रुपया) के इथाइल एल्कोहल का निर्यात किया था। इन निर्यातों के आधार पर, इस फर्म ने, रसायन तथा संबद्ध उत्पादों संबंधी तत्कालीन विशेष निर्यात संवर्धन योजना के अधीन, उसके द्वारा नामित पाँच फर्मों को दिये जाने के लिये 5,80,101 रुपये (अवमूल्यन पश्चात का रुपया) के आयात हकदारी लाइसेंसों के लिये 8.2.66, 8.3.66 तथा 15.3.66 को आवेदन पत्र भेजे। तदनुसार जुलाई-नवम्बर, 1966 में निम्नलिखित पार्टियों को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र) नई दिल्ली द्वारा लाइसेंस दिये गये थे :

क्रमाँक	फर्म का नाम	धनराशि	लाइसेंस देने की तारीख
1.	मै० केसर शुगर वर्क्स, बम्बई	65,067/- (अवमूल्यन पश्चात)	25.7.66
2.	,, पौलीकेम लि०, बम्बई	1,57, 500/- (अवमूल्यन पश्चात)	25.7.66
3.	,, कैमीकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लि०, बम्बई	2,7 1,087/- (अवमूल्यन पश्चात)	25.7.66
4.	,, कैमीकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लि० बम्बई	43,922/- (अवमूल्यन पश्चात)	23.11.66
5.	,, केशर शुगर वर्क्स लि०, बम्बई	42,525/- (अवमूल्यन पश्चात)	2.9.66

(ग) इस विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

'एक्सपो–70' प्रदर्शनी

*984. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'एक्सपो-70' प्रदर्शनी में बड़े पैमाने पर भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) : जी हां। सरकार ने एक्सपो' 70 में उपयुक्त पैमाने पर भाग लेने का

विनिश्चय कर लिया है। इस अवसर पर विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय का 195 लाख रुपये का व्यय होने की संभावना है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 170 लाख रुपये होगा।

फ्रांस के साथ व्यापार करार

*985. **डा० सुशीला नैयर** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस करार के अंतर्गत फ्रांस से कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात और उसको कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

7 मार्च से 11 मार्च, 1969 तक भारत-फ्रांसीसी संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक के बाद, भारत-फ्रांसीसी व्यापार प्रबंध का 1 जनवरी, 1969 से एक वर्ष की अवधि के लिये नवीकरण किया गया तथा बैठक के सम्मत निष्कर्षों के संलेख पर 17 मार्च, 1969 को हस्ताक्षर हुए।

संलेख के मुख्य उपबंध निम्नलिखित हैं :—

(1) फ्रांस में अभी तक परिमाणात्मक प्रतिबंधों के अधीन कुछ भारतीय उत्पादनों के लिये बढ़े हुए कोटों को फ्रांसीसी प्रतिनिधि-मंडल ने स्वीकार कर लिया। उदाहरणतः खुथ्थियों के कोटों को 1968 में 15 लाख फ्रै० से बढ़ाकर 1969 में 20 लाख कर दिया गया है, ऊनी हौजरी माल के लिये 1968 में 200,000 फ्रै० से बढ़ाकर 1969 में 220,000 फ्रै०, रुई के अलावा कपड़े के लिये 1968 में 650,000 फ्रै० से बढ़ाकर 1969 में 720,000 फ्रै०, टैनिस तथा बास्केटबाल जूतों के लिये 1968 में 660,000 फ्रै० से बढ़ाकर 1969 में 800,000 फ्रै०, मेलों तथा प्रदर्शनियों के लिये 1968 में 750,000 फ्रै० से बढ़ाकर 1969 में 800,000 फ्रै० तथा विविध उत्पादों के लिये 1968 में 600,000 फ्रै० से बढ़ाकर 1969 में 650,000 फ्रै० कर दिया गया है।

(2) फ्रांसीसी प्रतिनिधि-मंडल ने सूचित किया कि 1 मार्च, से 15 मई, 1969 की अवधि के लिये फ्रांस में प्याज के आयात पर सभी परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

(3) इस पर सहमति हो गई कि फ्रांस में नारियल जटा के रेशों से निर्मित वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंसों पर पेरिस में भारतीय राजदूतावास द्वारा विसा दिये जायेंगे।

(4) दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमयों को बढ़ाने के उद्देश्य से, 1969 के अंत में

फ्रांसीसी आयातकों, निर्यातकों, निर्माताओं तथा बैंकरों का एक व्यापार प्रतिनिधि-मंडल भारत आयेगा ।

(5) अपरम्परागत क्षेत्र में विशिष्ट मदों का पता लगाने तथा फ्रांस को निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से आवश्यक उपायों का अध्ययन करने के लिये भारत से दो विशेषज्ञों को बुलाने हेतु फ्रांस की सरकार सहमत हो गई है ।

(5) फ्रांसीसी प्रतिनिधि-मंडल, फ्रांस के टेलीविजन प्राधिकारियों से सिफारिश करेगा कि वे भारत संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों को, जिनमें उसकी औद्योगिक तथा निर्यात क्षमता का दिग्दर्शन हो, दूरवीक्षित करें ।

(ग) भारत फ्रांसीसी व्यापार प्रबन्ध मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ हुए हमारे व्यापार करारों / प्रबन्धों जैसे ढंग के ही हैं और उनमें किसी भी पक्ष की ओर से आयात निर्यात की वचनबद्धता नहीं होती ।

अखरोट का निर्यात

*986. **श्री सु. कु. तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष अखरोट का निर्यात निरन्तर घटता चला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक वर्ष में अखरोट की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और उससे कितनी आय हुई और वर्ष 1968-69 के तुलनात्मक अनुमानित आंकड़े क्या हैं ;

(ग) निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अखरोट के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) (1) आवश्यक पैकिंग सामग्री उपलब्ध कराने के लिये, अखरोट के निर्यात पर जहाज पर मूल्य की प्राप्ति के 2 प्रतिशत का आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिया जाता है ।

(2) अखरोट की निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने विशिष्ट योजनाएँ बनाई हैं ।

(3) निर्यात के लिये अखरोट के उत्पादन, विपणन गवेषणा तथा पैकिंग की समस्याओं पर विचार करने के लिये अखरोट सम्बन्धी एक स्थायी समिति की स्थापना की जा रही है ।

निर्माताओं को कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन

*987. **श्री जुगुल मंडल** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं को कोरी फिल्मों के कोटे के आवंटन के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली है ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त फिल्म कम्पनियों के विरुद्ध इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने कोरी फिल्मों के अपने कोटे को अधिकांशतः चोर बाजार में बेच दिया ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संस्था एल० टी० 654/69]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी योजना के लिए वाणिज्यिक गाड़ियों का लक्ष्य

*988. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उद्योगों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना में 75,000 वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) योजना आयोग के कहने पर औद्योगिक विकास मन्त्रालय द्वारा 'मशीनरी उद्योग' के लिए गठित योजना दल ने 1973-74 के वर्ष के लिए 85,000 (एकक) वाणिज्यिक गाड़ियाँ (10,000 संख्या) हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों सहित) के माँग लक्ष्य की सिफारिश की है ।

(ख) और (ग) : योजना दल की सिफारिशों की जाँच की जा रही है और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा चौथी योजना स्वीकृत हो जाने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

भारत, बुलगारिया तथा ट्यूनीशिया के बीच त्रिपक्षीय व्यवस्था

*989. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में ट्यूनीशिया को चाय तथा अन्य वस्तुओं

का निर्यात करने के लिये बुलगारिया तथा ट्यूनीशिया के वाणिज्यिक संगठनों के साथ त्रिपक्षीय व्यवस्था की है, और

(ख) यदि हाँ, तो उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हाँ ।

(ख) इस व्यवस्था में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में लगभग 3-4 करोड़ रुपये की निर्यात आय की परिकल्पना है, जिसका इस्तेमाल बल्गारिया से यूरिया के आयात के लिये किया जाना है।

प्रधान मंत्री की लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा के समय प्रकाशित की गई सचित्र पुस्तिका

* 990 **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 26 फरवरी 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचित्र पुस्तिका प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता थी और इसकी कितनी प्रतियाँ छापी गई थीं ;

(ख) क्या सरकार इस पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखने के लिये तैयार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस यात्रा पर प्रधान मंत्री के साथ कितने व्यक्ति गये थे और उनके अलग-अलग पदनाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : प्रधान मंत्री की प्रत्येक विदेश यात्रा हमेशा महत्वपूर्ण होती है। किसी भारतीय प्रधान मंत्री ने पहली बार इस क्षेत्र की यात्रा की थी और भारत तथा विदेश में अतिथि के सम्बन्ध में ब्योरेवार सूचना प्राप्त करने की स्थानीय माँग को पूरा करने के लिए विवरणिका जारी की गई थी। विवरणिका की 2,000 प्रतियाँ स्पेनी भाषा में और 1,000 प्रतियाँ पोर्तुगाली भाषा में छापी गई थी।

(ख) : विवरणिका की प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी 655/69]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है सदन की मेज पर रख दी गई है।

Reports of the Ministry of External Affairs

5723. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the names, dates of publications, languages in which published, prices and the position regarding the availability of the reports submitted and published by all types of Commissions, study teams, study groups and Commitees relating to his Ministry and its attached and subordinate offices during the last th ee years ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : During the last three years, only one report, namely, Report of the Committee on the Indian Foreign Service was published in English in 1966, the price of which is Rs. 5/- per copy and is available with the Publications Division of the Government of India.

कोयम्बटूर में कपड़ा मिल

5724. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर जिले में प्रबन्धकों द्वारा बन्द किये गये कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिसके कारण 16,000 कर्मचारियों को 'बड़ी मुसीबत तथा परेशानी' हो गई है;

(ख) औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत गठित जाँच समिति द्वारा इन बन्द मिलों के बारे में दी गई रिपोर्टों में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र की सरकार ने दो महीने पूर्व इन बन्द मिलों को अपने कब्जे में लेने के लिये नोटिस दिया था;

(घ) क्या कोयम्बटूर जिला कपड़ा मिल मजदूर संघ ने इन मिलों पर कब्जा करने की धमकी दी है और कहा है कि हमारे लिये केवल यही विकल्प रह गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रस्तावित अवैध कब्जे को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है (**पुस्तकालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल० टी० 656/69)

(ख) 13 मिलों के मामलों की जाँच करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जाँच समितियों का गठन किया गया है जिनमें से 8 मिलों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं । चूंकि रिपोर्टें गोपनीय हैं अतः इन रिपोर्टों की मुख्य-मुख्य बातों को बताना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : अखबार के समाचारों के अनुसार, हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध कपड़ा मिल मजूर यूनियनों ने यह संकल्प किया था कि यदि बन्द मिलों को निश्चित तारीख से पूर्व पुनः नहीं खोला गया तो वे उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगी । किन्तु संकल्प को उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया ।

भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा का निर्धारण

5725. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर 98 मील की दूरी पर अभी निशान लगाये जाने बाकी हैं;

(ख) सीमांकन के संबन्ध में अब तक कितने भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हो चुके हैं; और

(ग) सीमांकन कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और किस तारीख तक सीमांकन कार्य के अन्तिम रूप से पूरा हो जाने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत-पूर्वपाकिस्तान की लगभग 4050 किलो मीटर लम्बी सीमाओं में से अभी तक 1050 किलोगीटर लम्बी सीमा पर अभी निशान नहीं लग पाये हैं।

(ख) भारत तथा पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों के अब तक 164 सम्मेलन हो चुके हैं।

(ग) भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रीय विवाद हैं। इन विवादों के तय हो जाने के बाद ही सीमा पर निशान लगाने के काम की प्रगति हो सकेगी। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर निशान लगाने का कार्य पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ मिल कर किया जायेगा। उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये यथा संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

वैदेशिक प्रचार विभाग का सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को हस्तांतरण किया जाना

5726. **श्री किकर सिंह :**
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के वैदेशिक प्रचार विभाग को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को हस्तांतरित किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

New Victoria Mills, Kanpur

5727. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Mininster of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) since when the New Victoria Mills, Kanpur is lying closed, the causes of its closure and when it is likely to re-open ;

(b) whether it is a fact that the Mill-owners have closed the mill on a petty issue in order to release the accumulated stocks and to obtain loans from Government, resulting in thousands of workers becoming unemployed ; and

(c) the number of workers rendered unemployed due to closure of this mill and the number of permanent and temporary workers out of them, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) : The mill is lying closed since 3rd October, 1967, due to financial difficulties and uneconomic working. The question of appointment of an Authorised Controller of the mill is under consideration in consultation with the State Government. Necessary steps to restart the mills will be taken after the Authorised Controller is appointed.

(c) The workers on roll at the time of closure of the mill were about 5224 out of whom 4244 were permanent and 980 were temporary.

Conditions for Declaring a Particular Area as "Specified area"

5728. **Shri Kushok Bakula** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the guide lines or conditions for dealing a particular area as "specified area" i. e. thin population, economic backwardness and prospects for future development, are fulfilled by the District Ladakh ;

(b) if so, the time by which Ladakh would be declared a "specified area" so that the people of Ladakh in the field of development could keep pace with the remaining parts of the country ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Attention is invited to the reply to Unstarred Question No. 211 dated Febru. ry 19, 1969.

(b) and (c) : Do not arise.

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट में उप-महाप्रबन्धक के पदों का बनाया जाना

5729. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) में पिछले दो या तीन वर्षों में उप-महाप्रबन्धकों के अनेक पद बनाए गये थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों में भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों तथा इस विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के लिये इन पदों में से (अलग-अलग) कितने पद सुरक्षित किये गये थे;

(ग) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने पद भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों द्वारा तथा कितने पद इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा भरे गये;

(घ) क्या यह सच है कि ये पद वायु सेना मुख्यालय के नियंत्रण बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा 'मनोनीत व्यक्तियों' के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं तथा बोर्ड से इन नियुक्तियों की पुष्टि कराना तो केवल एक सामान्य औपचारिकता है जिसका परिणाम यह है कि विभाग के कर्मचारियों में सामुहिक रूप से निराशा फैली हुई है; और

(ङ) इस भर्ती की प्रक्रिया में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने अथवा त्रुटिहीन तरीका अपनाने का विचार है ताकि इस विचार के कर्मचारियों को महाप्रबन्धक के पद पर भी, जब वह रिक्त हो, नियुक्त किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ) : पिछले तीन वर्षों में डिपुटी जनरल मैनेजरों के दो स्थान पुर किए गये हैं । दोनों स्थान सेवाधिकारियों से पुर किए गए थे । इन स्थानों के लिए कोई सुरक्षण नहीं और वह मैरेट पर पुर किए जाते हैं । इन स्थानों के लिए विभागीय अफसर भी विचारे जाते हैं । वर्तमान् प्रकिया संतोषप्रद समझी गई है ।

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट (इंडिया)

5730. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट (इंडिया) का क्या दर्जा है, क्या यह सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय अथवा अर्धसरकारी उपक्रम है जो कि व्यापारिक आधार पर चल रहा है अथवा यह केवल एक गैर-सरकारी संस्थान है;

(ख) इस दृष्टि से कि इस विभाग के दर्जे की अब तक परिभाषा नहीं की गई है, इस विभाग को सैन्य-एककों को उपलब्ध होने वाली सैन्य ऋण नोट आदि की सुविधायें कैसे दी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस विभाग को चलाने के लिये एक विभाग बनाने का निर्णय कर दिया है क्योंकि इस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का व्यापार किया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट (भारत) सरकार का एक विभागीय उपकरण है।

(ख) उपरोक्त (क) के कारण प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंन्ट द्वारा अर्जित लाभ

5731. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट (इंडिया) द्वारा पिछले तीन वर्षों में (वर्ष-वार) कितना लाभ दिखाया गया है ;

(ख) क्या इस विभाग के तीन वर्षों के (वर्ष-वार) वार्षिक लेखे का विवरण जिसमें यह दिखाया गया हो कि इसके लाभों की धनराशि विभिन्न मदों जैसे सैनिकों का कल्याण, प्रतिरक्षा सेवा क्लब, प्रतिरक्षा सेवाओं के नौयात्रा अथवा क्रीड़ा नौका क्लब, तथा अन्य उप-मदों आदि के अन्तर्गत किस प्रकार खर्च की गई सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) क्या इन तीन वर्षों के दौरान कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों के कल्याण के लिये भी कोई राशि नियत की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न मदों के अधीन कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कैन्टीन के कृत्य से तीनों वर्षों में प्रत्येक के लिए हानि तथा लाभ के हिसाब के अनुसार सी० एस० डी० (आई०) द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है :—

(1) 1965-66	1, 35, 92, 597 रुपये
(2) 1966-67	1, 53, 18, 577 रुपये
(3) 1967-68	1, 39, 81, 223 रुपये

इसके अतिरिक्त सी० एस० डी० (आई०) सिनेमाओं द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है :—

1965-66	4,77,201 रुपये
1966-67	3,69,799 रुपये
1967-68	2,18,666 रुपये

(ख) सी० एस० डी० (आई०) के वार्षिक हिसाब रक्षा सेवाओं के एप्रोप्रिएशन हिसाब के वाणिज्य अनुसरण में प्रकाशित किए जाते हैं, जो प्रति सभा के पटल पर रख दिए जाते हैं।

वितरण के प्राप्य सरप्लस तथा उनके लिए गत तीन वर्षों में अलौकेशन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 657/69]

(ग) और (घ) जी हां, वह संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 657/69]

(ङ) उपरोक्त (ग) तथा (घ) को सामने रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी भाषा के स्कूल के अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति

5732. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री एस० पी० राम मूर्ति :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि विदेशी भाषा के स्कूल के अध्यापकों को कालेजों में पढ़ाने के 18 घंटों की सामान्य अवधि की तुलना में प्रति सप्ताह 30 घंटे पढ़ाना पड़ता है ;

(ख) उन्हें इस कष्टसाध्य कार्य से छुटकारा दिलाने के हेतु और उन्हें कालेजों के अन्य अध्यापकों के बराबर लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये पद स्थायी होते हुए भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी बनायेगी ताकि उनको कार्य करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिल सके ;

(ङ) क्या लगभग 5 वर्ष पूर्व स्कूल के द्वितीय श्रेणी के सभी पदों को प्रथम श्रेणी में वर्गोन्नत कर दिया गया था ; और

(च) यदि हां, तो वर्गोन्नति के कार्यक्रम को अब तक क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

(क) और (ख) विदेशी भाषाओं का स्कूल तीन पाठ्यक्रम आयोजित करता है, अर्थात आरम्भिक, उच्च, और दुभाषिया। पहले दोनों अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं, और प्रातः और-अथवा संध्या को आयोजित होते हैं। तीसरा पूर्णकालिक प्रतिदिन तीन घंटों का होता है, और "यथा आवश्यक" आधार पर चलाया जाता है। एक प्राध्यापक के लिए दोनों अंशकालिक पाठ्यक्रमों का साप्ताहिक कार्यभार ढ़ाई घंटे से 15 घंटे तक विभिन्न होता है। जब तीन पाठ्यक्रम एक साथ चलाए जाते हैं, साप्ताहिक कार्यभार बढ़कर लगभग 30 तक पहुंच जाता है।

तुलनीय शिक्षाओं से विद्यमान कार्यभार की तुलना हस्तगत की जा रही है।

(ग) और (घ) : प्राध्यापक के 12 स्थायी स्थानों में से 3 स्थायी रूप से पुर कर दिए गए हैं। 4 प्राध्यापक स्थायीकरण के अधिकारी हैं, और उनके मामलों पर शीघ्र विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) प्राध्यापक के स्थानों को द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में उन्नत करने संबंधी आदेश 16-11-1964 को जारी किए गए थे, और वह कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

इन्डिया हाउस, लन्दन के स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारी

5733. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डिया हाउस, लन्दन में स्थानीय रूप से नियुक्त ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 15 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या उन्हें स्थायी करने का विचार है ;

(ग) यदि हाँ, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सूचना इस प्रकार है।

15 वर्ष और उससे ऊपर के नौकरी वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो स्थायी नहीं किए गए हैं।	10 वर्ष और उससे ऊपर की नौकरी वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो स्थायी नहीं किए गए हैं।
(1)	(2)
49	97

(ख) : से (घ) : भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत लन्दन-स्थित भारतीय हाई कमीशन के स्थानिक अमले के सिर्फ उन सदस्यों को स्थायी किया जा सकता है और सिर्फ वे ही पेंशन के योग्य बनते हैं जो 31-3-56 को या उससे पहले भरती किए गए हों बशर्ते कि स्थायी किए जाने के योग्य हों और स्थायी पद सुलभ हों। ऊपर (क) के उत्तर में कर्मचारियों की जो संख्या बताई गई है उस में 31-3-56 के बाद भरती किए गए कर्मचारी भी शामिल हैं। जो लोग 31-3-56 से पहले भरती किए गए थे और जिन्हें अभी स्थायी किया जाना है उन्हें यथा समय स्थायी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वे लोग इसके योग्य हों और स्थायी पद सुलभ हों। वे या तो स्थायी पदों के सुलभ होने की अथवा विभागीय पद वृद्धि समिति/संघलोक सेवा आयोग द्वारा, जो भी हो, स्थायी किए जाने के लिए योग्य घोषित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कुछ मामले सम्बद्ध मंत्रालयों के विचाराधीन हैं। बाकी पर उस समय विचार किया जाएगा जब उनके मामले स्थायीकरण के लिए सामने आएंगे।

आयुध कारखानों में ए० एम० आई० ई० अर्हता प्राप्त व्यक्ति

5734. **श्री ए० श्री धरन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ए० एम० आई० ई० अर्हता प्राप्त इंजीनियरी डिप्लोमाधारी बहुत से व्यक्ति आयुध कारखानों में पिछले 4-5 वर्ष से चार्जमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी गई है;

(ख) आयुध कारखानों के महानिदेशक को इस तथ्य की भी जानकारी तक नहीं दी गई है कि वे लोग ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास कर चुके हैं ताकि उनकी पदोन्नति के बारे में विचार किया जा सके;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व जिन इंजीनियरी डिप्लोमाधारियों ने ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास की थी उनकी पदोन्नति उप-प्रबन्धक के पद पर कर दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो यदि उप-प्रबन्धक पद पर पदोन्नति हेतु काफी पद रिक्त नहीं है तो ए० एम० आई० ई० योग्यता प्राप्त इंजीनियरी डिप्लोमाधारियों को सहायक फोरमैन-फोरमैन के पद पर पदोन्नत क्यों नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) और (ख) : अराजपत्रित (अर्थात् सहायक फोरमैन तथा फोरमैन) केडर में चार्जहैंडों की पदोन्नति सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति, समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूचियों के आधार पर की जाती है। इन सूचियों को तैयार करते समय समिति अनेक तथ्यों जैसे कि वरिष्टता, योग्यताओं कृत्य के रेकार्ड को ध्यान में रखा जाता है, न कि केवल शिक्षा योग्यताओं को। इसलिए स्थिति यह है कि यद्यपि कई चार्जहेड ए० एम० आई० ई० परीक्षाएँ पास कर चुके हों, उन्हें सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए योग्य निर्धारित किए जाने के पश्चात् ही पदान्नत किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं। केवल ए० एम० आई० ई० योग्यता रखने वाले ही इंजीनियरी डिप्लोमा धारण करने वालों को डिपुटी मैनेजर के पद पर लगाया गया था जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिए गए इश्तेहार के उत्तर में कमीशन को प्रार्थना पत्र भेजे थे, और उन द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए थे।

(घ) स्थिति ऊपर भाग (क) तथा (ख) में स्पष्ट कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Re-export of Indian Goods

5736. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Jagannath Rao Joshi**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Suraj Bhan** :
Shri S. S. Kothari : **Shri Brij Bhushan Lal** :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many commodities purchased from India on rupee payment basis are exported by the East European countries and U. S. S. R. ;

(b) if so, the names of the commodities and their value ;

(c) the countries from which these are re-exported and the countries to which they are thus exported ; and

(d) the amount of loss caused to India in terms of foreign exchange as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d) : Reports have been received of sporadic cases of re-export of some commodities like tea, jute, de-oiled cakes, grey cloth, black pepper, etc. originally imported from India by East European countries. Precise calculation of loss of foreign exchange on this account is not possible in the absence of complete and verifiable information of such re-exports which generally take place at third country ports or on high seas. Judging from reports, such re-exports constitute only negligible portion of India's steadily growing trade with East European countries.

इंजीनियरी माल का निर्यात

5737. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री वी० के० दास चौधरी : **श्री सीताराम केसरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से इंजीनियरी माल के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में प्रत्येक देश को किस-किस इंजीनियरी माल का निर्यात किया गया; और

(ग) अपने निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) दो विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं, जिनमें वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 (अप्रैल-अक्तूबर) में मूल्यवार निर्यात किये गये इंजीनियरी माल की प्रमुख मदों तथा प्रत्येक देश को इंजीनियरी माल के कुल निर्यातों को अलग-अलग दिखाया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 658/69]

(ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से बाजार सर्वेक्षण, प्रकाशनों तथा विज्ञापनों के द्वारा प्रचार, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने और प्रतिनिधि मंडलों तथा अध्ययन दलों आदि को भेजने का एक नियमित कार्यक्रम चलता है, इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निम्नोक्त प्रकार की सहायता दी जाती है :

(1) चयनात्मक आधार पर, जहाज पर मूल्य के 5 से 30 प्रतिशत तक की नकद सहायता की मंजूरी ;

(2) निर्यात के लिये माल तैयार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर स्वदेशी लोहे तथा इस्पात की पूर्ति ;

(3) निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री । संघटकों पर दिये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों तथा सीमा शुल्कों की वापसी ;

(4) निर्यात के लिये माल तैयार करने के लिये आयात की जाने वाली सामग्री के लिये,

वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, 5 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस; आदि ।

Export of Watches

5738. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Foreigan Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the number of H. M. T. watches exported during 1967-68 and 1968-69 separately;

(b) whether there has been a decline in our export of these watches during the current year ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the remedial steps taken to boost their export and outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) Export of H. M. T. Watches during 1967-68 and 1968-69 (April-February) has been as under :

Year	Numbers
1967-68	931
1968-69 (April February)	730

(b) Yes, Sir.

(c) The H. M. T. watches have entered the export field very recently and have to compete with established sources of supply like Switzerland and Japan. These countries have developed facilities for orienting the design and models according to consumer preferences at a very fast rate as compared to the Indian product. Apart from this there is fierce competition in point of price.

(d) The production base of H. M. T. is being strengthened to throw up larger surpluses for export. Apart from this the following assistance is allowed against export :---

(i) Cash assistance at 10 per cent of the f. o. b. value.

(ii) import replenishment licence at 40 per cent.

(iii) drawback of central excise and customs duties paid on materials/components used in the product exported ; etc.

Setting up of Industries in Afro-Asian Countries by India

5739. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether India is considering to set up industries in Afro-Asian countries ;

(b) whether those countries have urged for installation of certain special industries ; and

(c) if so, when a final decision is expected to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) The initiative for establishing industrial ventures abroad (including Afro-Asian countries) with Indian collaboration is usually taken by Indian entrepreneurs. Government of India have already approved 67 proposals from different Indian parties for participation in the setting up of joint industrial ventures in various Afro-Asian countries. Of these, a few have already commenced operations.

(b) Stray requests have, from time to time, been received from foreign Governments for Indian collaboration in the setting up of industries in their respective countries. These relate to the establishment of a sugar project in Uganda ; a textile mill in Mauritius ; a steel re-rolling mill, an Aluminium smelting plant, a cement plant and a cigarette factory in Kuwait.

(c) Except for the Uganda sugar project, all the requests were circulated amongst the prospective Indian entrepreneurs. The interested Indian parties have since been negotiating with their counterparts in the countries concerned. With regard to the Uganda sugar project, Government of India is still awaiting the final reaction of the Government of Uganda.

ट्रकों का निर्यात

5740. **श्री क० लंकप्पा :** **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्मित (टाटा द्वारा बनाये गये) ट्रकों का विदेशों में निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या किसी देश के साथ कोई समझौता किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा वहाँ कितने ट्रकों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) सरकार की यह नीति है कि ट्रकों सहित सभी प्रकार के इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाया जाये ।

(ख) से (घ) : ऐसा पता चला है कि एक भारतीय फर्म ने ट्रकों की पूर्ति करने के लिये, निम्नलिखित आदेश प्राप्त किये हैं :

देश	ट्रकों की संख्या	मूल्य
सं० अ० गणराज्य	355 टाटा मर्सीडीज बेन्ज व्हीकल्स	189. 39 लाख रु०
कतार	5 ट्रक	1.8 लाख रु०

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

5741. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कटौती को कपड़ा मिलों के उपकरणों के अथवा आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने के बारे में एक सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी, हां ।

(ख) सुझाव को स्वीकार करना सरकार के लिये सम्भव नहीं हो सका है ।

Use of Hindi in the Ministry of Foreign Trade and Supply

5742. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (1) publish all their publications in Hindi ; (2) maintain the service books of class IV employees in Hindi ; (3) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work ; (4) prepare a programme for teaching Hindi to Officers and employees below the age of 45 years on 1st January, 1961 under the Hindi training scheme ; (5) make it compulsory for the Hindi knowing staff to use Hindi in official works ; and (6) to appoint Hindi knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the schemes for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ;

(b) the dates on which the said action was taken and results achieved thereby ; and

(c) the steps proposed to be taken to clear the anti-Hindi atmosphere in his Ministry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b) : The following action has been taken by the Ministry of Foreign Trade and Supply from time to time in persuance of the Official Languages Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs :---

(1) Annnal Reports, Gazette Notifications, Forms, etc., and most of the publications (except those intended for export publicity abroad) are being published also in Hindi.

(2) As soon as Service Books in diglot form are available, steps will be taken to maintain them in Hindi in respect of Class IV Staff stationed in Hindi speaking areas.

(3) Yes, Sir.

(4) In accordance with the Hindi Teaching Scheme of the Ministry of Home Affairs, officers and employees are being nominated for Hindi training.

(5) The Hindi-knowing staff are free to use Hindi in official work.

(6) Officers, dealing with the implementation of Hindi Schemes, know Hindi by and large.

(c) Does not arise, as there is no anti-Hindi atmosphere in the Ministry of Foreign Trade and Supply.

Zirconium Alloys for Rajasthan Atomic Power Plant

5743. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Brij Bhusan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Zirconium alloys are produced in Trombay and if so, annual quantum of production ;

(b) the reasons for importing it ;

(c) the loss of foreign exchange as a result thereof ;

(d) the steps taken to augment its production to achieve self-sufficiency ; and

(e) whether it is also a fact that the scientists of Trombay had approaehed Government for supplying Zirconium alloys for the Rajasthan nuclear reactor and if so, the action taken thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No, Sir.

(b) Pending the establishment of indigenous production facilities the requirements of zirconium alloys are to be met by imports.

(c) The foreign exchange cost of imported components made of zirconium alloys is Rs. 166 lakhs (US dollars 2.2 million) approximately.

(d) A zirconium production plant, based on the know-how developed in Trombay, is being set up at Hyderabad.

(e) No, Sir.

भारत-नैपाल करार के अन्तर्गत सम्पति के अधिकार

5744. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1960 के भारत-नैपाल करार के अन्तर्गत भारत में रहने वाले नैपाली नागरिक और नैपाल में रहने वाले भारतीय नागरिक एक दूसरे के देश में सम्पत्ति खरीद सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नैपाल में रहने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है, जिन्होंने नैपाल में सम्पत्ति खरीद ली है और भारत में रहने वाले ऐसे नैपालियों की संख्या कितनी है जिन्होंने भारत में सम्पत्ति खरीद ली है और उनका मूल्य कितना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1950 में भारत और

नैपाल की सरकारों के बीच सम्पन्न शांति और 'मैत्री संधि के अनुच्छेद-सात में यह व्यवस्था है कि "भारत और नैपाल की सरकारें, पारस्परिक आधार पर, एक-दूसरे के राष्ट्रिकों को एक-दूसरे के देश में निवास की, व्यापार और वाणिज्य में हिस्सा लेने की, आवागमन की और इसी तरह की दूसरी सुविधाएं प्रदान करने पर सहमत हुईं"।

(ख) नैपाल में रहने वाले ऐसे भारतीयों के बारे में हमारे पास आधिकृत आंकड़े नहीं हैं जिन्होंने वहाँ जायदाद ले ली है। भारत में जो नैपाली आकर बस गए हैं उनके विषय में ठीक-ठीक आंकड़ों का पता लगाना भी इतना ही मुश्किल है क्योंकि नैपाली राष्ट्रिकों को विदेशी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अपना नाम पंजीकृत नहीं कराना पड़ता।

Return of Shrimati Bagchi from Pakistan

5745. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 834 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether confirmation about the washing away of the wife of Dr. S. K. Bagchi into Pakistan in North Bengal floods has since been received from the Government of Pakistan ;

(b) if so, the date on which the confirmation was made ;

(c) whether Shrimati Bagchi has come back to India ; and

(d) if not, the action taken by Government for her return ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) No, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

Teaching of Hindi in the Ministry of External Affairs

5746. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Kumari Kamala Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4963 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether Government would take necessary action at an early date in regard to teaching of Hindi to Class I officers of the Ministry who do not know Hindi ;

(b) if so, the nature thereof ;

(c) the reasons for not sponsoring their names so far for Hindi classes ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) to (c) : Yes, Sir. Arrangements under the scheme of the Ministry of Home Affairs for teaching Hindi to officers of this Ministry do exist at Headquarters and in Missions wherever it is possible. Special classes outside office hours are arranged for the benefit of those who cannot attend regular Hindi classes during normal working hours. A correspondence course for teaching Hindi started by the Central Hindi Directorate is also available. Besides, the

officers also have the option to appear for Hindi examinations as private candidates. All officers and members of staff working at Headquarters and Missions have been asked to avail of these opportunities. Every effort is made to sponsor them for the Hindi classes.

Persons Accompanying P. M. During Foreign Tours

5747. **Shri Onkar Singh :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri Shri Gopal Saboo :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of persons who accompanied the Prime Minister during her foreign tours during the last three years and the purpose for which they were asked to accompany her ; and

(b) the total amount spent on them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) and (b) : The requisite details are given in the enclosed statement (Placed in Library see No. LT-659/69

Ashoka Hotel

5748. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. Karan Singh or members of his family have shares in the Ashoka Hotel, New Delhi ;

(b) if so, the number thereof ;

(c) whether it is also a fact that Ashoka Hotel is under the control of his Ministry ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Dr. Karan Singh and his wife acquired some shares in the Ashoka Hotels Ltd. when the company was formed in 1955, many years before Dr. Karan Singh became Minister. Soon after becoming Minister in 1967 he passed on his holding to his minor son.

(b) 168 'B' Preference Shares and 3370 Ordinary Shares.

(c) and (d) The charge of Ashoka Hotels Ltd. was allocated to the Ministry of Tourism and Civil Aviation in July 1968 on functional considerations, in pursuance of a recommendation of the Administrative Reforms Commission.

निशान ब्रेक शूज

5749. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 20 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स कृष्णा इंजिनियरी कारपोरेशन, सूरत को दिये गये क्रयादेश के सत्यापन और पूर्ववृत्त तथा मूल्य के संबंध में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) क्या मंत्रालय-गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर द्वारा क्रयादेश दिये जाने के बारे में कोई अनियमितता अथवा अनौचित्य पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आवश्यक सूचना अभी सम्पूर्णतः प्राप्य नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीय

5750. **श्री वेदव्रत बरुआ : कुमारी कमला कुमारी :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा : श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में अनेक भारतीय नागरिकों ने भारतीय नागरिकता छोड़ कर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है;

(ख) इन भारतीयों ने किन किन देशों की नागरिकता ग्रहण की है ; और

(ग) क्या उनमें से किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता के लिए पुनः आवेदन पत्र दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा अनुमोदित योजनाएँ

5751. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रधान मंत्री** 27 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों ने इस बीच उन अनुमोदित योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है जिन्हें भविष्य में राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रयोजित किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जाने वाली नई विकास योजनाओं के बारे में बनाये गये मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का और ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अण-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) से (ग) : कार्य अभी प्रगति पर है और आशा है कि शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

Raising of a Yadav Regiment

5752. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum in which it is suggested that a Yadav Regiment be formed on the lines of Sikh, Jat, Rajput etc., Regiments ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) In view of the Government's policy to gradually eliminate class composition in the Army, it is difficult to accept the suggestion.

Contribution of Civil Factories in Production Work

5753. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that civilian factories also render their contribution to the production work done by the Ordnance Factories of the Government of India ; and

(b) if so, the quantity and the value of the goods produced by the civilian factories and handed over to the Ordnance Factories during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) Yes, Sir.

(b) The value of semi-finished stores/components received from civil trade against orders placed by DGS&D/DGOF/Factories for the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 was Rs. 5.36 crores. Rs.4.27 crores and Rs.5.08 crores respectively. These supplies covered semi-finished stores/components for armament items, tractors trucks and vehicles and packages.

The number of items covered is very large and the labour and effort involved in collecting information quantity-wise and item-wise would not be commensurate with the result.

Passport for Maulvi Farouq President of Kashmir Awami Struggle Committee.

5754. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Deven Sen :**
Shri P. N. Solanki : Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kikar Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maulvi Farouq, president of the Kashmir Awami Struggle Committee had applied for a passport for visiting Pakistan ;

(b) if so, the reasons mentioned in the application for the visit ;

(c) the nationality stated therein ; and

(d) whether the passport has been granted to him ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) (a) No application for a passport for visiting Pakistan has been received from Maulvi Farouq.

(b) to (d) Do not arise.

Foreign State Emblems in Indian Embassies

5756. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number and locations of the offices of Indian High Commissioners abroad having State emblems of the respective countries at present ; and

(b) The steps Government propose to take to remove these foreign emblems from the offices of the Indian High Commissioners ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) and (b) : Indian High Commission in London has some such emblems. Steps are being taken to have them removed. As far as the other High Commissions are concerned, information is being collected and will be placed on the table of the House when received.

Republic Day Parade, 1969.

5757. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of passes issued to each individual in the ranks of M. Ps Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries for them, their friends and members of their families for witnessing the Requblic Day Parade, 1969 ;

(b) whether Government have received complaints that the number of passes issued was far short of demand ; and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter in future ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Invitation cards for about 1,100 seats for Requblic Day Parade 1969 were issued to about 600 Members of Parliament and their spouses who had indicated that they would attend the function. About 590 Members of Parliament asked for issue of cards for about 6,800 seats for their relations, guests, etc., against which cards for about 4,700 seats were issued.

Cards for about 24,000 seats were issued for entitled officials and their spouses. For their guests and relations, including their grown up children, cards for about 10,000 seats were issued.

The compilation of detailed information asked for will involve considerable time and labour which may not be commensurate with the results achieved.

(b) **and** (c) : Yes, Sir. Some complaints were received from officials as well as non-officials. The question of increasing the seating capacity of invitees' enclosures for the Republic Day Parade is under consideration. However, even with the increased seating capacity, it will not be possible to meet in full the increasing demands for issue of invitation cards for the Parade.

वायु सेना के आधुनिकीकरण के लिये प्रतिरक्षा योजना

5758. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु सेना का आधुनिकीकरण करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये कोई प्रतिरक्षा योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) **और** (ख) : वायुसेना के आधुनिकीकरण और दृढ़ीकरण के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना सरकार के विचाराधीन है । विस्तार प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

स्वन्तत्रता संग्राम के सेनानियों को पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने की अनुमति

5759. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले स्वतन्त्रता संग्राम के हिन्दू सेनानियों को भारत यात्रा के लिये अनुमति नहीं देती है और सामान्यतया अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान सरकार से यात्रा परमिट प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान सरकार की इस प्रवृत्ति में नेहरू लियाकत समझौते और मन्दिरों आदि के रख-रखाव सम्बन्धी 1953 के भारत-पाक समझौते के उपबन्धों का उल्लंघन होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच आने जाने को सहज और सामान्य बनाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को पाकिस्तान से भारत आने के लिए यात्रा सम्बन्धी कागजपत्र प्राप्त करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनसे सरकार परिचित है ।

(ख) इस प्रकार के मामलों में भेद-भाव रखना नेहरू-लियाकत करार का उल्लंघन है ।

(ग) भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रासुविधा प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार से बार-बार अनुरोध किया है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

5760. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात से राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) निर्यात तथा आयात के लिये अब तक कुल कितने करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) **और (ख)** : वर्ष 1968-69 में राज्य व्यापार निगम द्वारा उपार्जित लाभ वर्ष के खाते बन्द होने पर ही मालूम हो सकेगा । इनके वर्ष के मध्य में पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) वर्ष 1968-69 में, फरवरी 1969 तक, राज्य व्यापार निगम ने 492 निर्यात-संविदाओं तथा 217 आयात-संविदाओं पर हस्ताक्षर किये ।

रूस से आयात

5761. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये प्रस्तावित पंचवर्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत, जिस पर रूस

के साथ शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं, उस देश से आयात के हेतु नई मदों के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश से आयात की जाने वाली नई मदों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) : सोवियत संघ के साथ अगले दीर्घावधि ब्यापार तथा भुगतान करार के लिये, जो कि 1971 से लागू होना है, अभी तक बातचीत आरम्भ नहीं हुई है। भावी करार में शामिल करने के प्रयोजन से सोवियत संघ से आयात की जाने वाली नयी मदों के अभिनिर्धारण के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

प्रधान मंत्री की दक्षिण अमरीकी देशों की यात्रा के दौरान अनुवाद की व्यवस्था

5762. **डा० म० सन्तोषम्** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि प्रधान मंत्री की दक्षिण अमरीकी देशों की यात्रा के दौरान अनुवाद की व्यवस्था बिल्कुल असन्तोषजनक थी ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में अनुवाद की सन्तोषजनक व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबंध किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्यूबा और उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार

5763. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960-61 से 1968 69 तक, वर्ष वार, क्यूबा और उत्तर वियतनाम को कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया था तथा उन देशों से कुल कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के माल का आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : एक विवरण (अँग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 660/69]**

विदेशों में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की स्थिति

5764. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित हमारे प्रत्येक दूतावास में इस समय कुल कितने कर्मचारी, अधिकारी तथा अन्य लोग हैं ; और

(ख) प्रत्येक देश में हमारे दूतावासों में काम करने वाले (1) अधिकारियों और (2) अन्य कर्मचारियों के कुल वेतन पर जिसमें वेतन तथा उपलब्धियाँ शामिल हैं, कितनी धन राशि खर्च होती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 661/69]**

पोलैंड को रेल के माल डिब्बों की सप्लाई

5766. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री दी० चं० शर्मा **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पोलैंड को रेल के कुछ माल डिब्बे सप्लाई करने के लिये हाल में एक करार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) माल डिब्बों की सप्लाई किस मूल्य पर तथा किस तारीख तक की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग) जी, हाँ। राज्य व्यापार निगम ने मानक चादर के चार पहियों वाले यू० आई० सी टाईप एक के 500 माल डिब्बे सप्लाई करने के लिये मैसर्स कालमैक्स वार्सा (पोलैण्ड) के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं। दो प्रोटोटाईप माल डिब्बे जून, 1970 में दिये जायेंगे किन्तु अधिक संख्या में माल डिब्बे अप्रैल,-मई, 1971 में देने आरम्भ किये जायेंगे और अक्तूबर, 1971 के अन्त तक सभी डिब्बे दे दिये जाने की सम्भावना है।

चूँकि राज्य व्यापार निगम माल डिब्बों का निर्यात कई देशों को कर रहा है, किसी ठेके विशेष के अन्तर्गत प्रति माल डिब्बे की कीमत बताना उनके कारोबार के हित में नहीं होगा।

Foreign Bishops visiting Military Hospitals

5767. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several foreign Bishops visit Military Hospitals freely on the pretext of offering prayers ;

(b) whether the said Bishops also propagate Christianity and anti-Indian ideology among ailing soldiers while offering prayers ;

(c) whether Government would institute an enquiry into the matter and take necessary precautions to curb these antinational activities and impose restriction on the entrance of such people into the military hospitals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as possible.

कोसीपुर गन-शैल फैक्टरी के काम के घंटे

5768. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसीपुर स्थित गन शैल फैक्टरी के काम के साप्ताहिक घंटे 60 से घटाकर 54 किये गये हैं जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों को वित्तीय हानि हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सप्ताह में काम के घंटों में ऐसी कमी करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) और (ख) : आर्डनेन्स फैक्टरियों में साधारणतः काम करने के घंटे प्रति सप्ताह

44 घंटे 45 मिनट हैं। कार्यभार के अनुसार वह ओवरटाईम भी काम करते रहे हैं। गन तथा शैल फैक्टरी के शैल अनुभाग में कार्यभार में कमी आ जाने के कारण, ओवर्टाईम के समय में कमी कर दी गई है।

काशीपुर में गन शैल फैक्टरी

5769. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धातु तथा इस्पात कारखाना, इचापुर और आयुध कारखाना कानपुर द्वारा गन एन्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर के शैल शौप के लिये ढलाई का सामान पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इचापुर तथा कानपुर स्थित कारखानों द्वारा ढलाई के सामान की अपर्याप्त सप्लाई के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) काशीपुर की गन तथा शैल फैक्टरी के शैल स्कंध के लिए फार्जिंग्ज की आवश्यकताएँ प्रायः मैटल तथा स्टील फैक्टरी इचापुर और आर्डनेन्स फैक्टरी कानपुर द्वारा सप्लाईयों से पूरी की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इचापुर में रायफल बनाने का कारखाना

5770. **श्री देवेन सेन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी आक्रमण के समय से ही इचापुर स्थित रायफल-फैक्टरी ने बोल्ट एक्शन रायफल के साथ-साथ अर्ध-स्वचालित रायफल बनाना आरम्भ कर दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब से इस कारखाने में निर्माण आरम्भ हुआ था वह प्रति मास बड़ी संख्या में अर्ध-स्वचालित रायफल तथा बोल्ट एक्शन रायफल की सप्लाई कर रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 6 फरवरी, 1969 से निरीक्षण अधिकारी ने रायफल फैक्टरी इचापुर द्वारा सप्लाई की जाने वाली अधिकतर रायफलें अस्वीकृत करना शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप केवल कर्मचारियों को ही मजूरी की हानि नहीं हो रही है बल्कि सरकार भी अपनी आय खो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) : कुछ बोल्ट एक्शन राईफलें जिन में कुछ त्रुटियाँ पाई गई थीं, उन्हें दूर करने के लिए इन्स्पेक्टोरेट द्वारा फैक्टरी को वापिस की गई थीं, जो कार्यवाही प्रगतिशील है।

इस बीच बोल्ट एक्शन राईफलों का आगे का उत्पादन बहुत कम कर दिया गया है, और अर्ध-स्वचालित राईफलों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। उत्पादन के ढंग में परिवर्तन के कारण

कार्मिकों की उजरतों में कोई ह्रास नहीं हुआ है। सरकार को किसी प्रकार की आमदनी में हानि का प्रश्न नहीं उठता।

कन्नानूर सहकारी कताई मिल्स

5771. **श्री प० गोपलन :** **श्री के० एम० अब्राह्म :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कन्नानूर सहकारी कताई मिल्स की कताई क्षमता घटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने कताई क्षमता कम न करने का अनुरोध किया है और इस मिल को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को भी बढ़ाने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि कन्नानूर सहकारी कताई मिल ने लाइसेंस की वैधता-अवधि में 13,000 तकुओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के स्थान पर केवल 1,600 तकुए लगाये थे अतः इसकी क्षमता को कम करके प्रयुक्त क्षमता की सीमा तक कर देने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस पर सरकार ध्यान दे रही है।

भारत तथा अमरीका के बीच मंत्री-स्तर पर वार्ता

5772. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमरीका के बीच मंत्री-स्तर पर वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई तिथि निश्चित की गई है ;

(ग) क्या पिछले वर्ष मंत्री स्तर पर हुई वार्ता में लिये गये निर्णय क्रियान्वित किये जा चुके हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बातचीत का दूसरा दौर इस वर्ष के अन्त में होने वाला है। प्रतिनिधि मण्डलों के गठन के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस प्रकार की बातचीत के दौरान सामान्य रूप से, अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मामलों पर विचार विनिमय किया जाता है। किसी प्रकार के औपचारिक विचार-विमर्श नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में मजगांव गोदी पर जहाज निर्माण कार्य का कार्य

5773. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में मजगांव गोदी में इस समय कितने, तथा कुल कितने टन-भार के जहाज बन रहे हैं ;

(ख) क्या जहाजों की खरीद के संबंध में ऐसे क्रयादेश हैं जिन्हें अभी निबटाया जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) मजगाँव डाक के पास इस समय भारतीय नौसेना के लिए 4 पोत निर्माणाधीन हैं और असैनिक ग्राहकों के दो । सिवाए एक यात्रिक तथा लादू पोत के अन्य पोत साफिस्टिकेटिड और विशिष्ट पोत हैं और इनकी हालत में टनों के हिसाब में कुल क्षमता ही केवल किसी पोत के निर्माण और आकार प्रकार में अन्तर्ग्रस्त प्रयास नहीं दर्शा पाता । इन पोतों की टनों में लगभग क्षमता 9000 टन की है ।

(ख) और (ग) : कम्पनी को लीएंडर किस्म के एक फ्रिग्रेट का और आर्डर प्राप्त है । जिस पर अभी काम शुरू नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त कम्पनी को भारत की शिपिंग कार्पोरेशन से अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए अभिप्रेत प्रति 10,000 जी० आर० टी के दो यात्रिक पोतों के लिए आर्डर प्राप्त होने वाले हैं ।

भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण

5774. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : **श्री वे० कु० दास चौधरी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के आधुनिकीकरण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) गत दो वर्षों में कितने नये जहाज खरीदे गये और चालू वर्ष में कितने नये जहाज खरीदने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या नये जहाजों के प्राप्त हो जाने पर नौसेना की प्रहार शक्ति बढ़ जायेगी अथवा ये जहाज पुराने जहाजों का स्थान लेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : नौसेना का आधुनिकीकरण एक निरन्तर और लम्बी अवधि की प्रक्रिया है, और सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कई पग उठाए हैं । इनमें शामिल हैं नए पोतों की प्राप्ति, फ्रिग्रेटों, सुरंगध्वंसकों, सागर को जाने वाली रक्षा नौकाओं, टगों और अन्य सहायक पोतों का निर्माण, एक पनडुब्बी पक्ष की स्थापना, ओर गोवा पोर्ट ब्लेयर और विशाखापत्तनम मूल सुविधाओं का विकास । अधिक विस्तार देना सुरक्षा के हित में नहीं है ।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम में इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति अभीष्ट है ।

फ्रांस के सेनाध्यक्ष की भारत यात्रा

5775. **श्री बलराज मधोक :** **श्री हरदयाल देवगण :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1969 में फ्रांस के सेनाध्यक्ष भारत आये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) यह सद्भावना भ्रमण सितम्बर, 1967 में हमारे सेनाध्यक्ष के फ्रांस के भ्रमण के उत्तर में था ।

(ग) इस भ्रमण ने व्यापक सैनिक महत्व के विचारों के आदान प्रदान में अवसर प्राप्त किया था, और दोनों देशों के बीच मैत्री और एक दूसरे को समझने में सहायता की है ।

इण्डोनेशिया की पंचवर्षीय योजना के लिये सहायता

5776. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया के वैदेशिक कार्य मन्त्री जब हाल में भारत आए थे तो उन्होंने इन्डोनेशिया की पंचवर्षीय योजना के लिये भारत से सहायता देने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन्डोनेशिया को उसके विकास के लिये पिछले तीन वर्षों में भारत ने क्या-क्या सहायता दी है ; और

(ग) क्या वर्तमान अनुरोध पर विचार किया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने, इण्डोनेशियाई विकास योजना की परियोजनाओं में, विशेष रूप से, सम्मिलित उद्यमों, तकनीकी सहयोग और निवेश के क्षेत्र में भारत की सहभाजिता का स्वागत किया ।

(ख) भारत सरकार ने 1966 में इण्डोनेशिया को 10 करोड़ रुपए उधार दिए । भारत से मशीन और औद्योगिक उपकरण खरीदने तथा ऐसे औद्योगिक उपकरण को प्रयोग करने में तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए, यह एक प्रकार का दीर्घ कालीन उधार था ।

(ग) जी हां । हालांकि इन्डोनेशियाई विकास योजना में भारत की सहभाजिता के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच सामान्य रूप से समझौता हो गया है, फिर भी इस प्रकार की सहभाजिता के ब्यौरे विचाराधीन हैं ।

ताशकन्द समझौते से सम्बद्ध गोपनीय करार

5778. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री स्वतंत्र सिंह कोठरी :**
श्री गं० चं० दीक्षित : **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री देवेन सेन : **श्री र० वरूआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश दैनिक समाचार-पत्र ने कहा है कि ताशकन्द समझौते के सिलसिले में हस्ताक्षरकर्ता देशों तथा रूस के बीच एक गोपनीय करार है;

(ख) क्या भारतीय दूतावास ने इस समाचार-पत्र में प्रकाशित इस समाचार का खण्डन किया है और यदि हां, तो यह समाचार पत्रों में कब प्रकाशित हुआ था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समाचार में कितनी सच्चाई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) ये तथ्य सर्वविदित हैं और भारत सरकार का विचार है कि यह खबर इतनी खींची गई है कि खण्डन के लायक भी नहीं।

गुजरात में प्रतिरक्षा-आधारित उद्योग

5779. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोई प्रतिरक्षा आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में ऐसे उद्योग की उपयुक्तता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) गुजरात सरकार ने किसी रक्षा उपकरण विशेष के लिए अपने राज्य में स्थान का सुझाव दिया था। तदपि, इसके स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके लिए अन्य भी कई राज्यों ने सुझाव दिए हैं।

(ख) और (ग) : कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

5780. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ किये जाने को स्थगित करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया ;

(ख) क्या अन्य किसी राज्य सरकार ने भी ऐसा सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया है कि, राष्ट्रीय विकास परिषद् के निश्चयानुसार चौथी पंचवर्षीय योजना पहली अप्रैल, 1969 को शुरू होगी।

संयुक्त अरब गणराज्य इसरायल के बीच नई झड़पें

5781. **श्री मधु लिमये :** **श्री रामचंद्र ज० अमीन :**
श्री द० रा० परमार : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त अरब गणराज्य और इसरायल के बीच फिर से हुई नई झड़पों की ओर दिलाया गया है ?

(ख) क्या संयुक्त अरब गणराज्य का सेनाध्यक्ष मारा गया है ; और

(ग) इन नई घटनाओं के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) भारत सरकार पश्चिम एशिया समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है और उसका यह विचार है कि युद्धविराम रेखा का निष्ठापूर्वक सम्मान किया जाए। वह अभी भी नवम्बर 22, 1967 को पारित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करती है और इसे कार्यान्वित करने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अभ्रक का निर्यात

5782. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों को भारत से अभ्रक आयात किया जाता है और वर्ष 1966-67 और 1967-68 में कितनी-कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया ;

(ख) इसके निर्यात के मामले में भारत को किन-किन देशों से मुकाबला करना पड़ता है ; और

(ग) भारत के वैदेशिक व्यापार पर इस प्रतियोगिता का क्या प्रभाव पड़ता है ?

वैदेशिक, व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 662/69]

(ख) और (ग) : ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका अभ्रक के अन्य महत्वपूर्ण निर्यातक है। उन देशों का अभ्रक मस्कोवाइट प्रकार का (जैसा भारत का है) न होकर फ्लोगोपाइट प्रकार का है।

परमाणु शक्ति का बड़े पैमाने पर उत्पादन

5783. **श्री उमा नाथ :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री के० रमानी : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक के कथित सुझाव की ओर दिलाया गया है कि परमाणु शक्ति का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिये "आर्थिक तथा भौतिक" कार्यवाही करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिसमें परमाणु शक्ति जल-विद्युत के तुलनात्मक मूल्यों पर उपलब्ध हो सके ।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हां ।

(ख) यह आशा की जाती है कि और बड़े साइज़ के परमाणु बिजली घर बनाये जाने तथा नाभिकीय इंजीनियरी सम्बन्धी प्राद्यौगिकी का अधिक विकास होने के साथ साथ परमाणु बिजली की कीमत और कम हो जायेगी ।

Civilian Employees of Hindon Airport

5784. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the civilian employees of Hindon Airport who live in Delhi are getting House Rent and Dearness Allowances at the rates admissible for Delhi and those who live in Gaziabad get these allowances at the rates admissible for Gaziabad ;

(b) whether it is also a fact that the employees of Hindon Airport who live in a village near Hindon are not given the said allowances ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) **to** (c) : Dearness Allowance is admissible to civilian employees at the prescribed rate throughout India, irrespective of the station at which they are employed. However, regarding House Rent Allowance, the civilian employees of Hindon Airport get it at Delhi rates, if they live in Delhi and at Gaziabad rates if they live in Gaziabad. They do not get it at all, if they live in a village near Hindon. This is because such a village is not a classified town for the purpose of grant of House Rent Allowance. Yet, as a very special case, an overall compensatory allowance has been sanctioned for the civilian employees residing at Hindon and villages round it.

Bad Condition of Quarters in More Lane at Palam Airport

5785. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quarter situated in More-Lane at Palam Airport have become very old and are in a very bad condition ;

(b) whether Government are making arrangements for constructing new quarters in their place ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether it is also a fact that public hydrants have been provided for these quarters and if so, the reasons for which Rs. 4-5 are charged every month from each of the employees as water charges ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) No, Sir ; presumbaly the reference is to the quarters situated at 'Maude Lines'.

(b) and (c) : Do not arise.

(d) No public hydrants have been provided for these quarters. However, a water point is provided outside each block for the supply of fresh water to the occupants. A flat rate of Rs. 4.50 per month is charged for each quarter as per the existing rules. Individual taps and meters in each quarter have been installed recently and improved water supply is expected to materialise soon, when everyone will be charged according to the meter reading.

M. T. Drivers of Halwara Airport in Punjab

5786. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that notices have been served on the M. T. Drivers of Halwara Airport in Punjab for termination of their services ;

(b) if so, number of such drivers and the period of service rendered by each of them ;

(c) whether Government would provide alternative jobs to these Drivers ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (d) : Notices of termination of service had been served on 23 civilian M. T. Drivers employed against Airmen vacancies at the Air Force Station, Halwara in November, 1968. Those notices were subsequently withdrawn as it was possible to continue the employment of the surplus civilian drivers.

त्रिवेन्द्रम में रबड़, काजू, काली मिर्च आदि के लिये प्रादेशिक कार्यालय की स्थापना

5787. **श्री मंगलाथ् माडोम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम में रबड़, काजू, काली मिर्च आदि जैसी वस्तुओं का प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक):

(क) त्रिवेन्द्रम में पहले ही रबड़ बोर्ड का एक प्रादेशिक कार्यालय है। सरकार का त्रिवेन्द्रम में काजू, काली मिर्च जैसी वस्तुओं के लिये कोई प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बेकार पड़ी भूमि में खेती करने की योजना

5788. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को खेती के लिए बेकार पड़ी भूमि देने की मद्रास सरकार की योजना का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों को भी इसी तरह की योजनायें क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) : तामिलनाडु सरकार ने सेवा कर रहे और भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि अलाट करने का अधिकारी बना दिया है कि (उन द्वारा विद्यमान धारण की गई भूमि, अगर कोई हो) कुल खुश्क भूमि 5 एकड़ और तर भूमि ढ़ाई एकड़ हो जाए। ऐसी प्रायोजनाएं अन्य राज्यों में भी हैं।

भारत सरकार ने जनवरी, 1963 में सभी राज्य सरकारों को कहा था कि फालतू कृषि भूमि उन सेवा सेविवर्ग के आश्रितों को जो मारे गए हों, और भूतपूर्व सैनिकों को भी अलाट की जाए ; विशेष प्राथमिकता उन सेविवर्ग को दी जाए जिन्हें बीरता के लिए विभूषित किया गया हो।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

5789. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न डिवीजनों पर अपव्यय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हाल में, विदेश मंत्रालय में कोई महत्वपूर्ण पुनर्गठन नहीं हुआ है, लेकिन और अधिक गति और कुशलता लाने के विचार से प्रभागों में कार्यों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

(ख) विभिन्न प्रभागों के कर्मचारियों की संख्या पर आन्तरिक कार्य-अध्ययन एकक द्वारा निरंतर ध्यान रखा जाता है और जहाँ भी संभव हो किफायतसारी की जाती है।

संयुक्त अरब गणराज्य को साड़ियों और आभूषणों का निर्यात

5790. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय साड़ियों और आभूषणों के लिए बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहाँ किसी खास किस्म या मार्क की साड़ियों और आभूषणों की मांग है अथवा उनकी मिली-जुली किस्मों की ;

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य को अच्छी किस्म की साड़ियों और आभूषणों आदि के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) वर्ष 1967-68 और 1969 में अब तक इन दो वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) नगण्य ।

चौथी योजना में खोले जाने वाले नये सैनिक स्कूल

5791. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कितने नये सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) इस वर्ष ऐसे कितने स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बारे में भिन्नभिन्न राज्यों से कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सैनिक स्कूलों के बोर्ड आफ गवर्नर्ज की सोसायटी ने कूर्ग जिले में एक दूसरा सैनिक स्कूल खोलने संबन्धी मैसूर सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । स्कूल राज्य सरकार द्वारा भवन प्रायोजना की पहली प्रावस्था सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही शुरू किया जा सकता कि है, जिन्होंने इस प्रायोजना पर कार्य शुरू कर दिया है ।

(ग) भूतकाल में तामिलनाडु, मध्यप्रदेश और हरियाणा में एक-एक और सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव थे, परन्तु राज्य सरकारों में उन्हें निलम्बित कर दिया था । हरियाणा सरकार ने झज्जर में एक सैनिक स्कूल खोलने संबन्धी अपने प्रस्ताव को हाल में दुहराया है, परन्तु उन्होंने अभी अपनी बचनबद्धता स्वीकार नहीं की । जभी ऐसा हुआ बोर्ड आफ गवर्नर्ज प्रस्ताव पर विचार करेगा ।

बख्तरबन्द रेजिमेंटों के पास उपकरणों का अभाव

5792. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बख्तरबन्द रेजिमेंटों के हमारे टैंक कर्मी-दलों के पास उनके अत्यावश्यक प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण पूरक उपकरणों अर्थात् एन्टी स्कैच ड्राइविंग गागलों डस्टप्रूफ फिल्टर मार्कों तथा एन्टी फ्लेन डंगरैसे की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : टैंक के कार्मिकों के लिए जातो साज़सामान में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किया जाता है। एक नई किस्म के गागल और सुधार किए गये साफिस्टिकेटिड, चहरे के आवरण पुरस्थापन किये जाने के लिए विचारे जा रहे हैं, जो आशा है वर्तमान गागलों और चहरे के आवरणों से अधिक कृत्य निष्पन्न करेंगे। अग्निशिखाओं से सुरक्षित डांगरियों के संबन्ध में यह कहा जा सकता है, कि अग्नि सुरक्षित दृव्यों से तैयार की गई डांगरियों का प्रयोग संसार में शायद ही कोई सेनाएँ करती हों ।

अहमदाबाद स्थित नई कपड़ा मिलें

5793. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन परिस्थितियों के बारे में समाचार मिले हैं जिनमें अहमदाबाद स्थित न्यू टैक्स्टाइल मिल्स को बन्द किया गया था।

(ख) क्या इस मिल को पुनः चालू करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों की क्या स्थिति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ) : मिल के मामले की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक जाँच समिति नियुक्ति की गई थी और राज्य सरकार के परामर्श से समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच पूर्वी नदी परियोजना के बारे में सचिवीय स्तर पर सम्मेलन

5794. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री वे० कु० दास चौधरी** :
श्री देवकीनन्दन पाटौदिया : **श्री शिव चन्द्र झा** :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 मार्च, 1969 को इस्लामाबाद में पूर्वी नदी परियोजना के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने भारत और पाकिस्तान के बीच मंत्रि स्तर पर एक सम्मेलन बुलाने की मांग की थी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : इस्लामाबाद में 21 से 26 मार्च 1969 तक वह सम्मेलन हुआ।

(ख) पूर्वी नदियों के संबन्ध में और आंकड़ों का विनिमय किया गया और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि जुलाई 1969 के आरम्भ में सचिवों की दूसरी बैठक हो। इन बैठकों का उद्देश्य जैसा कि सदन को मालूम है, तकनीकी विचार विमर्श के मामले में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करना और तकनीकी स्तर की बातचीत को तेज करने और उसमें गति लाने की कार्य-विधियाँ स्थापित करना है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार का यह विचार है कि प्रधान मंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब के बीच 1961 में हुए करार में जो व्यवस्था की गई थी उसके अनुसार जब तक दोनों पक्षों के संतोष के अनुरूप तकनीकी सामग्री का विनिमय न हो, तब तक मन्त्रीय स्तर की बैठक बुलाने के प्रश्न पर अभी विचार करना ठीक नहीं होगा।

मार्च, 1969 में चीन में प्रशिक्षित भूमिगत नागाओं के साथ मुठभेड़

5795. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 200 छिपे नागाओं की सीमा सुरक्षा दल के साथ वर्मा की सीमा के निकट किफिहिरे में मार्च 1969 के तीसरे सप्ताह में मुठभेड़ हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने नागाओं को गिरफ्तार किया गया है तथा विद्रोही नागाओं से क्या-क्या हथियार आदि पकड़े गये हैं;

(ग) दोनों ओर कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं; और

(घ) ऐसी मुठभेड़ पुनः न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : मार्च, 1969 के तीसरे सप्ताह में सुरक्षा सेनाओं और चीन से लौटे आईज़क स्वू के दल की टुकड़ियों में किफीरे के निकट कई संघर्ष हुए थे। दल की ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। ध्यान 1-4-1969 को सभा के पटल पर रखे गए विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें बताया गया था कि हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप आईकज़क स्वू का दल कई छोटे दलों में बँट गया था। सुरक्षा सेनाओं ने दलों का पीछा जारी रखा अध्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार हमारी सुरक्षा सेनाओं के साथ मुठभेड़ों और संघर्षों में आईज़क स्वू के दल के 90 व्यक्ति पकड़े गए हैं, और 3 मारे गए हैं। हमारी ओर से केवल 1 हताहत हुआ है, अर्थात् एक अफसर घायल हुआ है। हमारी सुरक्षा सेनाओं ने अब तक इस दल से 98 हथियार पकड़े हैं।

भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच बातचीत

5796. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1969 में भारत में पश्चिम जर्मनी तथा भारत के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय प्रश्नों के व्यापक क्षेत्र पर, मित्रता तथा समझ-बूझ की भावना से, विचार विनिमय किया। उन्होंने उन उपायों के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया, जिनसे आर्थिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत और जर्मन संघ गणराज्य के बीच और सहयोग बढ़े। इस प्रकार के परामर्श गोपनीय हैं और विचार-विमर्श के ब्यौरे को बताने की प्रथा नहीं है।

नेपाल में संयुक्त औद्योगिक उद्यम

5797. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में संयुक्त औद्योगिक उद्यम स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) : नेपाल की महामहिम सरकार तथा भारत सरकार, नेपाल के औद्योगिकीकरण के कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु एक संयुक्त औद्योगिक सहयोग परिषद स्थापित करने पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है। परिषद को सौंपे जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में नेपाल की महामहिमा सरकार के सुझाव की प्रतीक्षा है।

Families Rendered Unemployed due to Cancellation of Leases of their land in Sagar Cantonment (M. P.)

5798. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 500 families on the 700 acres of land in Sagar Cantonment, Madhya Pradesh have been producing vegetables in those lands for the last more than 100 years ;

(b) whether it is also a fact that notices cancelling the lease of their land have been served on them which has rendered them unemployed and homeless ;

(c) if so, whether Government propose to withdraw those notices and if not, the reasons therefor ; and

(d) whether any alternative land is proposed to be given to them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) An area of about 707 acres of land in Saugor Cantonment is on lease for agricultural purposes to 106 lessee for a considerable period.

(b) No, Sir.

(c) **and** (d) : Do not arise.

रेल की पटरियों तथा माल डिब्बों का निर्यात

5799. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन देशों ने रेल की पटरियों तथा माल डिब्बों के खरीदने के लिये क्रयादेश दिये हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

रेल के माल डिब्बों तथा पटरियों के सामान का निर्यात निर्बाध है अतः सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ही निर्यातकों द्वारा निर्यात-आदेश प्राप्त किये जा सकते हैं। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय निर्यातकों को प्राप्त निर्यात-आदेश दिखाये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 663/69]

चलचित्र निर्माताओं द्वारा भारतीय गीतों के रिकार्डों की मलयेशिया में चोरी का विरोध

5800. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्माता संघ तथा भारतीय ग्रामोफोन उद्योग के भारतीय गीतों के रिकार्डों की चोरी के बारे में मलयेशिया के उच्चायुक्त से विरोध प्रकट किया है तथा मलयेशिया सरकार से प्रतिलिप्याधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है।

(ख) क्या इस संबंध में भारत सरकार से भी निवेदन किया गया है ; और

(ग) मलयेशिया में भारतीय फिल्म उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जी हां। यह बात हमारी जानकारी में लाई गई है। हम राजनयिक स्तर पर मलयेशिया सरकार के साथ इस मामले को उठा रहे हैं।

साझा बाजार के देशों को पटसन का निर्यात

5801. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साझा बाजार के देशों ने भारतीय पटसन के लिये अधिक मूल्य देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके साथ शर्तें अच्छी करने के बारे में हुई बातचीत असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो पटसन के लिये उपयुक्त बाजार ढूंढने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) संभवतः यहां पटसन के माल से अभिप्राय है। चालू मौसम में पटसन की अत्यन्त कम फसल होने के कारण पटसन के माल के मूल्य असामान्य रूप में ऊँचे स्तर पर रहे। फलतः साझा बाजार के देशों तथा अन्य देशों को निर्यातों में गिरावट आ गयी।

(ख) जी नहीं। कोटे तथा मूल्यों के सम्बन्ध में यूरोपीय साझा बाजार के साथ बातचीत चल रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स लीवर ब्रादर्स इंडिया लिमिटेड

5802. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि मैसर्स लीवर ब्रादर्स इंडिया लिमिटेड ने 1967-68 तथा 1968-69 में गाय, सूअर आदि पशुओं की चर्बी का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की चर्बी का आयात किया गया था;

(ग) क्या इस कम्पनी को कानूनी तौर पर चर्बी का आयात करने की अनुमति थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) : जी नहीं । हां, 1967-68 तथा 1988-69 में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० को चर्बी के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस दिये गये थे :

मूल्य हजार रु० में

1967-68		1968-69	
संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
16	3,20,35	11	3,87

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

गाय, सूअर आदि पशुओं की चर्बी का आयात

5803. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से गाय और सूअर की चर्बी का आयात करने वाली कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) क्या इन पशुओं की चर्बी का निर्यात भी किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) गाय तथा सुअर की चर्बी के आयात के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें उन फर्मों के नाम दिये गये हैं जिन्हें वर्ष, 1967-68 में चर्बी के आयात के लिए लाइसेंस दिये गये थे [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 664/69]

(ख) और (ग) : जी नहीं । वर्ष 1968-69 में भेड़ आदि की चर्बी के नगन्य परिमाण का निर्यात किया गया ।

मेसर्स मोडेला वूलन मिल्स को ऊन का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस

5804. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मोडेला वूलन मिल्स को कच्ची ऊन का आयात करने के लिये वर्ष 1967-68 से कोई परमिट दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी ऊन का आयात करने के लिये परमिट दिये गये हैं तथा ये परमिट किन-किन तारीखों को दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल में उपर्युक्त मिल की एक गांठ जब्त कर ली थी क्योंकि उसमें आयात-निर्यात परमिट से अधिक मात्रा में ऊन पाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यबाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त कम्पनी ऐसा पहले भी कर रही थी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) : 1967-68 में मैसर्स मौडेला वूलन मिल्स लि० को कोई सीमाशुल्क निकासी परमिट नहीं दिया गया । किन्तु 24 जुलाई, 1964 को मिल को एक करोड़ रु० के लिये एक सीमाशुल्क निकासी परमिट दिया गया था जो 20 लाख पौंड की मात्रा के लिये था और इसकी वैधता को 31 मार्च, 1969 तक बढ़ाया गया था ।

(ग) और (घ) : 10,62,717 रु० के मूल्य के ग्रीज ऊन की 2,76,129 पौंड की मात्रा की छः खेपों को बम्बई में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने पकड़ा था परन्तु बाद में, सम्बद्ध दस्तावेजों के पुनः सत्यापन के उपरान्त उन्हें, वस्त्र आयुक्त तथा आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक, बम्बई के परामर्श से छोड़ दिया ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

इलायची बोर्ड, केरल के चेयरमैन

5805. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में इलायची बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध आरोपों की जो 10 मार्च, 1969 के दैनिक 'देशाभिमानी' के कोचीन संस्करण में प्रकाशित हुए थे, जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बम्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

कपड़ा मिलों द्वारा की गई अनियमितताएँ

5806. **श्री शशि भूषण :** **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1960 से अक्तूबर, 1964 तक सूती कपड़े के उत्पादन और मूल्यों पर नियंत्रण था;

(ख) क्या सरकार को 17 दिसम्बर, 1968 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्माताओं द्वारा की गई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है;

(ग) तत्कालीन वाणिज्य मंत्री द्वारा 10 सितम्बर, 1964 को दिये गये वक्तव्य के सन्दर्भ में उन मिल-मालिकों और तीन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन पर निर्धारित अधिकतम कारखाना द्वारा मूल्य से अधिक मूल्य कपड़े पर छापे जाने या अधिक मूल्य लिये जाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था;

(घ) क्या नियंत्रण योजना के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यों से 17 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक अधिक मूल्य लेकर उपरोक्त मूल्य-नियंत्रण का उल्लंघन करने वाले कुछ प्रभावशाली कपड़ा मिलों, सेंट्रल इंडिया वीविंग, स्पिनिंग एण्ड मेनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, नागपुर, एम्प्रेस मिल्स, नागपुर और बिरला काटन मिल्स लिमिटेड, दिल्ली के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) यद्यपि सूती कपड़ों का उत्पादन सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अन्तर्गत नियंत्रित किया जा रहा था, तथापि सितम्बर, 1960 से अक्तूबर, 1964 तक सूती कपड़ों पर कानूनी आधार पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं था ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) से (ङ) : कानूनी मूल्य नियंत्रण के अभाव में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसी पार्टी के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रश्न नहीं उठा जिसने अधिक मूल्य लिए हों । किन्तु, इस मामले के कुछ पहलू इस समय विधि न्यायालय के समक्ष हैं ।

ऊन के आयात के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुमति-पत्र

5807. **श्री स० आ० अगड़ी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा आयुक्त, बम्बई ने हिमाचल प्रदेश सरकार को उतने आयात के लिये अनुमति-पत्र दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो 1967-68 से अब तक विभिन्न अवसरों पर कितनी मात्रा में ऊन, वरस्टेड कपड़े के धागे और होज़री के धागे का आयात किया गया;

(ग) क्या इस प्रकार आयात की गई ऊन को बाद में पंजाब भेजने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग को बुनाई और हौजरी एककों के लिये किन कारणों से ऊन के आयात की अनुमति दी गई थी;

(ङ) सरकार ने किन परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित शर्तों को बदला था;

(च) क्या इन शर्तों में ढील देने से पहले कपड़ा आयुक्त, बम्बई से सलाह की गयी थी; और

(छ) क्या अनुमतिपत्र देने के बाद इस प्रकार की ढील सरकार की कच्चे माल के आयात सम्बन्धी नीति के अनुरूप है?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल-सितम्बर, 1968 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 12.5 लाख रु० मूल्य की आयातित ऊन का आबंटन किया। यह कोटा विगत में आयातित ऊन का प्रयोग करने वाले हिमाचल प्रदेश के हथकरघों को वितरित किया जाना था। परमिट हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा ऊन के आयात के लिए नहीं था अपितु राज्य व्यापार निगम द्वारा, जो नवम्बर, 1967 से देश की आवश्यकता को सम्पूर्ण ऊन का आयात करता है, आयातित ऊन में से उसके लिये आबंटन के लिए था।

(ख) वर्स्टेड बुनाई धागे तथा हौजरी धागे के आयात की अनुमति नहीं है। अभी तक आबंटित ऊन के किसी भी परिमाण की सुपुर्दगी हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं की गयी है।

(ग) से (छ) : प्रश्न नहीं उठते।

यूरोपीय साझा बाजार द्वारा प्रशुल्क में छूट

5808. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार से प्रशुल्क में छूट लेने के लिये गत 6 मास में कोई ऐसे नये प्रस्ताव किये गये हैं जिससे यूरोपीय साझा बाजार को किये जाने वाले भारतीय निर्यात हितों को सुरक्षित रखा जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी छूट किस-किस वस्तु के बारे में मांगी गई थी और कितनी छूट माँगी गई थी तथा यूरोपीय साझा बाजार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (ख) : भारत सरकार भारत के विशेष निर्यात हित की मदों पर लगने वाली टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने/समाप्त करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सतत आधार पर अनुरोध करता रहा है।

अनेक भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाना स्थगित करने के उपायों को जारी रखने के अतिरिक्त, समुदाय ने हाल ही में बिना पिसी काली मिर्च पर लगने वाले सीमा शुल्क को (गैर-औद्योगिक प्रयोजनों के लिए) 17 प्र० श० से 10 प्र० श० तथा (औद्योगिक प्रयोजनों के लिए) 17 प्र० श० से शून्य प्र० श० कर दिया है।

पटसन के माल, नारियल जटा उत्पाद तथा चुने हुए हस्तशिल्पों के बारे में आजकल बातचीत चल रही है।

Import of Raw Materials by State Trading Corporation

5809. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the matter of imports, increased activities of the State Trading Corporation have been opposed by the industrialists in India ;

(b) if so, whether Government propose to restrict the expansion of S. T. C's activities in the field of imports ;

(c) if so, its likely impact on the business and capital of the public sector ; and

(d) whether it is a fact that vested interests and powers are making organised efforts to arrest such expansion in the public Sector in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :

(a) Representations have been received narrating difficulties that may arise if canalisation of all imports of industrial raw materials through the State Trading Corporation is introduced.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Apart from such representations, Goverment are not aware of any organised efforts to arrest the expansion of the activities of the S. T. C.

संचार और दूरदर्शन के लिए राष्ट्रीय उपग्रह व्यवस्था

5810. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार तथा दूरदर्शन के लिये एक राष्ट्रीय उपग्रह व्यवस्था स्थापित किये जाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति ने इस सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) : संचार और दूरदर्शन के लियें राष्ट्रीय उपग्रह व्यवस्था करने के लिये जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है जो अभी विचाराधीन है ।

नेपाल से संश्लिष्ट रेशे और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का आयात

5811. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल से संश्लिष्ट रेशे और स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के आयात को सीमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक)

काठमांडू में नवम्बर, 1968 में भारत तथा नेपाल के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के फलस्वरूप नेपाल सरकार भारत को संश्लिष्ट धागे तथा अधिकारी इस्पात उत्पादों के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने तथा इन मदों के उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा के आबंटन को भी 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिए सहमत हो गई है। इन उपायों की कारगरता की समीक्षा अन्तः सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक में की जायेगी।

तम्बाकू का निर्यात

5812. **श्री को० सूर्यनारायण :** **श्री जी० एस० रेड्डी :**
श्री पी० ऐन्थनी रेडडी : **श्रीमती राधाबाई :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में धुआँ देकर तैयार किया हुआ वर्जीनिया तम्बाकू और देशी तम्बाकू कितनी मात्रा में इकट्ठा हो गया है और स्टाक निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई की एक ऐसी फर्म के, जिसका तम्बाकू व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है, वस्तु विनिमय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और फालतू स्टाक वाली एक फर्म के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है जिसके अनुसार अन्य देशों को द्विपक्षीय आधार पर फालतू तम्बाकू के निर्यात के बदले उनसे ट्रेक्टरों का आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) इस समय लगभग 90 लाख कि० ग्रा० 'फूलूक्योर्ड' वर्जिनिया तम्बाकू तथा 10 लाख कि० ग्रा० देशी तम्बाकू के जमा भंडार का अनुमान है। निर्यातों द्वारा इन भंडारों की निकासी करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) 1968 तथा उससे पूर्व की फसल के निम्न ग्रेड के 'फ्लूक्यार्ड' वर्जिनिया तम्बाकू के न्यूनतम निर्यात मूल्यों में क्रमशः 20 प्र० श० तथा 25 प्र० श० तक कमी कर दी गयी है।

(2) 1.5 करोड़ रु० मूल्य के निम्न ग्रेड के 'फ्लूक्योर्ड' वर्जिनिया तम्बाकू के निर्यात के लिए वस्तु-विनिमय सौदे की मंज़ूरी दे दी गयी है।

(3) नये बाजारों का पता लगाने के लिए दिसम्बर, 1968 में एक तम्बाकू प्रतिनिधि-मंडल यूरोप भेजा गया था।

(ख) बम्बई की एक फर्म के, जो नियमित तम्बाकू विक्रेता नहीं है, एक वस्तु-विनिमय प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। उस समय वस्तु-विनिमय के अधीन तम्बाकू के निर्यात के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं था।

(ग) जी नहीं।

यूरोपीय साझा बाज़ार के देशों को पटसन के माल का निर्यात

5813. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ गलीचों की पट्टियों और पटसन के अन्य माल के निर्यात के लिये हाल में बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों ओर से क्या-क्या प्रस्ताव किये गये;

(ग) बातचीत का क्या परिणाम रहा; और

(घ) 1969-70 में यूरोपीय साझा बाज़ार के देशों को पटसन के माल के निर्यात की क्या सम्भावनाएँ हैं और यह 1967-68 और 1968-69 के तत्सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में कैसी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) : चूंकि इस समय बातचीत चल रही है अतः इस अवस्था में उसके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(घ) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में (अप्रैल से दिसम्बर 1968 तक के 9 महीनों के लिए) पटसन के माल के निर्यात निम्नलिखित थे :—

वर्ष	परिमाण (हजार टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1967-68	37.92	10.05
1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर, 68)	20.80	7.12

इनमें से गलीचों की पट्टियों के कपड़े का निर्यात इस प्रकार हुआ :

1967-68	4.29	1.72
1968-69 (अप्रैल-दिसम्बर 68)	4.45	2.36

यूरोपीय साझा बाजार के देशों को 1969-70 में गलीचों की पट्टियों के कपड़े के निर्यात के बारे में सम्भावनायें अच्छी हैं।

Mount Everest Expeditions

5814. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Nepal have recently imposed strict financial conditions in regard to the future Mount Everest expeditions ; and

(b) if so, Government's reaction thereto in so far as Indian mountaineering expeditions are concerned ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) The Government of Nepal have this year revised their rules governing mountaineering expeditions. The financial conditions in regard to future expeditions to Mount Everest appear to have been rationalised, and have not been made stringent.

(b) The new rules do not appear discriminatory in any way for future Indian mountaineering expeditions in Nepal.

बालासोर (उड़ीसा) के प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्टल डिपार्टमेन्ट के एक भूतपूर्व वरिष्ट अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

5815. **श्री स० कुण्डू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक संसत्सदस्य तथा उड़ीसा विधान सभा के एक सदस्य की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई है कि प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमैण्टल एस्टेब्लिशमेंट बालासोर, उड़ीसा के एक भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर, भ्रष्टाचार आदि आरोपों के बारे में सैनिक विभाग के एक कनिष्ठ अधिकारी ने जांच की है, तथा क्या उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट के पश्चात् जांच को दबाने का प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लगाये गये आरोप सही हैं और यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि इस मामले को दबाया न जाये ;

(ग) क्या इन पत्रों के उत्तर दे दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन के साथ सलाह मशविरे से फैसला किया गया है कि एस० पी० ई० की रिपोर्ट में बताए गए आरोपों की केन्द्रीय कमान के मुख्यालयों द्वारा आगे जांच की जाए। यह सच है कि आगे जांच करने के लिए केन्द्रीय कमान ने जूनियर अफसर को नियुक्त किया था। तदपि, जभी यह तथ्य सेना मुख्यालयों के ध्यान में आया केन्द्रीय कमान के मुख्यालयों को सेना के लिए विनियमों के अधीन उपयुक्त पद के अफसर की अध्यक्षता में एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी नियुक्त करने के लिए निदेश जारी किए गए थे। जभी कोर्ट आफ इन्क्वायरी की कार्यवाही सम्पूर्ण हुई इस मामले में अन्तिम कार्यवाही केन्द्रीय विजिलेंस कमीशन के सलाह मशविरे से की जाएगी। मामले को ठप किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में अणुशक्ति स्टेशन की स्थापना

5816. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि प्रस्तावित चौथा अणु शक्ति स्टेशन आंध्र प्रदेश में सोविथासिला में स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु अक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य में कोई नया परमाणु बिजली घर लगाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

नागालैंड में सामान्य स्थिति लाने के लिये प्रबन्ध

5817. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागालैंड विधान सभा में प्रतिनिधित्व वाले दोनों गुटों, छिपे नागाओं के दोनों गुटों तथा नये मध्यमार्गी नागा गुट में हुए विवादों की ओर दिलाया गया है ताकि नागालैंड में सामान्य स्थिति लाने के लिये कोई प्रबन्ध करने के हेतु सहमति प्राप्त की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो यह बातचीत किस प्रक्रम पर पहुँची है और क्या सरकार को कोई सर्वमान्य समझौता प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (ग) : नागालैंड में शान्ति प्रेक्षक दल के संयोजक, डा० आरम ने, मार्च, 1969 में, दिल्ली नागरिक परिषद् की बैठक में जो भाषण दिया था, उसके सम्बन्ध में सरकार ने अखबारी खबरें देखी हैं; अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह कहा है कि नागालैंड में चार राजनीतिक दल, नागालैंड की विधान सभा में दो दल और छिपे नागाओं के दो गुट, नागालैंड समस्या के समाधान के लिए, किसी एक मत पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर सरकार को न किसी प्रकार की जानकारी है न इस मामले में सरकार के सामने कोई सम्मत प्रस्ताव आया है।

बिना रसीदी टिकट के प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को वेतन देना

5818. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को अब भी उनका वेतन प्रति मास बिना सामान्य रसीदी टिकट के दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कुल कितने राजस्व की हानि हुई ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ऐसे सभी अधिकारियों को रसीदी टिकट लगाकर मासिक वेतन बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद वेतन मिलता था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) **और** (ख) सिवाए (1) फील्ड सेवा या संक्रियात्मक क्षेत्रों में या सागर में भारतीय नौसेना पोतों में सेवा करने वाले सेवाधिकारियों के कि जिन्हें विशेष छूट दी गई है ; (2) अक्सर सेना अफसर के कि जिनकी हालत में बिल्ले और रसीद पेश करने की प्रणाली लागू नहीं है बल्कि इसके स्थान पर वेतन बैंकों को भेज दिए जाते हैं जो प्राप्त हुए चैकों के लिए टिकट सहित रसीदें पेश करते हैं ; (3) नौसैनिक अफसरों के जो प्रायः उसी क्रिया को अपनाना पसन्द करते हैं जो सेना अफसर अपनाए हैं, सभी सेवाधिकारी अपने वेतन इक्विटेन्स रोल द्वारा प्राप्त करते हैं और उनके विरुद्ध संविधि द्वारा वांछित टिकट सहित हस्ताक्षर करते हैं।

(ग) जी हां।

कलकत्ता का विकास

5819. **डा० रानेन सेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता के विकास के लिए 40 करोड़ रुपये के नियतन का प्रस्ताव किया है और इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अण्-शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के बाद ही योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में अनुसूचित जातियों के राजपत्रित अधिकारी

5820. **श्री रामजी राम** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने राजपत्रित पद हैं ;

(ख) उसमें से स्थायी पदों पर स्थायी किये गये अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारी हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अण-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) प्रथम श्रेणी—29, जिसमें से 11 पद स्थायी हैं ।

द्वितीय श्रेणी—88, जिसमें से 64 पद स्थायी हैं ।

(ख) एक अनुसूचित जाति का अधिकारी तदर्थ आधार पर अस्थायी प्रथम श्रेणी के पद पर है; इस समय निदेशालय में मौलिक रूप से प्रथम श्रेणी के पद पर कोई अधिकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय में प्रथम श्रेणी के किसी पद पर स्थायीकरण नहीं किया जाता प्रत्युत भारतीय सांख्यिकीय सेवा के सम्बद्ध ग्रेड (पदक्रम) में किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों के लिए किसी सेवा में आरक्षण जिस विभाग में वे काम करते हैं उसके अनुसार न होकर समग्र रूप से होता है ।

इस निदेशालय में तीन अनुसूचित जाति के अधिकारी द्वितीय श्रेणी के पद पर हैं । द्वितीय श्रेणी के कुछ अधिकारियों (अधीक्षकों) की पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न विचाराधीन है और इस मामले के निर्णय के उपरान्त स्थायीकरण किया जायेगा ।

(ग) और (घ) इस निदेशालय के प्रथम श्रेणी के पद भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने को हैं और निदेशालय में इस श्रेणी में अनुसूचित जातियों के लिए अलग से कोटा (यथांश) नहीं है । इस निदेशालय में द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों की भरती के कोटे (यथांश) में एक की कमी है । एक सुयोग्य प्रत्याशी (उम्मीदवार) के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है ।

Strike by Sweepers of Faizabad Cantonment Board

5821. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the sweepers of the Faizabad (U. P.) Cantonment Board are on a pay-strike ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have received any memorandum from them ; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) 45 out of 76 sweepers employed by the Faizabad Contonment Board have not drawn their pay since December 1968.

(b) The sweepers desire merger of dearness allowance with basic pay without a drop in gross emoluments. This is under examination.

(c) and (d) : In a memorandum dated 22nd February 1969, the sweepers have represented that they have not got the increase in emoluments sanctioned to them from 1959. The President, Cantonment Board, has explained to them that this is not so.

प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये छुट्टी उदार करना

5822. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने वर्ष 1959 में प्रतिरक्षा संस्थानों में औद्योगिक कर्मचारियों को उदारता पूर्वक छुट्टी देने की सिफारिश की थी परन्तु उन सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इन सिफारिशों को भूतलक्षमी प्रभाव से कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) : "अर्जित छुट्टी" के सम्बन्ध में सिफारिश के सिवाए रक्षा संस्थानों के औद्योगिक कार्मिकों की छुट्टी के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। अर्जित छुट्टी से संबंधित सिफारिश कई हालतों में दी गई उदारता की हानि अन्तर्ग्रस्त थी, विशेष कर उनकी सेवा के पहले कुछ वर्षों के दौरान। सरकार द्वारा निर्णय किया गया था कि मामला संयुक्त मंत्रणा तन्त्र के राष्ट्रीय परिषद के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक व्यापक विषय अर्न्तग्रस्त है। परिषद ने इस पद पर अपनी 12 जुलाई 1968 की बैठक में विचार विमर्श किया था। कार्यालय की ओर से एक विस्तृत नोट उस उद्देश्य से परिचालित किया गया था कि (1) छुट्टी के अधिकार का हिसाब लगाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाए (2) वेतन आयोग की सिफारिशों की परिषद द्वारा पुष्टि कराई जाए। चूंकि कर्मचारीगण का पक्ष इस सुझाव के पूर्ण आशय पर अधिक विचार करने के लिए समय चाहता था, इस मद को स्थगित कर दिया गया था। जब और अगर इसे कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया, तभी इस सिफारिश को लागू करने की तिथि का प्रश्न उठेगा।

Equine Breeding Stud at Hissar (Haryana)

5823. **Shri S. M. Banerjee** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of complaints received since 1968 against Equine Breeding Stud, Hissar (Haryana) ; and

(b) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) and (b) : Information is being collected and a statement will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Persons going Abroad for Treatment

5824. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the rules governing the issue of passports to persons going abroad for medical treatment and rest ;

(b) whether such persons are also required to furnish the details of their diseases ; and

(c) the rules governing the grant of foreign exchange to them to meet their medical expenses in foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) There are no special rules governing the issue of passports to persons going abroad for medical treatment and rest. With the enactment of the Passport Act, 1967, the grant or refusal of passports is regulated in accordance with the provisions of Passports Act.

(b) Such particulars are not required to be given in the application for passport.

(c) Foreign exchange for medical treatment is released by the Reserve Bank of India on receipt of application in the prescribed form. A certificate countersigned by the Chief Administrative Medical Officer of the State concerned is required. In cases where the medical certificates states that inspite of the best treatment available in India, no improvement has taken place and it is necessary in the interest of the health of the patient to seek treatment abroad' foreign exchange is ordinarily released only once. In cases where the ailment is not of a serious chronic nature requiring only seavoyage or rest at a sea-side resort and a proper medical certificate to that effect has been produced, exchange is released once in three years. Doubtful cases in this category are to be referred to the Ministry of Health for clearance.

Trade delegation from West Germany

5825. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether a trade delegation from West Germany visited India in the month of March this year ;

(b) if so, the topics discussed with the delegation ; and

(c) the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c) : A delegation from Federal Republic of Germany led by His Excellency Mr. G. F. Duckwitz, Secretary of State in the Federal Republic of Germany visited India in March, 1969 for bilateral discussions on political, economic, commercial and other matters.

On the trade side, the main subjects discussed were the need for extending the areas of cooperation between two Governments and for more intensive efforts for increasing exports from India to Germany, the visit of a West German trade delegation to India and the

increased assistance to India for participation in the German fairs and exhibitions. The West German delegation agreed to give maximum possible cooperation and assistance to India in all these matters.

सऊदी अरब में हज यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार

5826. **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रियों के साथ वहां की सरकार का भारत विरोधी रवैया होने के कारण दुर्व्यवहार किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा है तथा वहां की सरकार उसकी आवाज की सुनवाई नहीं करती है ;

(ग) जब भारत के एक राज्य मंत्री हज यात्रा पर गये थे तो क्या उनके साथ सऊदी अरेबिया सरकार ने दुर्व्यवहार किया था तथा वहां के भारतीय दूतावास ने प्रभावी रूप से उनकी कोई सहायता नहीं की थी ; और

(घ) हज यात्रियों को इस समय हो रही कठिनाइयों को दूर करने तथा वहां के भारतीय दूतावास के कार्य को यात्रियों के सहायता देने में अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) भारत सरकार को यह जानकारी नहीं है कि भारत के और हाजियों या अन्य देशों के हाजियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उससे भिन्न व्यवहार भारत के किसी भी राज्य मंत्री के साथ दिया गया । जहां तक जेद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास का सम्बन्ध है, सऊदी अरबिया में जो भी हज करने के लिए जाते हैं, राजदूतावास उनके दर्जे का ध्यान में रखे बिना ही उन्हें हर संभव सहयोग देता है ।

(घ) सऊदी अरबिया स्थित भारतीय राजदूतावास अपनी भौतिक और आर्थिक संसाधनों की सीमा में तीर्थ यात्रियों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है और इसके कार्यों का निर्णय सऊदी अरबिया में 15,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों की उपस्थित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जिनकी भिन्न-भिन्न वैयक्तिक समस्याएं होती है । लेकिन, राजदूतावास इनको अधिक से अधिक सहयोग दे सके, इसलिए, जेद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास में एक सहायक हज अधिकारी के पद के सर्जन का निश्चय किया गया है ।

जनरल मोवू अंगामी की गिरफ्तारी

5827. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागा 'सेनाध्यक्ष' 'जनरल' मोवू अंगामी से जिनको नागालैंड में सुरक्षा सेना द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद 16 मार्च, 1969 को विमान द्वारा दिल्ली लाया गया था, पूछताछ पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों का पता लगा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : पूछताछ अभी प्रगतिशील है ।

अंतरिक्ष सम्बन्धी दायित्व सम्मेलन

5828. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच देशों—बेल्जियम, हंगरी, अमरीका, रूस तथा भारत के विशेषज्ञों की अंतरिक्ष सम्बन्धी दायित्व सम्मेलन का प्रारूप तैयार करने के लिये मार्च, 1969 में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। बेल्जियम, हंगरी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, संयुक्त राज्य अमरीका और भारत की नई दिल्ली में 13 मार्च से 21 मार्च 1969 तक बैठक हुई थी ; यह बैठक बाह्य अंतरिक्ष में छोड़े गए यानों से हुई क्षति के दायित्व से संबद्ध अभिसमय के मसौदे के बारे में प्रमुख विवादों पर विचार-विमर्श करने के लिए हुई थी ।

(ख) यह विचार-विमर्श लाभदायक रहा और इससे अभिसमय के मसौदे के बारे में कुछ प्रमुख मसलों को सुलझाने में सहायता मिली ।

(ग) आशा की जाती है कि इस अभिसमय के मसौदे को वाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति की विधि उप समिति के अगले अधिवेशन में अंतिम रूप दिया जाएगा जो जून 1969 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड, में होगी ।

भारत और फ्रांस के संयुक्त उद्यम

5829. **श्री क. प्र. सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल ही में फ्रांस के एक प्रतिनिधि-मंडल के साथ दोनों देशों में और अन्य देशों में भी संयुक्त उद्यम शुरू करने के विषय पर बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) **और (ख)** : 7 से 11 मार्च, 1969 तक भारत-फ्रांसीसी आर्थिक आयोग की बैठक के दौरान अन्य देशों में भारत-फ्रांसीसी सहयोग के प्रश्न पर भी विचार हुआ ।

भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने कहा कि भारत अन्य देशों में विविध प्रकार के उद्योग स्थापित

करने में अब फ्रांस के साथ कारगर ढंग से सहयोग करने की स्थिति में है। इस विषय पर सहमति हो गई कि फ्रांस सरकार पेरिस में भारतीय दूतावास को समय-समय पर उन फ्रांसीसी तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची उपलब्ध करायेगी जो कि अफ्रीका में फ्रेंक क्षेत्र वाले देशों की विकास-आयोजनाओं में सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं ताकि भारतीय उद्यमकर्ताओं तथा सम्बद्ध फ्रांसीसी संगठनों के बीच सीधे संपर्क स्थापित किये जा सकें। इस विषय पर भी सहमति हो गई कि भारतीय पक्ष उन विशिष्ट उद्योगों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनके संबंध में अन्य देशों में संयुक्त भारत-फ्रांसीसी उद्योमों की स्थापना करने में भारत को दिलचस्पी है और यह सूचना फ्रांस सरकार द्वारा सम्बद्ध फ्रांसीसी संगठनों को भेज दी जायेगी ।

इस बात पर भी सहमति हुई कि फ्रांसीसी व्यापार प्रतिनिधि-मंडल जो अक्टूबर/नवम्बर, 1969 में भारत आयेगा, कतिपय ऐसे उद्योगपति भी शामिल होंगे जो कि अन्य देशों में ऐसे उद्यमों के बारे में रुचि रखते हैं। फ्रांसीसी प्रतिनिधि-मंडल ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिये सहमत हो गया।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा रुई का आयात

5830. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुई का आयात राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका से पी० एल० 480 के अंतर्गत रुई खरीदने के साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि उसकी बिक्री सामान्य व्यापार साधनों से करनी पड़ेगी ;

(घ) यदि हां, तो राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से कितना आयात किया जायेगा।

(ङ) क्या राजकीय व्यापार निगम द्वारा इनका आयात अपने हाथ में लिये जाने पर रुई के वर्तमान आयातकर्ताओं को कोई मुआवजा दिया जायेगा ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय भारत में रुई की बिक्री सामान्य व्यापार साधनों से करने की शर्त से है तो उत्तर 'नहीं' में है।

(घ) से (च) : प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू का निर्यात

5832. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितने तम्बाकू का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था ;

(ख) इन वर्षों में देश में कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ;

(ग) इन वर्षों में राज्य व्यापार तथा गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कितना तथा कितने मूल्य का तम्बाकू निर्यात किया गया ; और

(घ) तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) से (घ) : एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 665/69]

Notice Served on Indian Religious Leader in Kenya

5833. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the religious head of the Bohra Community who had gone to Kenya in March, 1969 to study the problems being faced by the immigrants there was served with a notice by the Kenyan Government to leave Kenya within 24 hours ;

(b) whether Government have enquired into the circumstances in which he was served with the said notice as also the nature of the notice ; and

(c) if so, the reasons therefor ; and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) : The Government have come across a recent press report according to which the priest of the Bohra community in Kenya, Mr. Taher Mohyuddin, has been ordered to leave Kenya. Further details are being ascertained from our mission in Nairobi.

ऊन का निर्यात

5834. **श्री गुणानन्द ठाकुर : श्री द० रा० परमार :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन देशों को ऊन का निर्यात कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली ऊन अन्य देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली ऊन की तुलना में घटिया होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऊन की किस्म में सुधार करने के लिये नये तरीके अपनाने और ऊन व्यापार में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने आदि जैसे कुछ कारगर उपाय करने का है ; और

(घ) ऊन के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) और (घ) : एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 666/69]

(ख) भारत से निर्यात की जाने वाली ऊन अधिकांशतः कालीनी किस्म की ऊन से बेहतर होती है।

(ग) भारतीय ऊन के गुण सुधार तथा ऊन के उत्पादन तथा इसके गुण सुधार से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

आयात-निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग

5835. **श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री रामचन्द्र जे० अमीन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में आयात-निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग किये जाने के कारण फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) जिन सरकारी अधिकारियों का लाइसेंसों के दुरुपयोग में हाथ पाया गया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) गैर-सरकारी फर्मों तथा सरकारी अधिकारियों में सांठ गांठ को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) 1968-69 में इस सम्बन्ध में किन-किन फर्मों को काली सूची में रखा गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : 1968-69 के वर्ष में आयात निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के कारण 151 फर्मों/व्यक्तियों को आयात लाइसेंस, सीमाशुल्क निर्बाधिता परमिट आदि प्राप्त करने से वंचित किया गया। वंचित की गई फर्मों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 667/69]

(ग) तथा (घ) इन मामलों में किसी भी अधिकारी का हाथ नहीं पाया गया। फिर भी, आयात/निर्यात लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :

लघु तथा विशाल, दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के मामलों में प्रायोजक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन इकाइयों को आयात लाइसेंस देने के लिये आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से उन की सिफारिश करने से पहले उनके द्वारा पिछली अवधि में आयात किये गये माल के उचित उपयोग की जांच करें। प्राथमिकता प्राप्त उद्योग की इकाइयों के मामले में भी आयात लाइसेंस देने के आवेदनपत्रों के साथ, यह दिखाने के लिये कि पहले आयात किये गये माल का उनके द्वारा उचित उपयोग किया गया है, चार्टर्ड लेखापाल द्वारा उचित रूप से अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना पड़ता है। लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा इन प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं ताकि वे उनके उत्पादन के संदर्भ में वास्तविक उपयोग की जांच कर सकें। जारी किये गये समस्त आयात लाइसेंसों का ब्यौरा संबंद्ध इकाइयों के प्रायोजक प्राधिकारियों को भेजा जाता है ताकि वे वास्तविक आयात तथा आयातित माल के उचित उपयोग की जांच कर सकें। आयात नियंत्रण विनियमनों के दुरुपयोग अथवा अन्य उल्लंघनों के सभी मामलों की सूचना आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी उपबंधों के अन्तर्गत आगे आवश्यक कार्यवाही के लिये आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के प्रवर्त्तन अनुभाग को दी जाती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने

के बाद, अपराध की गंभीरता के अनुसार, आयात लाइसेंस प्राप्त करने तथा आयातित माल के आबंटन से वंचित करने की विभागीय कार्यवाही की जाती है और/अथवा मुकदमा दायर किया जाता है।

भारत की व्यापार प्रणाली

5836. **श्री देवेन सेन :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री किकर सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे भारत ने वस्तु-विनिमय व्यापार समझौते किये हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या है जिन्हें भारत आयातित वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करता है ;

(ग) भारत के लिये कौन सी प्रणाली अधिक लाभदायक और उपयुक्त है ; और

(घ) जिन देशों में दोनों प्रणाली विद्धमान हैं उनके साथ अधिक लाभदायक तथा उपयुक्त व्यापार प्रणाली अपनाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) भारत ने किसी भी देश के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार करार नहीं किया है।

(ख) सुदूर पूर्व के यूरोपीय देशों, सं० अरब गणराज्य, ट्यूनीशिया तथा अफगानिस्तान को छोड़कर, जिन्हें रुपयों में भुगतान किया जाता है, भारत सभी देशों को आयातित मदों का भुगतान विदेशी मुद्रा में कर रहा है।

(ग) और (घ) : वस्तु-विनिमय व्यापार करार प्रणाली लागू न होने के कारण इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

नैपाल से ट्रांजिस्टर रेडियों सेटों के पुर्जों का आयात

5837. **श्री चिति बाबू :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ट्रांजिस्टर रेडियो के पुर्जे भारत में नैपाल से आयात किये जाते हैं और दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में उनको जोड़ कर ट्रांजिस्टर रेडियो बनाये जाते हैं जिन्हें 60 रुपये से 70 रुपये तक के कम मूल्य पर बेचा जाता है और इस प्रकार वह भारतीय रेडियो उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है ;

(ख) क्या इस देश के रेडियो उद्योग अथवा व्यापारियों से इस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : भारत में नैपाल से तीसरे देश के माल के आयात का, जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो के पुर्जों का आयात भी शामिल है, सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती। नैपाल से नैपाली उद्भव के ट्रांजिस्टर रेडियो के पुर्जों का कोई आयात भी ध्यान में नहीं आया है। 1968 के वर्ष में सीमा-

शुल्क प्राधिकारियों से 1805/- रुपये मूल्य के रेडियो के पुर्जे इस संदेह पर पकड़े थे कि उन्हें नैपाल से चोरी छिपे लाया गया है। रेडियो उद्योग अथवा व्यापार से इस विषय पर कोई भी अभ्यावेदन विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सोनाडांगा के निकट भारतीय राज्य क्षेत्र के एक भाग पर पाकिस्तान का दावा

5838. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान पश्चिम बंगाल में मालदा से लगभग 25 मील दूर तलतला सीमा चौकी के अन्तर्गत सोनाडांगा (पश्चिम बंगाल) पर भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय राज्य क्षेत्र के एक भाग पर दावा करने का प्रयास करता रहा है ;

(ख) क्या 22 मार्च, 1969 को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने उन भारतोय किसानों पर गोली चलाई थी, जो अपनी गेहूं की फसलों को काटने के लिये वहां गये थे; और

(ग) भारतीय अधिकारों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारतीय सीमा सुरक्षा दल ने आत्म-रक्षा के जवाब में गोली चलाई थी। बाद में, 24 मार्च, 1969 को दोनों और के सेक्टर कमांडरों की बैठक हुई थी और स्थिति सामान्य हो गई ।

सिंध, पाकिस्तान से जाने वाले शरणार्थी

5839. श्री **क० प्र० सिंहदेव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ दिनों से पाकिस्तान में सिंध से बहुत से व्यक्ति हुसैनीवाला सीमा से होकर भारत आते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में सिंध से कितने व्यक्ति भारत आये हैं ;

(ग) उनके यहां आने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : **(क) और (ख)** : प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले महीनों में (अगस्त 1968 से जनवरी 1969 तक) अल्पसंख्यक वर्ग के 1814 लोग पश्चिम पाकिस्तान से भारत आए। उनमें से अधिकांश लोग पश्चिम पाकिस्तान में पुराने सिंध प्रान्त के निवासी थे और वे हुसैनीवाला पड़ताल चौकी को पार करके भारत आए। सिंध से आने वाले लोगों की संख्या अभी सुलभ नहीं है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके प्रव्रजन के कारण इस प्रकार हैं। आर्थिक भेदभाव, नागरिकता की असमानमा, जीवन की असुरक्षा की भावना संस्कृति सम्पत्ति और वैयक्तिक प्रतिष्ठा।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की दशा के बारे में पाकिस्तान सरकार को बार बार समझाने का प्रयत्न किया है और इस मामले में उनके दायित्व की याद दिलाई है किन्तु पाकिस्तान सरकार से कोई उत्साहवर्धक उत्तर नहीं मिला है ।

दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी चीन की समस्याओं के सम्बन्ध में आस्ट्रेलिया के साथ बातचीत

5840. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवादी चीन की गतिविधियों के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में नई दिल्ली में आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : भारत-आस्ट्रेलिया परामर्शक सभा नई दिल्ली में 13 से 15 मार्च 1969 तक हुई थी । इस बातचीत के अन्त में जारी की गई एक सम्मिलित प्रेस-विज्ञप्ति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें विचार-विमर्श के विषय और निष्कर्ष बताए गए हैं ।

विवरण

भारत के विदेश मंत्रालय के तथा आस्ट्रेलिया के विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच तीसरी परामर्शक सभा, नई दिल्ली में 13, 14, और 15 मार्च 1969 को हुई ।

आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल में आस्ट्रेलिया के विदेश विभाग के सचिव सर जेम्स प्लिम्सोल, भारत में आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर महामान्य सर आर्थर टेंज, विदेश विभाग में सहायक सचिव, श्री जे० सो० इंग्राम और उप हाई कमिश्नर, श्री के० मेक्डानेल्ड शामिल थे ।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश सचिव, श्री टी० एन० कौल, आस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर, श्री ए० एम० टामस सचिव (ईए 1), श्री केवल सिंह, सचिव (इए 2), श्री वी० एच० कोइल्हो और श्री मनजीत सिंह निदेशक (ईए) शामिल थे ।

यह बातचीत निःसंकोच और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई । दोनों देशों को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि भारत और आस्ट्रेलिया एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और दोनों में परस्पर मित्रता के सम्बन्ध और सुदृढ़ हो रहे हैं । उन्होंने दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार किया । दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने तरह-तरह के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया और एशिया की घटनाओं के विशेष संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर पुनर्विचार किया । इस बातचीत में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का विषय भी शामिल था तथा इसमें द्विपक्षीय व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बन्धों पर भी विचार किया गया ।

नई दिल्ली में आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के नेता राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री, उप प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले ।

अगली बैठक केनवैरा में करने पर सहमति हुई ।

चाय उगाने वाले राज्यों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

5841. **श्री हेम राज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है जहां चाय बोर्ड द्वारा चाय उगाने वाले क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण शुरू तथा पूरा किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या ऐसा सर्वेक्षण उन क्षेत्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी करने का प्रस्ताव है जहां चाय उगाई जाती है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) बोर्ड ने, दार्जिलिंग (प० बंगाल), कचार (आसाम), नीलगिरी (तामिल नाड़), अन्नामलई तथा कानन देवान्स (केरल) तथा त्रिपुरा में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किये । त्रिपुरा में किये गये तकनीकी आर्थिक सवेंक्षण पर एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है ।

(ख) चाय बोर्ड तथा सरकार द्वारा इसके परिणामों और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से उपलब्ध अन्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया गया था और चाय बोर्ड द्वारा यथावश्यक कार्यवाही की गई है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

दलाई लामा के बारे में चीन का विरोध पत्र

5842. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वह तिब्बत के निष्कासित नेता दलाई लामा का प्रयोग चीन को भड़काने के लिये कर रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) जी हां । नई दिल्ली में चीनी कार्यदूत ने जबानी विरोध प्रकट किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह निराधार था ।

बर्मा और भारत का व्यापार अन्तर

5843. **श्री वि० नरसिरहा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का बर्मा के साथ व्यापार का अन्तर गत सात वर्षों से घाटे का रहा है ;

(ख) क्या बर्मा में बिकने वाले हमारे परम्परागत कपड़े का स्थान पाकिस्तान और चीन के कपड़े ने ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो बर्मा के साथ हमारे घाटे के व्यापार अन्तर को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी हां, वर्ष 1967-68 तक ; परन्तु वर्ष 1967-68 में प्रतिकूल संतुलन में उल्लेखनीय कमी हो गई, और वर्ष 1968-69 (अप्रैल दिसम्बर, 1968) में, जिसके लिये देशवार आंकड़े उपलब्ध हैं, बर्मा को होने वाले हमारे निर्यातों का मूल्य लगभग 864 लाख रुपये था जबकि आयात 806 लाख रुपये के हुए थे, इस प्रकार 58 लाख रुपये की राशि का व्यापार-सन्तुलन भारत के पक्ष में रहा :

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य सूती वस्त्रों का उल्लेख कर रहे हैं। यद्यपि बर्मा के बाजारों में हमारे सूती वस्त्रों को पाकिस्तान तथा चीन से जटिल प्रतियोगिता करनी पड़ी है तथापि यह सत्य नहीं है कि भारत ने हमारे उत्पादों के लिये उस बाजार को खो दिया है। सूत सहिरा सूती वस्त्रों के भारत के कुल निर्यात वर्ष 1967 में 16.6 लाख रुपये के थे जो वर्ष 1968 में बढ़कर 310.8 लाख रुपये के हो गये। भारत ने पाकिस्तान तथा चीन सहित अन्य स्रोतों से प्रतियोगिता के बावजूद वर्ष 1969 के लिये 446 लाख रुपये की राशि की निविदाएँ भी प्राप्त की है।

(ग) मुख्य रूप से भारत में तीव्र अभाव की स्थिति के कारण बर्मा के चावलों का भारी आयात करने के फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में बर्मा के साथ हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहा। बर्मा के विदेशी व्यापार का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण हो गया है और आयात प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं द्वारा किये जाते हैं। बर्मा द्वारा जारी की गई आयात निविदाओं को अधिकतम मात्रा में प्राप्त करके निर्यातों को अधिकतम करने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति

5844. **श्री बाल्मीकी चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चाय उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई बरुआ समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। समिति के प्रतिवेदन तथा उसकी सिफारिशों पर सरकार के विनिश्चयों को यथासंभव शीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा।

समुद्र के पानी को नमक रहित बनाना

5845. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु

शक्ति आयोग द्वारा समुद्र के पानी को नमक रहित बना कर प्रयोग करने सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

प्रधान मंत्री, अण-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में एक ऐसा कृषि-उद्योग समूह; जिसमें एक परमाणु बिजलीघर, एक अपक्षारीकरण संयंत्र, एक रासायनिक खाद तैयार करने वाला संयन्त्र तथा एक एल्यूमीनियम संयन्त्र होंगे, की स्थापना करने के बारे में जो प्रारम्भिक अध्ययन किये गये उनसे पता लगा कि अपक्षारीकृत समुद्री पानी को कम खर्च पर खेती-बाड़ी के काम में लाया जा सकता है, बशर्ते कि फसल को बदल कर बोने तथा पानी की सप्लाई और खेती की देख-भाल ठीक तरह से करने की व्यवस्था की जाये। अतः एक बंजर क्षेत्र में एक ऐसा परीक्षात्मक कृषि फार्म बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है जिसको पानी की सप्लाई एक छोटे से ऐसे अपक्षारीकरण संयन्त्र से की जाये जो कोयले आदि से चलता हो। इसकी सहायता से खेती-बाड़ी के लिये अपक्षारीकृत समुद्री पानी का उपयोग करने के बारे में आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किये जायेंगे।

उड़ीसा के छोटे पत्तनों से लौह अयस्क का निर्यात

5846. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चाँदबाली के छोटे पत्तन से अयस्कों का निर्यात करने के लिये उड़ीसा सरकार अथवा कटक स्थित खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस प्रकार की किसी परियोजना पर विचार किया गया है और यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है;

(ग) उन छोटे पत्तनों के नाम क्या हैं, जहां से अयस्कों का निर्यात किया जाता है और प्रत्येक से निर्यात की मात्रा कितनी-कितनी है;

(घ) क्या हल्दिया पत्तन से लौह अयस्क निर्यात करने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बजरे बनाये गये हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या वे अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ङ) क्या उड़ीसा में चांदबाली पत्तन मुहाने पर धमरा से लोहा तथा मैंगनीज तथा अन्य अयस्कों के निर्यात के लिये इन बजरों का प्रयोग किया जा सकता है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चांदबाली से मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से अनौपचारिक रूप में पूछा गया था जिसकी खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जाँच की और उसे अलाभप्रद पाया।

(ग) छोटे पत्तनों से लौह अयस्क का निर्यात कम होता जा रहा है। फिर भी वर्ष 1968-69 में छोटे पत्तनों से निम्नलिखित परिणाम में लौह अयस्क का निर्यात हुआ :

(मात्रा लाख में, टन में)

काकीनाड	2.52

	मात्रा लाख में, टन में
रेड्डी	2.01
बेलेकेरी	1.95
कारबाड़	1.61
कुडलोर	1.07
मगलोर	1.53
हल्दिया	0.08

वर्ष 1968-69 में छोटे पत्तनों से मैंगनीज अयस्क का कोई निर्यात नहीं हुआ ।

(घ) और (ङ) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अभी तक 3 बजरों की सुपुर्दगी ली है जिनका आंशिक रूप में कलकत्ता में लादे गये अयस्क वाहनों का पूरा लदान करने के लिये हल्दिया पत्तन पर उपयोग किया जा रहा है । यद्यपि अभी बजरों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है तथापि नये छोटे पत्तन से अयस्क का निर्यात करना लाभप्रद नहीं है विशेषतः ऐसी स्थिति में जबकि समीप ही पारादीप पर लौह अयस्क के लिये वृहद् यंत्रीकृत लदान व्यवस्था विद्यमान है ।

आयात/निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग

5847. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : **श्री किकर सिंह**

श्री देवेन सेन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में आयात/निर्यात लाइसैंसों का दुरुपयोग करने वाली कितनी फर्मों का पता लगाया गया है;

(ख) इन फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भविष्य में आयात/निर्यात लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1967-68 में उन 291 फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध 121 मामले दर्ज किये गये जिन्होंने उन्हें प्रदान किये गये आयात/निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया था;

(ख) 291 फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध 121 मामलों में से 61 फर्मों/व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये और ऐसी 80 फर्मों/व्यक्तियों के मामले विभागीय कार्यवाही हेतु आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को भेजे गये । 150 फर्मों/व्यक्तियों के मामलों की जांच अभी चल रही है । 61 फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे के लिये भेजे गये मामलों में से 10 फर्में दोषी पाई गई और 51 फर्मों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं । 80 फर्मों/व्यक्तियों, जो विभागीय कार्यवाही हेतु आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को भेजे गये, में से 16 फर्मों/व्यक्तियों को वंचित किया गया तथा चेतावनी दी गई ।

(ग) लघु तथा विशाल, दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के मामलों में प्रायोजक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन इकाइयों को आयात लाइसेंस देने के लिये आयात व्यापार

नियंत्रण प्राधिकारियों से उनकी सिफारिश करने से पहले उनके द्वारा पिछली अवधि में आयात किये गये माल के उचित उपयोग की जाँच करें। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की इकाइयों के मामले में भी आयात लाइसेंस देने के आवेदनपत्रों के साथ, यह दिखाने के लिये कि पहले आयात किये गये माल का उनके द्वारा उचित उपयोग किया गया है, चार्टर्ड लेखापाल द्वारा उचित रूप से अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना पड़ता है। लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा इन प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं ताकि वे उनके उत्पादन के संदर्भ में वास्तविक उपयोग की जांच कर सकें। जारी किये गये समस्त आयात लाइसेन्सों का ब्यौरा संबद्ध इकाइयों के प्रायोजक प्राधिकारियों को भेजा जाता है ताकि वे वास्तविक आयात तथा आयोतित माल के उचित उपयोग की जांच कर सकें। आयात नियंत्रण विनियमनों के दुरुपयोग अथवा अन्य उल्लंघनों के सभी मामलों की सूचना आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के दंड संबन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत आगे आवश्यक कार्यवाही के लिये आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के प्रवर्त्तन अनुभाग को दी जाती है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच करने के बाद, अपराध की गंभीरता के अनुसार, आयात लाइसेन्स प्राप्त करने तथा आयातित माल के आबंटन से वंचित करने की विभागीय कार्यवाही की जाती है और/अथवा मुकदमा दायर किया जाता है।

विदेशी भाषा स्कूल में दुभाषिया पाठ्यक्रम

5848. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री ना० रा० पाटिल :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का विदेशी भाषा स्कूल विभिन्न विदेशी भाषाओं में पूरे समय का दुभाषिया पाठ्यक्रम चलाता है जिसमें केवल सेवा अधिकारी और गृह-कार्य मंत्रालय (आसूचना विभाग) और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी प्रवेश पा सकते हैं और उक्त स्कूल द्वारा केवल इन्हीं व्यक्तियों को प्राइवेट उम्मीदवारों के रूप में भी दुभाषिया पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य मंत्रालयों-विभागों के अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर्मचारियों अर्थात् विदेशी भाषा में डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को दुभाषिया पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवारों की हैसियत से बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और अन्य मंत्रालयों-विभागों के कर्मचारियों को भी दुभाषिया पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से बैठने की सुविधाएँ देने में क्या संकोच है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) विदेशी भाषाओं के स्कूल द्वारा आयोजित विदेशी भाषाओं में दुभाषी पाठ्यक्रम में प्रवेश चुने गये सेवा अफसरों और सरकार द्वारा प्रायोजित असैनिकों के लिये खुला है। तदपि, स्कूल द्वारा आयोजित विभिन्न भाषाओं में दुभाषी परीक्षा के लिये प्रवेश स्कूल के छात्रों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा भारतीय सैनिक अकादमी के छात्रों तथा सशस्त्र सेनाओं के निजी उम्मीदवारों, विदेश मंत्रालय के अफसरों, गुप्तचर विभाग संगठन के कर्मचारीगण, राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों, और धनबाद के माईन्ज तथा एप्लाईड ज्योलोजी के भारतीय स्कूल के छात्रों के लिए खुला है।

(ख) दुभाषी परीक्षा में निजी छात्र के तौर पर प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने संबन्धी कोई प्रार्थना पत्र अन्य विभागों के कर्मचारियों से निकट भूत में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) परीक्षा में बैठने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को अनुमति प्रदान करने के विषय में, जभी प्रार्थना प्राप्त हुई मैरिट के अनुसार विचार किया जायेगा ।

तकनीकी उपकरणों के प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये अधिकारी

5849. **श्री स० कुण्डू :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में तकनीकी उपकरणों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ अधिकारियों को विदेशों में भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, उन्होंने किस-किस देश की यात्रा की, उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था, वे विदेशों में कितने समय तक रहे और भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में उन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या ऐसे दलों को भेजने के लिए कोई चयन किया जाता है और क्या इस प्रयोजन हेतु चयन के लिए कोई कसौटी है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उपकरणों में प्रशिक्षण के लिए ऐसे किसी दल को रूस भी भेजा जायेगा और यदि हाँ, उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ङ) : जी हां, परन्तु मांगे गए विस्तार देना सुरक्षा के हित में वांछनीय न होंगे ।

(ग) जी हां ।

(घ) अफसरों का चयन उनकी सेवा के रिकार्ड से निर्धारित की गई उपयुक्तता और ऐसे साजसामान के प्रयोग और रख रखाव में योग्यताओं और अनुभव के आधार पर की जाती है ।

अंगुईता के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

5850. **श्री शिव चन्द्र झा : श्री मधु लिमये :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंगुईता के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने के लिए संयुक्त राज्य में भारतीय प्रतिनिधि अफ्रीका ऐशियाई देशों का समर्थन प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) से (ग) : उपनिवेशों को समाप्त करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और उसने यू० के० सरकार से यह अनुरोध किया कि वह

ऐंग्विला में संयुक्त राष्ट्र संघ के भ्रमणशील मिसन को स्वीकार करे। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यू० के० सरकार ने ऐंग्विला संयुक्त राष्ट्र संघ के मिसन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

आयोजन का मार्क्सवादी तरीका

5851. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में किसी साम्यवादी देश में आयोजन के बारे में अपनाए जा रहे मार्क्सवादी तरीकों की ओर उचित ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग) : देश में तथा विदेश में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा जिन प्रणालियों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें हमारी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने में हमारे आयोजकों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। जिन प्रणालियों तथा तकनीकों को हमारी स्थिति तथा हमारे राष्ट्रीय हित के अनुकूल समझा जाता है, उन्हें अपनाया जाता है।

केन्द्रीय रेशम उपादन अनुसंधान केन्द्र, प० बंगाल

5852. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र को पश्चिम बंगाल से बाहर किसी अन्य स्थान पर, जिसका निर्णय केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया जायेगा, ले जाने की सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस कार्यवाही से पश्चिम बंगाल के रेशम उत्पादन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या इससे अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों की जीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) :

(क) केन्द्रीय रेशम उत्पादन गवेषणा केन्द्र, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) को बाहर किसी स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय राज्य क्षेत्र पर से पाकिस्तानी सेनाओं की उड़ान

5853. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में मार्च 1969 में

पश्चिम पाकिस्तान से भारतीय राज्य क्षेत्र पर से उड़ान करके ढाका जाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या पाकिस्तान के मार्शल लॉ प्रशासक ने भारतीय अधिकारियों को ये सुविधाएं देने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिरक्षा व्यय में कमी

5854. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1969 को लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना द्वारा प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने के बारे में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया **गया है ;**

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने के उद्देश्य से उसकी जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : रक्षा व्यय में बचत करने के लिए कई पग पहले से ही उठाए गए हैं, उन उपायों के बिना रक्षा व्यय उस से कहीं अधिक होता कि जितना अब है। सेवाओं की संक्रियात्मक क्षमता को हानि पहुँचाए बिना रक्षा व्यय में बचत करना एक निरन्तर प्रक्रिया है, और वह निरन्तर रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के निरीक्षण अधीन रहती है। कोई तदर्थ समिति इस मामले से प्रभावशीलता से नहीं निपट सकती, और इसलिए ऐसी कोई समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया।

खुली दाढ़ी रखने के कारण नौसेना के कर्मचारियों को दण्ड देना

5855. **श्रीमती निर्लेप कौर :**
श्री वे० कु० दास चौधरी :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री कवंर लाल गुप्त :
श्री किकर सिंह :
श्री प्र० न० सौलंकी
श्री देवेन सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम तथा अन्य स्थानों में नौसेना के कुछ कर्मचारियों द्वारा खुली दाढ़ी रखे जाने के कारण उनका कोर्ट मार्शल किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार नौसेना के अधिकारियों को अनुदेश देगी कि इस कारण किसी को भी दण्ड न दिया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां, परन्तु केवल विशाखापत्तनम में ।

(ख) (1) महंगा सिंह गिल, पेटी अफसर ।

(2) राजिन्देर सिंह, इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर ।

(ग) और (घ) रक्षा सेवाओं के विनियम, आदेश तथा परम्परा में सेवा सेविवर्ग द्वारा उचित केशभूषा का उपबन्ध है । सिख सेविवर्ग से भी ऐसी आशा की जाती है । यह वांछनीय है कि विनियम आदेश और परम्परा जिनका भूतकाल में पालन किया गया है, जारी रहे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सैन्य सुरक्षा कोर द्वारा बन्दूक तथा गोला कारखाना, कोसीपुर, कलकत्ता के कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने का समाचार

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, मैं प्रतिरक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"सैन्य सुरक्षा कोर द्वारा 8 अप्रैल, 1969 को बन्दूक तथा गोला कारखाना, कोसीपुर, कलकत्ता के कर्मचारियों पर, गोली चलाये जाने का समाचार, जिसके परिणामस्वरूप पाँच कर्मचारियों की मृत्यु हुई ।"

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : बन्दूक तथा गोला कारखाना, कोसीपुर, कलकत्ता में 8 अप्रैल, 1969 को एक दुखद दुर्घटना घटी । उपलब्ध सूचनाओं से पता चला है कि कारखाने के बाहर 7.00 बजे एक बैठक हुई थी जिसमें भावनाएँ भड़काने वाले भाषण किये गये थे । सामान्य प्रथा के अनुसार 7.30 बजे हाज़री लेने के बाद कारखाने का द्वार बन्द कर दिया गया और कुछ समय बाद द्वार पुनः खोल दिये गये ताकि देर से आने वालों का उचित रिकार्ड रखा जा सके । द्वार के बाहर खड़े बहुत से कर्मचारी कारखाने में जबर्दस्ती प्रविष्ट हो गये । श्रमिकों ने सैन्य सुरक्षा कोर के कर्मचारी पर प्रहार किया और गेट ड्यूटी के दरबान और प्रबन्धक (प्रशासन) पर प्रहार किया । ऐसी स्थिति में सुरक्षा कर्मचारियों ने आत्म-रक्षा के लिये गोली चलाई । बताया गया है कि 10 बार गोली चलाई गई और गोली से 9 व्यक्ति घायल हुए जिन में से पाँच व्यक्ति मर गये हैं ।

आयुध कारखानों के महानिदेशालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी इस घटना की जाँच कर रहे हैं । एक सैनिक जाँच न्यायालय स्थापित किया जायेगा ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आयुध कारखाने के महानिदेशक ने प्रत्येक मृत कर्मचारी

के परिवार के लिये 1,000 रुपये अनुग्रहीत प्रतिकर की स्वीकृति दी है तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये देने की स्वीकृति दी गई है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय इतने गम्भीर मामले को मामूली समझ रहे हैं। मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य ऐसा है जिसका पश्चिमी बंगाल सरकार ने पूर्णतया खंडन किया है। पश्चिमी बंगाल सरकार के मन्त्रियों के कथन अनुसार इस गोली चलाने के लिये किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं दी गई थी। समाचारों के अनुसार कारखाने के द्वार पर एक बैठक के बाद बिना किसी उत्तेजना के गोली बारी आरम्भ कर दी गई थी। इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय समझते हैं कि सैनिक जांच न्यायालय में स्थिति की आवश्यकता पूरी हो सकेगी जबकि केन्द्रीय सरकार के पक्ष का राज्य सरकार पूरी तरह खंडन कर रही है तथा इस मामले में सम्बन्धित सैनिकों को पुलिस के सुपुर्द करने की माँग कर रही है ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय ने पश्चिमी बंगाल सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की है तथा स्थिति को समझने की कोशिश की है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूँ कि हम इस मामले को मामूली नहीं समझ रहे। यह एक गम्भीर मामला है क्यों कि बन्दूक तथा गोला कारखाना एक महत्वपूर्ण सैनिक सम्पत्ति है जो सेना के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के महत्वपूर्ण काम में लगी हुई है। इस घटना के बारे में मेरे सहयोगी श्री ल० ना० मिश्र ने टेलीफोन पर राज्य सरकार से बातचीत की है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों से बातचीत की है।

सैन्य सुरक्षा कोर के कर्मचारी सेना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं तथा विधि के अनुसार ही घटना की जांच करने तथा उचित कार्यवाही करने के लिये सैनिक जाँच न्यायालय स्थापित किया गया है।

यह भी ठीक है कि पश्चिमी बंगाल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। इस मामले में हमारा दृष्टिकोण यह है कि यथासम्भव निष्पक्ष जाँच कराई जाये। मैं उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक जाँच कराने के लिये स्वयं कार्यवाही कर रहा हूँ। हम इस सम्बन्ध में कोई बात दबाना नहीं चाहते परन्तु हमें ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिये कि लोगों को विश्वास हो सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह बहुत दुखद घटना है।

श्री रा० ना० पाण्डेय (पदरौना) राज्य सरकार ने लोगों को उत्तेजनात्मक भाषण देने की अनुमति दी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री विद्याचरण शुक्ल ने इन अस्थायी कर्मचारियों को वापिस लेने के बारे में दो बार आश्वासन दिया था परन्तु उसे पूरा नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह नहीं बताया गया है कि इस वक्तव्य में दी गई जानकारी कहां से प्राप्त की गई है। यह भी नहीं बताया गया है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। वक्तव्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि द्वार पर ड्यूटी पर प्रबन्धक (प्रशासन) श्री चक्रवर्ती ने गोली चलाने का आदेश दिया था यद्यपि मंत्री महोदय ने इसे छुपाने का प्रयत्न किया है। आज के समा-

चारों के अनुसार श्री चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने महा प्रबन्धक से गोली चलाने के आदेश प्राप्त कर लिये थे परन्तु महा प्रबन्धक का कथन है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मंत्री महोदय इस बारे में चुप हैं।

वक्तव्य में कहा गया है कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी इस घटना की जांच करेंगे। मुख्य सुरक्षा अधिकारी के अधीन सुरक्षा सेना कार्य करती है। अतः क्या वह जांच करने के लिये सक्षम हैं। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के पक्ष में मतभेद है। अतः कोई निष्पक्ष जांच करानी आवश्यक होगी।

मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यदि किसी ऐसे राज्य में जहां केन्द्रीय सरकार चलाने वाले दल से भिन्न दल की सरकार है, स्थित केन्द्रीय संस्थापनाओं में इस प्रकार की घटनायें हों, तो स्थिति क्या होगी ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय संस्थापनाओं में सुरक्षा कर्मचारियों अथवा केन्द्रीय पुलिस दल को कोई निर्देश दिये गये हैं कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिये क्योंकि राज्य सरकारों का उन पर नियंत्रण नहीं है और वे जो चाहे कर सकती हैं। यदि ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकारें बदले में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लें तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें किस प्रकार चलेंगी।

वहां किसी मंत्री को स्वयं जाना चाहिये था। यदि वे वहाँ गिरफ्तार हो जाने से डरते हैं तो वे राज्य के मंत्रियों को यहाँ आने के लिये कह सकते थे यद्यपि वे उन्हें आश्वासन दें कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। क्या अब केन्द्र तथा राज्यों में सम्बन्ध इस प्रकार के रहेंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : पश्चिमी बंगाल के मंत्रियों के जो वक्तव्य समाचार पत्रों में छपे हैं उनके बारे में मैं तब तक कुछ नहीं कहना चाहता जब तक कि मुझे उन वक्तव्यों के बारे में सरकार से अधिकृत सूचना न मिले। ऐसी सर्वमान्य प्रथा है कि जिन मामलों की जांच हो रही हो, उनके बारे में अधिकारी वर्ग कोई वक्तव्य नहीं देते हैं।

मैं इस बात के लिये कार्यवाही कर रहा हूँ कि उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक जांच कराई जाये और वह सभी पहलुओं की, कारणों की तथा घटना के स्वरूप की जांच करे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले के गुण दोषों में न जायें क्योंकि हमने तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने जो कुछ कहा है, वह उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कहा गया है। हमें याद रखना चाहिये कि हम जाँच करने वाले अधिकारी नहीं हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे इस बारे में विवाद न उठायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : काशीपुर के गोलीकाण्ड में वास्तव में 4 व्यक्ति मरे है और 11 घायल हुए हैं। यह सब अनुचित हुआ है। मेरे दल के सचिव श्री सुन्दरैया ने आकर बताया है कि मजदूर लोग कल्याण अधिकारी के पास अपनी कुछ शिकायतें रखने जा रहे थे। उस समय इस व्यक्ति श्री चक्रवर्ती ने गोली चलाये जाने का आदेश दिया। यह सब पूर्व नियोजित था। प्रतिरक्षा सुरक्षा दल वालों ने पूर्व सूचना दिये बिना ही गोली चला दी। वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ था। संयुक्त मोर्चा सरकार के चार मंत्री स्वयं वहां गये और उन्होंने वहां जाकर जांच की। 6 सप्ताह की अवधि में दो घटनाएँ हो चुकी हैं। पहली घटना दुर्गापुर में हुई थी। इनसे केन्द्रीय सरकार की संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रति शत्रुता की नीति का आभास होता है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसकी भी न्यायिक जांच करायेगी ? क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को पुलिस के सुपुर्द किया जायेगा ? क्या मरने वालों के आश्रितों को पर्याप्त मुआविजा दिया जायेगा और यह कितनी जल्दी दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ऐसा आरोप लगाना अनुचित है कि पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रति केन्द्र सरकार की शत्रुता की नीति है। ऐसा आक्षेप लगाना सर्वथा अनुचित है। मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि इस घटना पर टिप्पणी न को जाये। (व्यवधान) जबकि इसकी जांच हो रही है। उनकी अपनी पुलिस यह कार्य कर रही है अतः हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिसका उस जांच पर प्रभाव पड़े। यह जांच पुलिस द्वारा हो अथवा सैनिक अधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य एजेन्सी द्वारा। इस घटना से मुझे स्वयं को बहुत दुःख हुआ है। मुझे इसकी पृष्ठ भूमि की जानकारी नहीं है। हम उच्च न्यायालय के सेवारत अथवा पदनिवृत्त न्यायाधीश अथवा उससे भी ऊँचे किसी अन्य व्यक्ति से इसकी जांच कराना चाहते हैं। इस बारे में तुरन्त कार्यवाही की जा रही है। सैनिक न्यायालय द्वारा जांच करायी जा रही है और आगे की कार्यवाही भी सेना अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। सेना के नियमों के अनुसार कार्यवाही चलेगी।

मुआवजे के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहले ही कुछ राशि का भुगतान किया जा चुका है। यदि और राशि का भुगतान देय होगा तो वह किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उनके अनुसार हम उन मामलों को नहीं उठा सकते जिनकी जांच हो रही है। इस मामले में सेना अधिनियम के अन्तर्गत जाँच हो रही है और मुख्य सुरक्षा अधिकारी न्यायिक अधिकारी नहीं हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि हमें इस घटना के सभी पहलुओं पर प्रश्न पूछने दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें नियमों की कोई बात नहीं है। उन्होंने जो जानकारी उनके पास थी दे दी है। अब न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी गई है। यह एक गम्भीर विषय है। यह केवल इस घटना की बात नहीं है। इसमें बड़ा प्रश्न आता है। इस पर मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे सकते। शायद दोनों सरकारों को विचार करना होगा। सम्भव है अखिल भारतीय के स्तर पर इसका निर्णय करना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य में कहा गया कि काशीपुर गन एण्ड शैल फैक्ट्री के द्वार पर एक सभा हुई और उसमें आन्दोलनात्मक भाषण दिये गये।

इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि गत 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी बहाल कर दिया जायेगा। उसे हमने एक आश्वासन के रूप में लिया। परन्तु खेद की बात है कि वहां के अधिकारियों ने उक्त आश्वासन की परवाह न करते हुए यह कह दिया कि हम तो आदेश के अनुसार कार्यवाही करेंगे और आश्वासन को हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति में कर्मचारी संघ ने सभाएँ आयोजित करके अपना रोष व्यक्त करना आरंभ किया। हमारी मांग थी कि मन्त्री के आश्वासन को पूरा किया जाये। इसी प्रकार की यह एक सभा हो रही थी। मेरी जानकारी वहां उपस्थित जिम्मेदार व्यक्तियों से प्राप्त हुई जानकारी है। मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार के मंत्रियो से टेलीफोन पर बात की है। मैं उसी के आधार पर जानकारी दे रहा हूँ। जब सभा समाप्त हुई। गेट बन्द कर दिये गये। वैसे होता यह है कि सभी गेट एक साथ बन्द नहीं किये जाते

परन्तु इस बार श्री डी० पी० चक्रवर्ती ने गेटों को बन्द करने का आदेश दिया । उस समय कुछ झगड़ा हो गया और एक मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गया । उसको अन्य मजदूर उठाकर श्रम अधिकारी के समक्ष ले जाना चाहते थे । उस समय श्री चक्रवर्ती ने गोली चलाये जाने का आदेश दिया । सुरक्षा दल वालों ने बिलकुल समीप से गोलियां चलायी और उस व्यक्ति को मार दिया । उस घायल व्यक्ति पर चढ़कर उसे गोली मार दी गयो । उस समय सभी गेट बन्द कर दिये गये । लोगों को भागने नहीं दिया गया ।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सब उनकी जानकारी में है ।

माननीय मंत्री स्वयं वहाँ क्यों नहीं गये ? यह इतनी गंभीर घटना घटी है । इस बीच संयुक्त मोर्चा सरकार ने सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है ।

माननीय मन्त्री ने कहा है कि उनके साथ सेना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें सेना से वेतन मिलता है । ऐसा नहीं है । हमने प्रतिरक्षा दल वालों को सेना की सुविधाएं दिलाने के लिये आन्दोलन किया था परन्तु सरकार ने उन्हें आधे सैनिक और आधे असैनिक स्वीकार किया था ।

अब तक हमारा यही विचार था कि संयुक्त मोर्चा सरकार को तंग करना केवल गृह मंत्री का कार्य है । अब प्रतिरक्षा मन्त्री ने भी ऐसा करना आरंभ कर दिया है । ऐसे घिनौने कार्य इस मन्त्रालय को नहीं करने चाहिये । मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या वह कलकत्ता से हमारे संघ के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने को तैयार हैं ? इस सभा में इस घटना पर चर्चा होनी चाहिये ताकि वास्तविकता का पता चल सके ।

श्री स्वर्ण सिंह : हम अवश्य वहां जायेंगे । मैं अथवा मन्त्रालय में मेरे कोई सहयोगी मन्त्री वहाँ जायेंगे । हमारे वहाँ जाने से स्थिति के सामान्य होने में सहायता मिले तो हम अवश्य वहाँ जायेंगे । परन्तु कानून के अनुसार तो कार्यवाही होगी ही । यह जाँच पुलिस, सुरक्षा अधिकारी, अथवा सैनिक न्यायालय द्वारा हो सकती है ।

इस घटना की पुलिस जाँच कर रही है और उसने कुछ गिरफ्तारियाँ भी की हैं । हमें इस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं करनी चाहिये । हम इस घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच कराना चाहते हैं ताकि तथ्य सामने आ जायें । गृह-कार्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री और मैं इस मामले में आगे की कार्यवाही में रुचि ले रहे हैं और इस विषय पर विचार के बाद ही न्यायिक जाँच का निर्णय किया गया है ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : हमें कल से कलकत्ता से इस आशय के तार प्राप्त हो रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार के और प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारी कानूनी कार्यवाही के मार्ग में बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं । और जाँच कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार चाहती थी कि गोली काण्ड से सम्बन्धित सभी अधिकारियों और सिपाहियों को राज्य पुलिस के हवाले कर दिया जाये परन्तु आयुध कारखाने के महानिदेशक ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर किसी प्रकार अन्दर गये । मुश्किल से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई ।

इससे सन्देह होता है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के मार्ग में कठिनाईयाँ

खड़ी कर रही है। दोषी व्यक्तियों को पुलिस को सुपुर्द करने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? तीसरे क्या सैनिक न्यायालय इस मामले में राज्य के न्यायालयों के मार्ग में बाधा साबित नहीं होगा ? इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या रुख होगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे सहयोगी मंत्री श्री मिश्र ने वहाँ के मंन्त्रियों से वहाँ की सामान्य स्थिति के बारे में बातचीत की थी। इस घटना के बारे में बातचीत नहीं हुई। कुछ सिपाहियों को राज्य पुलिस के सुपुर्द करने के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि कार्यवाही कानून के अनुसार होगी। सेना अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्यवाही होगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। गोली चलाने वाले व्यक्तियों को राज्य पुलिस के सुपुर्द करने के बारे में कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि राज्य सरकार ने ऐसी माँग की तो हम उसपर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : हम इस पर यहाँ चर्चा की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता।

'बसुमति' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE 'EDITOR' OF BASUMATI'

अध्यक्ष महोदय : 21 मार्च, 1969 को श्री समर गुह ने एक विशेषाधिकार के भंग होने के मामले को उठाया था। उसका विषय 18 मार्च, 1969 के बसुमति में प्रकाशित सम्पादकीय से था। सभा ने निर्णय किया था कि सम्पादक से पूछा जाये कि उसने क्या कहना हैं।

अब मुझे सभा को यह सूचित करना है कि बसुमति के सम्पादक ने मुझे अपने 21 मार्च, 1969 के पत्र में लिखा है कि :—

> "3 मार्च की सभा की कार्यवाही की समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट से यह आभास होता था कि श्री समर गुह, संसद सदस्य, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के बारे में श्री ज्योतिमय बसु के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का विरोध किया था·····
>
> उसी के आधार पर सम्पादकीय प्रकाशित किया गया था। अब पता चला है कि उक्त रिपोर्ट गलत थी। मुझे उस सम्पादकीय पर खेद है। हमारा ऐसा इरादा नहीं था कि श्री गुह पर आक्षेप आये।"

सम्पादक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में मामले को समाप्त समझना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की

धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर, के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 651/69]

भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण का प्ररीक्षण

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 652/69]

(2) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2038 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 653/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री रा० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तीसवां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : मैं इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसियोटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (तीसरी लोक-सभा) के 22 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 30 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सामान्य आयव्ययक-अनुदानों की मांगें-जारी

GENERAL BUDGET-DEMANDS FOR GRANTS-(contd.)

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय की मांगों (संख्या 29 से 33, 113 और 114) पर विचार तथा मतदान करेगी ।

वर्ष, 1969-70 के लिये खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्न-लिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
29	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	1, 58,22,000
30	कृषि	8,85,01,000
31	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	12,91,69,000
32	वन	1,48,38,000
33	खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	37,98,89,000
113	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	2,03,40,48,000
114	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	47,00,08,000

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्न-लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
29	1	**श्री पी० विश्वम्भरन**	अनाज के उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
29	2	श्री न० शिवप्पा	किसानों पर भारी कर लगाकर, जो उनकी आर्थिक स्थिति के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
29	3	"	कृषकों को सहकारी संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ऋण-सहायता देने में सरकार की असफलता ।	"
29	4	"	जिले-वार कृषि मार्गदर्शी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से चालू करने में सरकार की असफलता ।	"
29	5	"	सरकारी खर्च पर कृषकों को कुछ अन्य देशों में भेज कर उन्हें विकसित कृषि का अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करने के उचित अवसर प्रदान करने में सरकार की असफलता ।	"
29	6	"	मलनाड सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता ।	"
29	7	"	देश में किसानों के लिये ट्रैक्टरों की वास्तविक आवश्यकता के बारे में अध्ययन न करना ।	"
29	8	"	कृषि के विकास की सुविधा के लिए और कृषकों की दशा में सुधार के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश में कृषि-उद्योगों और कृषि-व्यापार के विस्तार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने में सरकार की असफलता ।	"
29	9	"	किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये ऋण के रूप में पर्याप्त धन की व्यवस्था न करना ।	"
29	10	"	एकाधिकार प्राप्त करने के आन्दोलन से जो जालसाजी तथा भ्रष्टा-	"

1	2	3	4	5
			चार उत्पन्न हुआ है और जो हो रहा है उसको महसूस करने में असफलता ।	
29	11	श्री न० शिवप्पा	नियंत्रण समाप्त न कर किसानों के लिए अनियंत्रित मुक्त-बाजार की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
29	12	"	इस बात का अन्दाजा न लगाना कि कृषि विशेषज्ञों के मद के अनुसार, रासायनिक खाद का बराबर प्रयोग करने से भूमि अन-उपजाऊ हो जाती है ।	"
29	13	"	रासायनिक खाद के साथ-साथ जल की समुचित व्यवस्था न करना ।	"
29	14	"	भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक खाद के प्राकृतिक साधन, पशुधन की वृद्धि के लिये आवश्यक कदम उठाने में असफलता ।	"
29	15	"	यह अनुभव न करना कि कीट-नाशक तथा जीवनाशक दवाओं का प्रयोग चारा खाने वाले पशुओं के साथ-साथ मनुष्य के लिये भी हानिकारक सिद्ध हुआ है ।	"
29	16	"	सस्ता अनाज उपलब्ध करने में असफलता ।	"
29	17	श्री मीठा लाला मीना	धान के अभाव के कारण बन्द होने वाली राजस्थान की चावल-मिलों को चालू रखने में असफलता ।	"
29	18	"	राजस्थान में चावल-मिलों का विस्तार करने के लिये सहायता देने में असफलता ।	"
29	20	श्री पी० विश्वम्भरन	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 8 औंस चावल का राशन देने के लिए	100 रुपये

1	2	3	4	5
			केरल राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल देने की आवश्यकता ।	
30	23	श्री न० शिवप्पा	भूमिहीनों को भूमि देने में असफलता ।	100 रुपये
30	24	"	भूमिगत जल या ऊपरी जल साधनों को जुटाकर पर्याप्त लघु सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करने में सरकार की असफलता ।	"
30	31	श्री पी० विश्वम्भरन	केरल में प्रस्तावित बड़े पैमाने पर राज्य फार्म अविलम्ब चालू करने की आवश्यकता ।	"
114	39	"	भारत के खाद्य निगम द्वारा खरीदे और बेचे जाने वाले खाद्यान्नों का विक्रय मूल्य कम करने के लिए निगम के प्रशासनिक खर्च में कमी करने की आवश्यकता ।	"
114	40	"	केरल राज्य में मत्स्यपालन के विकास के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता ।	"
29	62	श्री ओम प्रकाश त्यागी	खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने में असफलता ।	"
29	63	"	अनाज के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	"
29	64	"	अनाज का संग्रह करने के लिये पर्याप्त भांडागार क्षमता की व्यवस्था करने में असफलता ।	"
29	65	"	चूहों, आदि से अनाज को सुरक्षित रखने में असफलता ।	"
29	66	"	बरसात के मौसम में अनाज को खुले रेल डिब्बों में ले जाने से हज़ारों टन अनाज की क्षति ।	"
29	67	"	देहाती क्षेत्रों में अनाज का स्टाक बनाने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
30	68	श्री ओम प्रकाश त्यागी	दुग्ध उत्पादन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	69	"	गायों की रक्षा करने में असफलता ।	"
30	70	"	गो-रक्षा समिति की रिपोर्ट को पेश करने में विलम्ब ।	"
30	71	"	गो-सदनों की स्थापना करने तथा गायों की नस्ल सुधारने में असफलता ।	"
30	72	"	कृषि अनुसन्धान में लगे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	"
30	73	"	भूमि जल का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता ।	"
30	74	"	ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों तथा उनकी मरम्मत के लिये व्यवस्था करने में असफलता ।	"
30	75	"	फसलों को चमगादड़ों, तोतों, बन्दरों तथा अन्य हानिकारक जीवों से सुरक्षित रखने में असफलता ।	"
30	76	"	दूसरे विकसित देशों की प्रति एकड़ उपज के बराबर उपज प्राप्त करने में असफलता ।	"
30	77	"	कृषि के लिए जल, उर्वरक तथा औजार उपलब्ध करने में असफलता ।	"
30	78	"	कानूनी रूप से भूमि सुधार लाने में असफलता ।	"
30	79	"	भूमिहीनों को भूमि देने में असफलता ।	"
30	80	"	किसानों को खाद्यान्नों तथा गन्ने का लाभप्रद मूल्य देने में असफलता ।	"
30	81	"	सुधरे हुए बीजों को सुलभ करने में असफलता ।	"
33	82	"	पशुओं की नस्ल सुधारने के सम्बन्ध में प्रगति करने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
113	83	श्री ओम प्रकाश त्यागी	खाद्यान्नों की खरीद के सम्बन्ध में कुप्रबन्ध को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
113	84	"	सरकारी एजेन्टों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली के सम्बन्ध में किसानों को लूटना तथा परेशान करना ।	"
29	85	श्री वेणी शंकर शर्मा	लगातार दो बर्षों तक अच्छी फसल होने के बावजूद भी खाद्य जोन समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
29	86	"	उत्तरी बिहार में गण्डक तथा कोसी जैसी बड़ी नदी-घाटी परियोजनायें पूरी करने में असफलता ।	"
29	87	"	कृषकों को उनके द्वारा पैदा किये गये अनाज के लिये लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता ।	"
29	88	"	गन्ने की खेती करने वाले कृषकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता ।	"
29	89	"	बिहार के पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र में भूमि के एक बड़े भाग को कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग करने में असफलता ।	"
29	90	"	पी० एल० 480 करार को रद्द करने में असफलता ।	"
29	91	"	खाद्यान्नय का अग्रेतर आयात समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
29	92	"	चीनी के उत्पादन तथा चीनी उद्योग के विकास के लिये दूरदर्शी नीति निर्धारित करने की आवश्यकता ।	"
29	93	"	सदैव चलने वाली नदियों के तटों पर "फ्लोटिंग लिफ्ट" सिंचाई योजनायें आरम्भ करने की आवश्यकता ।	"
29	94	"	हजारीबाग तथा संथाल परगना में	"

1	2	3	4	5
			पहाड़ी तथा पठार क्षेत्रों में ऐसी फसलों की काश्त करने की आवश्यकता जो उस भूमि के कृषकों द्वारा आसानी से उगाई जा सकें ।	
29	95	**श्री बेणी शंकर शर्मा**	समस्त देश में विशेषकर बिहार में जो कि अनावृष्टि की स्थिति में शीघ्र सूखे का शिकार हो जाता है, भारी संख्या में विद्युत चालित नलकूप लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	100	"	जल संसाधनों के बारे में अध्ययन करने सम्बन्धी योजना के बारे में विश्व बैंक के साथ करार को अन्तिम रूप देने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
30	101	"	बीजों और उपकरणों के मूल्य में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	"
30	102	"	मत्स्यपालन को आधुनिक रूप देने और इसको विदेशी मुद्रा की आय का साधन बनाने में असफलता ।	"
30	103	"	सघन खेती जिला कार्यक्रम में तेजी लाने में असफलता ।	"
30	104	"	देश में कृषि को पूर्ण रूपेण आधुनिक बनाने में असफलता ।	"
30	105	"	प्रत्येक राज्य में सूरतगढ़ फार्म की तरह और अधिक फार्म खोलने में असफलता ।	"
30	106	"	उर्वरकों के उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता बन्द करना ।	"
30	107	"	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक व्यय को कम करने में असफलता ।	"
29	113	**श्री शिंकरे**	राजस्थान और गुजरात में कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों की भूमि को कृषि योग्य बनाने और उस पर खेती आरम्भ करने के लिए सेना	"

1	2	3	4	5
			के आधार पर भूमि सेना (कृषि सेना) बनाने की आवश्यकता ।	
29	114	श्री शिंकरे	बंजर भूमि के बड़े-बड़े टुकड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए राजस्थान और कच्छ (गुजरात) के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कृषकों को तकनीकी जानकारी देने और साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
30	115	"	गोआ में 'कम्यूनिडेडों' की 'खजान' भूमियों से दो फसलें प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना तैयार करने में असफलता ।	"
30	116	"	मलाबार के कांकण तट में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिए एक योजना तैयार करने में असफलता ।	"
30	117	"	वन सम्पत्ति के विकास के लिए गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	118	"	अण्डमान द्वीप समूह के बड़े-बड़े द्वीपों में सरकारी क्षेत्र में और आरा-मिलों की स्थापना ।	"
30	119	"	नारियल बागान में लगे निकोबार के लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता जिससे कि वे गोआ और केरल में उन बागानों के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों का अनुसरण कर सकें ।	"
30	120	"	निकोबार द्वीपसमूहों में सुपारी और नारियल की खरीद के सम्बन्ध में एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता ।	"

1	2	3	4	5
30	121	श्री शिंकरे	अण्डमान द्वीपसमूहों में सरकारी क्षेत्र में प्लाईवुड कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	122	"	अण्डमान की वन-सम्पत्ति का योजनाबद्ध ढंग से विदोहन करने की आवश्यकता जिससे भारत को करोड़ों रुपये की आय हो सकती है ।	"
33	123	"	गोआ में सरकारी क्षेत्र में मछलियों और फलों को डिब्बों में बन्द करने का कारखाना स्थापित करने में असफलता ।	"
33	124	"	गोआ में नदी किनारे के खजान बाधों की जिन्हें कि समुद्री ज्वार भाटों से खतरा रहता है, रख रखाव के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	"
33	125	"	गोआ में एक कृषि कालिज स्थापित करने की आवश्यकता ।	"
33	126	"	गोआ के किसानों को संकर किस्मों के बीजों को उचित दर पर देने की आवश्यकता ।	"
33	127	"	सूरतगढ़ की फार्म के आधार पर गोआ में एक परीक्षणात्मक कृषि फार्म खोलने की आवश्यकता ।	"
33	128	"	गोआ में आम की फसलों के बारे में पौधों की कलमें बांधने की जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उनका भारत के अन्य उपयुक्त भागों में परीक्षण करने की आवश्यकता ।	"
113	129	"	उर्वरकों की बिक्री का काम करने वाली गोआ की सहकारी समितियों के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जाँच करने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
113	130	श्री शिंकरे	छोटे किसानों को नियमित रूप से रासायनिक खाद देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
113	131	"	रासायनिक खाद के वितरण के बारे में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा दुराचार ।	"
113	132	"	सहकारी समितियों के जो कर्मचारी अन्य और रासायनिक खाद की खरीद और बिक्री के कार्य में लगे हैं उन्हें उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	"
113	133	"	अण्डमान द्वीप समूह में दिगलीपुर क्षेत्र में किसानों से समय पर धान की खरीद न करके सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गयी उपेक्षा ।	"
113	134	"	गोआ में मछली से बनी रासयनिक खाद को खरीदने की योजना तैयार करने की आवश्यकता ।	"
114	135	"	गोआ के थोड़ी भूमि वाले कृषकों को व्यक्तिगत जमानत पर कृषि ऋण निगम के माध्यम से रकम देने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
114	136	"	गोआ की सरकारी समितियों को आसान शर्तों पर फिशिंग ट्रालर देने की आवश्यकता ।	"
29	149	श्री सरजू पाण्डेय	कृषि-व्यापार के विस्तार और विकास के संबंध में राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में सरकार की असफलता ।	"
29	150	"	खाद्यान्नों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करने में असफलता ।	"
29	151	"	भारत को अनाज की पैदावार के मामले में आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	"
29	152	"	उर्वरक और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
29	153	श्री सरजू पाण्डेय	उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलें कायम करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	154	"	उत्तर प्रदेश में चावलों की मिलों के लाइसेंस देने में असफलता ।	"
29	155	श्री कृ० मा० कौशिक	स्वतन्त्र रूप से गेहूं के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति जो किसान के हितों के लिए हानि-कारक है तथा इसके फलस्वरूप कृषि-उत्पादन के लिए भी हानि-कारक है ।	"
29	156	"	भूमिहीनों को कृषि कार्यों के लिए भूमि देने में असफलता ।	"
29	157	"	लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	"
29	158	"	सिंचाई के लिये भूमिगत जल तथा भूमि के ऊपर के पानी का उपयोग करने में असफलता ।	"
29	159	"	पानी की नियमित और सामयिक सप्लाई की समुचित व्यवस्था किये बिना ही किसानों को संकर बीज और उर्वरकों के प्रयोग के लिए बाध्य किये जाने के परिणामस्वरूप देश की व्यवस्था समाप्त हो रही है ।	"
29	160	"	इस बात पर विचार किये बिना कि रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि कुछ समय के बाद किसी भी फसल के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, रासायनिक खाद का प्रयोग ।	"
29	161	"	प्राकृतिक खाद, जो भूमि के उप-जाऊपन को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, तैयार करने वाले पशुधन का वृद्धि करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में असफलता ।	"
29	162	"	इस बात की ओर ध्यान देने में	"

1	2	3	4	5
			असफलता कि कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक दवाइयां पशुओं तथा अनाज का उपयोग करने वाले मनुष्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हुई हैं ।	
29	163	श्री कृ० मा० कौशिक	प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की सिफारिशों को पूर्णतया या आंशिक रूप से कार्यान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	164	”	सहकारी समितियों द्वारा क्रय-नीति को कार्यान्वित करने में असफलता ।	”
29	165	”	सभी नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त करके कृषकों के लिये स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था करने में असफलता ।	”
29	166	”	सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों के विरुद्ध यथार्थवादी नीतियों का अनुसरण करने में असफलता के फलस्वरूप कृषि विकास और उत्पादन की समस्या को हल करने में असफलता ।	”
29	167	”	चने सहित दालों के स्वतन्त्रतापूर्वक लाने ले जाने पर नियंत्रण हटाने के फलस्वरूप, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को विशेष लाभ हुआ, प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्य करने में असफलता ।	”
30	168	श्री सरजू पाण्डेय	भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिये योजना तैयार करने में असफलता ।	”
30	169	”	भूमिहीनों को भूमि देने में असफलता ।	”
30	170		उत्तर प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में बोरिंग रिग की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
113	171	श्री सरजू पाण्डेय	उर्वरकों की खरीद और उसकी दोषपूर्ण वितरण प्रणाली ।	100 रुपये
114	172	"	भारतीय खाद्यनिगम द्वारा खाद्यान्नों के मूल्य कम करने की आवश्यकता ।	"
29	173	श्री रामावतार शास्त्री	चीनी के उत्पादन का 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने सम्बन्धी नीति की असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	174	"	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात बन्द करने में और देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	"
29	175	"	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने में असफलता ।	"
29	176	"	खाद्यान्नों के थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	"
29	177	"	भारत में एकाधिकारवादी गल्ला व्यापारियों की चोर बाजारी को रोकने में असफलता ।	"
29	178	"	मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी रोकने में असफलता ।	"
29	196	श्री वेणी शंकर शर्मा	सुपर बाजारों को अच्छी व्यापारिक लाभप्रद प्रणाली पर चलाने की आवश्यकता ताकि वहां घाटा न हो ।	100 रुपये
30	198	"	सूरतगढ़ फार्म को अच्छे लाभप्रद आधार पर चलाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
30	199	"	दक्षिण भागलपुर, सन्थाल, परगना तथा हजारीबाग के चिरोंजीडाना, केण्ड तथा कटाहाल जैसे क्षेत्रों के पठार, तथा पहाड़ी क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ाने वाले तथा फलों वाले वृक्ष उगाने की आवश्यकता ।	"

1	2	3	4	5
30	200	श्री वेणी शंकर शर्मा	मध्य प्रदेश तथा बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में बीड़ी-निर्माण में प्रयोग होने वाले केन्दू के पत्तों के वृक्ष उगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	201	"	बिहार के पहाड़ी तथा पठार क्षेत्रों में सिंचाई के प्रयोजनों के लिये वर्षा का पानी जमा करने के लिये छोटे जलाशय बनाने की आवश्यकता ।	"
30	202	"	देश के पठार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में "डायमण्ड रिंग मूवमेंट" प्रणाली द्वारा गहरे नलकूप खोदने की आवश्यकता ।	"
32	203	"	दक्षिण भागलपुर, सन्थाल परगना तथा हजारीबाग क्षेत्र में पहाड़ी तथा पठार क्षेत्रों में वनरोपण करने की आवश्यकता ।	"
32	204	"	बिहार के बांका तथा देवघर सब-डिवीजनों के अन्तर्गत काटोटिया तथा चन्दन तथा संलग्न पहाड़ी भाग के क्षेत्रों से वनों का काटा जाना शीघ्रता से रोकने की आवश्यकता ।	"
33	205	"	वनस्पति में रंग मिलाने की आवश्यकता ।	"
114	206	"	दिल्ली दुग्ध योजना का कार्य-चालन तथा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता ।	"
29	207	श्री रामावतार शास्त्री	अलाभ कारी जोतों को लगान से मुक्त न करना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
29	208	"	प्रगतिशील भूमि सुधारों द्वारा किसानों को भूमि न देना ।	"
29	209	"	सभी कृषि-योग्य पड़ती भूमि पर खेती न कराना ।	"

1	2	3	4	5
29	210	श्री रामावतार शास्त्री	भूमिहीनों तथा अपर्याप्त भूमि रखने वाले कृषकों में सभी उपलब्ध उपजाऊ पड़ती भूमि न बांटना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	211	"	अनाज का आयात बन्द न करना।	"
29	212	"	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात बन्द न करना।	"
29	213	"	ऋण-पाश से तथा गैर-कानूनी सूद-खोरों के चंगुल से खेतीहर मजदूरों को मुक्ति न दिलाना।	"
29	214	"	चीनी के मूल्यों में वृद्धि न रोकना।	"
29	215	"	बड़े पैमाने पर सहकारी खेती आरम्भ न करना।	"
29	216	"	कृषि-श्रमिकों के लिये पेय जल की व्यवस्था न करना।	"
29	217	"	खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	"
29	218	"	विकास-कार्य द्वारा गांवों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करने में असफलता।	"
29	219	"	गाँवों में गैर-कानूनी सूदखोरी रोकने अथवा समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये
29	220	"	देश को खाद्य के मामले में आत्म निर्भर बनाने में असफलता।	
29	221	"	सभी गाँवों में कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के लिये सहकारी समितियाँ स्थापित करने में असफलता।	"
29	222	"	सारी चीनी नियंत्रित मूल्यों पर बेचने में असफलता।	"
29	223	"	सभी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	"
29	224	"	खाद्यान्नों के थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	"
29	225	"	गाँवों में रहने वाले परिवारों को	"

1	2	3	4	5
			बास की जमीन पर मलकियत के अधिकार दिलाने में असफलता।	
		श्री रामावतार शास्त्री		
29	226		गया जिले में वार्सलीगंज में मोहिनी चीनी मिल को सरकार द्वारा अपने हाथों में लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
29	227	"	बिहार के गया जिले के वार्सलीगंज में मोहनी चीनी मिल को चालू करने में असफलता।	"
29	228	"	गन्ने के न्यूनतम मूल्य को 15 रुपये प्रति क्विन्टल निश्चित करने में असफलता।	"
29	229	"	खाद्यान्नों के क्रय और विक्रय मूल्यों में कम से कम 15 प्रतिशत का अन्तर रखने में असफलता।	"
29	230	"	उत्तरोत्तर भूमि सुधार लागू करके काश्तकारों को भूमि देने में असफलता।	"
29	237	"	सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	238	"	लघु सिंचाई योजनाओं का जाल संपूर्ण देश में बिछाने में असफलता।	"
29	239	"	विभिन्न राज्यों से अकाल की स्थिति का अंत करने में असफलता।	"
29	240	"	अकाल क्षेत्रों में मुफ्त सहायता संगठित करने में विफलता।	"
29	241	"	बिहार में तीन जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में पंचायत परिषद् कानून लागू करने करने में विफलता।	"
29	242	"	सहकारी समितियों को धनी वर्ग के चंगुल से निकाल कर गरीबों के हाथ सिपुर्द करने में विफलता।	"
29	243	"	राशन की दुकानों में मिलने वाले गेहूँ का मूल्य कम करने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
29	244	श्री रामावतार शास्त्री	राशन की दुकानों से जीवनोपयोगी अन्य वस्तुएँ सप्लाई करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	245	"	गन्ने की कीमत चौदह रुपए प्रति क्विन्टल निश्चित करने में असफलता ।	"
29	246	"	चीनी की कीमत को नीचे गिराने में असफलता ।	"
29	247	"	सरकारी परती जमीन का खेत-मजदूरों और गरीब किसानों में निःशुल्क बटवारा करने में असफलता ।	"
29	248	"	ग्रामीण क्षेत्रों से मालगुजारी प्रथा के स्थान पर ग्रेडेड आय कर लगाने में विफलता ।	"
29	249	"	बुनियादी भूमि सुधार क्रियान्वित करने में विफलता ।	"
29	250	"	पंचायतों को कारगर रूप से काम करने के लिए अधिक अधिकार और साधन देने की आवश्यकता ।	"
29	251	"	अलाभकर खेती से मालगुजारी प्रथा उठाने में असफलता ।	"
29	252	"	प्रखण्ड विकास कार्यालयों को समाप्त करने में असफलता ।	"
29	253	"	पंचायतों का चुनाव समय पर कराने में असफलता ।	"
29	254	"	समय पर और सस्ता बीज किसानों को मुहैया करने में असफलता ।	"
29	255	"	खाद की कीमतों को बढ़ने से रोकने में असफलता ।	"
30	256		अधिक अनाज पैदा करने के लिए किसानों को अच्छे किस्म के बीज की सप्लाई करने में विफलता ।	100 रुपये
30	257	"	बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं की होने वाली चोरी को रोकने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
30	258	श्री रामावतार शास्त्री	किसानों को उनकी फसल के लिए उचित कीमत तय करने में असफलता ।	100 रुपये
30	258	"	फल-उत्पादकों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता ।	"
30	260	"	बिहार में आम और केला के उत्पादकों को विशेष सहायता प्रदान करने की आवश्यकता ।	"
30	261	"	रासायनिक खाद की बिक्री में होने वाली चोरबाजारी को रोकने में असफलता ।	"
30	262	"	मछली क्षेत्र के विकास पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता ।	"
30	263	"	कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा की दिशा में असंतोषजनक प्रगति ।	"
30	264	"	पौधा-संरक्षण विधियों का देहातों में प्रचार-प्रसार करने में असफलता ।	"
30	265	"	सहकारी कृषि के लिए किसानों को उत्प्रेरित करने में असफलता ।	"
30	266	"	सरकारी कृषि फार्मों में धन का दुरुपयोग रोकने में असफलता ।	"
30	267	"	सरकारी कृषि फार्मों को उपयोगी बनाने की आवश्यकता ।	"
30	268	"	फसलों और अन्न को चूहों से बचाने में असफलता ।	"
30	269		वाणिज्यिक फसलों के उपयुक्त मूल्य निर्धारित करने में असफलता ।	"
30	270	"	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली, में प्रतिदिन दो घंटे काम करने वाली निकट के गाँवों की महिलाओं को उनके कार्य के बदले में चारा अथवा मजूरी देने में असफलता ।	"
30	271		केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, फूल-	"

1	2	3	4	5
			वारी (पटना) में अधिकारियों की धांधली, मनमानी और भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	
30	272	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, फूलवारी (पटना) से छटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर लगाने में असफलता ।	100 रुपये
31	273		भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में काम कर रहे पुरुष तथा महिला श्रमिकों को स्थायी करने की आवश्यकता ।	"
31	274	"	भारतीय कृषि अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों की प्रतिदिन ढाई रुपये की दर से दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	"
31	275	"	भारतीय कृषि अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, की कठिनाइयों का हल निकालने की आवश्यकता ।	"
31	276	"	भारतीय कृषि अनुसंधानशाला नई दिल्ली की आधुनिकतम अनुसंधान संस्था के रूप में विकसित करने की आवश्यकता ।	"
31	277	"	केन्द्रीय सरकार के उप-श्रमायुक्त के सामने केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था तथा केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था मजदूर यूनियन, फुलवारी, के बीच हुए समझौते का संस्थान के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन ।	
31	278	"	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था मजदूर यूनियन, फुलवारी, को मान्यता देने में असफलता ।	
31	279	"	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, फुलवारी, में काम करने वाले मजदूरों का वेतन प्रति माह सौ रुपये तय करने की आवश्यकता ।	

1	2	3	4	5
31	280	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था, फुलवारी, में काम करने वाले सभी मजदूरों को स्थायी बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
31	281	"	बिहार स्थित पूसा कृषि अनुसंधान शाला को और विकसित करने की आवश्यकता ।	"
29	282	श्री गाडिलिंगन गौड़	कुंए खोदने के लिए सामुदायिक विकास खण्डों को पर्याप्त ड्रिलें देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये
29	283	"	युवक वनिमय योजना के अधीन विदेशों में कृषि विकास को देखने के लिए कृषकों के चयन सम्बन्धी नीति ।	"
29	284	"	सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त औषधियां देने में असफलता ।	"
29	285	"	आंध्र प्रदेश में स्थापित की गयी सहकारी चावल मिलों का न चलना ।	"
29	286	"	आंध्र प्रदेश में टी० बी० वी० के अधीन कृषकों को सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	"
29	287	"	लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद भी सूरतगढ़ की फार्म को बन्द न करना और सिदानूर परियोजना तथा देश में अन्य परियोजनाओं का परित्याग न करना ।	"
29	288	महन्त दिग्विजय नाथ	खाद्य पदार्थों के लिए विदेशों पर और विशेषकर अमेरिका पर निर्भर रहना ।	"
29	289	"	खाद्य के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	"
29	290	"	देश में अधिक अन्न उगाने के	"

1	2	3	4	5
			लिये किसानों को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	
29	291	महन्त दिग्विजय नाथ	सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋणों की सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	292	"	देश में खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने में असफलता ।	"
29	293	"	देश में अन्न को निर्बाध रूप से लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में असफलता ।	"
29	294	"	"कृषि पंडितों" को गावों में जाने और किसानों को खेती के सर्वोत्तम उपायों की शिक्षा देने के लिए कहने में असफलता ।	"
29	295	"	देश के विभिन्न भागों में वार्षिक कृषि प्रदर्शनियां आयोजित करने में असफलता ।	"
29	296	"	किसानों को पर्याप्त संख्या में अच्छी किस्म के ट्रैक्टर प्रदान करने पर अधिकाधिक ध्यान देने में असफलता ।	"
29	297	"	कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी गयी इन चेतावनियों पर कोई ध्यान न देना कि रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि बंजर हो जाती है ।	"
29	298	"	जिन जानवरों से भूमि को प्राकृतिक खाद मिल जाता है उनकी रक्षा के लिए कार्यवाही करने में असफलता ।	"
29	299	"	जो कीटनाशी औषधियां पशुओं और मानवों में बीमारियां पैदा कर देती हैं उनकी जांच करने में असफलता ।	"
29	300	"	देश की जनता को सस्ता अन्न दिलाने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
29	301	महन्त दिग्विजय नाथ	देश में राशन कार्डधारियों को दिये जाने वाले राशन की मात्रा में वृद्धि करने तथा अच्छी किस्म का राशन देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	302	"	देश में अन्न के उत्पादन के बारे में अच्छी नीति बनाने में असफलता ।	"
29	303	"	देश में गन्ने का अनुकूल मूल्य निर्धारित करने में असफलता ।	"
29	304	"	देश में अच्छे और पर्याप्त संख्या में गोदामों की व्यवस्था करने में असफलता ।	"
29	305	"	मानसून के दौरान खुले मालडिब्बों में अनाज को भेजने से अनाज का खराब हो जाना ।	"
29	306	"	स्टोरों में अनाज की चूहों तथा अन्य हानिकारक कीड़ों से रक्षा करने में असफलता ।	"
29	307	"	गावों में और अधिक गोदामों का निर्माण करने में असफलता ।	"
29	308	"	पी० एल० 480 के अंतर्गत सहायता लेना बन्द करने में असफलता ।	"
29	309	"	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों, विशेष कर गोरखपुर जिले में, सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	"
29	310	"	देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
29	311	"	देश में चीनी के मूल्यों में कमी करने में असफलता ।	"
29	312	"	विदेशों को चीनी के निर्यात के क्षेत्र में विदेशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में असफलता ।	"
29	313	"	विदेशों को कम मूल्य पर चीनी का निर्यात करने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
29	314	**महन्त दिग्विजय नाथ**	गुड़ जो कि किसानों की मुख्य खुराक है उसका गावों में निर्माण करने पर प्रतिबन्ध ।	100 रुपये
29	315	"	अन्य देशों को चीनी का निर्यात करते समय चीनी की घरेलू आवश्यकताओं की उपेक्षा करना ।	"
29	316	"	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में, और विशेषकर गोरखपुर जिले में, अधिक गन्ना पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	"
29	317	"	देश में फ्लोटिंग लिफ्ट सिंचाई चालू करने में असफलता ।	"
29	318	"	देश की मण्डियों में अनाज को गोदामों में रखने की व्यवस्था करने में असफलता ।	"
29	319	"	देश में अनाज के मूल्य पर नियंत्रण करने में असफलता ।	"
29	320	"	किसानों को सस्ती रासायनिक खाद और सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने में असफलता ।	"
29	321	"	फसलों की कटाई के बाद किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	"
29	322	"	देश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में और अधिक विशेषकर गोरखपुर जिले में, बोरिंग मशीनों की सप्लाई की व्यवस्था करने का आवश्यकता ।	"
29	323	"	अनाज की चोरबाजारी रोकने में असफलता ।	"
29	324	"	देश में जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में असफलता ।	"
29	325	"	हरयाणा राज्य के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में, और अधिक विशेषकर गुड़गांव जिले में, तत्काल राहत	"

1	2	3	4	5
			कार्यों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	
29	326	महन्त दिग्विजय नाथ	देश के किसानों को सस्ती कीमतों पर बीज देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
29	327	"	देश में भूमि के उप-विभाजन और उसके टुकड़ों में बांटे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर असफलता ।	"
30	328	"	देश में भूमिगत जल के उपयोग के लिए परियोजनाओं की आवश्यकता ।	"
30	329	"	समुद्री पानी को सिंचाई योग्य पानी में बदलने की आवश्यकता ।	"
29	330	श्री रामावतार शास्त्री	भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्टाचार और कुप्रबंध को रोकने एवं ठीक करने में असफलता ।	"
29	331	"	भारतीय खाद्य निगम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने में असफलता ।	
29	332	"	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के संघ को मान्यता देने में असफलता ।	
29	333	"	वनों की सुरक्षा करने में असफलता ।	"
29	334	"	वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को जंगल से लकड़ी, दतवन, पत्ता आदि लेने संबन्धी परम्परागत अधिकारों की रक्षा करने में असफलता ।	
29	335	"	वन सम्पति को देश के इजारेदार पूंजीपतियों के हाथ कम दाम पर बेचना ।	"
33	336	"	देहातों में पशुओं की चिकित्सा की व्यापक एवं उपयुक्त व्यवस्था करने में असफलता ।	"

1	2	3	4	5
33	337	श्री रामावतार शास्त्री	कुक्कुट पालन को व्यापक बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	338	"	राष्ट्रीय चीनी संस्था द्वारा चीनी सेठों को मोटा बनाना ।	"
33	339	"	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	"
33	340	"	मोहिनी चीनी मिल, वारसलीगंज (बिहार) को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने में असफलता ।	"
33	341	"	चीनी मिलों पर किसानों का बकाया मूल्य का भुगतान करवाने में असफलता ।	"
33	342	"	विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता की नीति का अंत करने में विफलता ।	"
33	343	"	पशुपालन विभाग का असंतोष-जनक कार्य ।	
30	344	महन्त दिग्विजय नाथ	देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	"
30	345	"	देश में गो-हत्या को बन्द करने में असफलता ।	"
30	346	"	देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में असफलता ।	"
30	347	"	गो-रक्षा समिति की रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब ।	"
30	348	"	देश में हरियाणा नस्ल की गायों का विकास करने के लिए तात्कालिक कदम उठाने में असफलता ।	"
30	349	"	ट्रैक्टर चलाना सिखाने के सम्बन्ध में निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	"
30	350	"	देश में ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों का निर्माण करने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	"

1	2	3	4	5
30	351	महन्त दिग्विजय नाथ	अधिक अन्न उपजाने के लिए खेती करने के लिए विदेशी तरीकों को लागू करने में असफलता ।	100 रुपये
30	352	"	अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सहायता देने में असफलता ।	"
30	353	"	दिल्ली में दुग्ध सप्लाई की दशा को सुधारने की आवश्यकता ।	"
30	354	"	दिल्ली दुग्ध पूर्ति योजना को सुधारने के लिए बम्बई दुग्ध पूर्ति योजना के तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता ।	"
30	355	"	सूरतगढ़ फार्म के नमूने पर गोरखपुर में कृषि फार्म खोलने की आवश्यकता ।	"
30	356	"	उत्तर प्रदेश में भू-स्खलन को रोकने में असफलता ।	"
30	357	"	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, विशेषरूप से गोरखपुर जिले में, अधिकाधिक कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता ।	"
30	358	"	देश में भू-संरक्षण की आवश्यकता ।	"
33	359	श्री रामावतार शास्त्री	देश में अच्छे नस्लों के सांड़ों की कमी को पूरा करने में असफलता ।	"
33	360	"	अकाल के दिनों में पशुओं के लिए पर्याप्त और सस्ता चारा मुहैय्या करने में असफलता ।	"
33	361	"	देश में शुद्ध दूध, घी आदि की सप्लाई की गारंटी करने में असफलता ।	"
33	362	"	पशु रोगों के निदान में असफलता ।	"
33	388	"	दक्षिण बिहार चीनी मिल्स बिहिटा से लाखों रुपयों की बकाया का गन्ना उत्पादकों को भुगतान कराने में असफलता ।	

1	2	3	4	5
33	389	श्री रामावतार शास्त्री	कृषि क्षेत्र से विदेशियों को निकालने में असफलता।	100 रुपये
33	390	"	कृषि क्षेत्र में अमरीकी लोगों की बहुत प्रकार से घुसपैठ को रोकने में असफलता।	"
33	391	"	देश के विभिन्न राज्यों में कृषि-क्षेत्र में सक्रिय अमरीकी शान्ति सेना को बाहर निकालने में असफलता।	"
113	392	"	देश को उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने में असफलता।	"
113	393	"	देश के प्रत्येक राज्य में उर्वरक कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता।	"

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : खाद्य मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है तथा मेरे दल के नेता श्री रंगा ने ठीक ही कहा था कि इस मंत्रालय के लिए समुचित धन की व्यवस्था नहीं की गई है। समन्वय एवं सहयोग के अभाव में भी यह मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिए बधाई का पात्र है।

मैं पिछले 15 वर्ष से कहता आ रहा हूँ कि इस मंत्रालय द्वारा बनाई परियोजनाओं का कई राज्यों द्वारा अनुपालन नहीं हो रहा। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मामले हैं परन्तु समयाभाव से मैं कुछ ही यहाँ रखता हूँ।

आंध्र प्रदेश में टी० बी० परियोजना के अन्तर्गत 15 वर्ष पूर्व नहरों में पानी छोड़ा गया परन्तु 15 वर्ष पश्चात भी 50000 एकड़ भूमि अभी भी अविकसित पड़ी है।

मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि 1,14,000 एकड़ भूमि का विकास किया जा चुका है। मैं राज्य की सिंचाई सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। जब मैंने पृथक बात-चीत में उनसे पूछा कि उक्त आंकड़े कहां से लिए गये क्योंकि वास्तव में 50000 एकड़ भूमि का ही विकास हुआ है तब उन्होंने बताया कि यह उन्हें राज्य सरकार द्वारा दिये गये। राज्य सरकारों द्वारा दिए गये आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे (म० प०) तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch at Fourteen hours of the Clock.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर चार मिनट (म० प०) समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assmbled after lunch four minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
SHRI VASUDEVAN NAIR IN THE CHAIR]

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : सरकार ने सूरतगढ़ में 13 वर्ष पहले एक फार्म बनाया जिसमें किसानों को वितरित करने के लिए बीजों का उत्पादन होता है। लोक लेखा समिति ने इस फार्म को भंग कर उसकी 36000 एकड़ भूमि को प्रगति शील किसानों को वितरित करने की सिफारिश की है। मैसूर राज्य में सिंहनूर फार्म पर 7500 एकड़ भूमि पर सरकार का इरादा 1 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय करने का है जो प्रति एकड़ 2500 रुपए पड़ता है। लोक लेखा समिति का कहना है कि फार्म सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में है अतएव सरकार को उस पर इतना अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान की परिषद् उपयोगी कार्य कर रही है। उसकी स्थापना के समय निश्चय हुआ था कि अनुसंधान पर 80 प्रतिशत तथा प्रशासन पर 20 प्रतिशत व्यय किया जायेगा परन्तु व्यवहार में हो ठीक इससे विपरीत रहा है। प्रशासन पर व्यय घटाया जाना चाहिये।

केन्द्रीय बीज निगम द्वारा अधिक उपजाऊ बीजों का वितरण होता है। इन बीजों की किसानों में काफी मांग होने के कारण और इनको कुछ विचौलिये लोग इस व्यवसाथ में घुस गये हैं और वे चोर बाजार के मूल्यों में इनको बेचते हैं। इन बीजों का वितरण सहकारी संस्थाओं द्वारा होना चाहिए।

विदेशों में कृषि विकास के अध्ययनार्थ जो किसान भेजे जाते हैं वे सभी कांग्रेस दल के ही होते हैं और उनमें एक भी विरोधी दलों का व्यक्ति नहीं होता। इसके लिए चयन गुणों पर विचार नहीं किया जाता। जो व्यक्ति काँग्रेस की किसी भवन निधि में 3000 से 6000 रुपए दे सकता है उसका ही चयन किया जाता है।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : धन किसे दिया जाता है ?

श्री गाडिलिंगन गौड़ : यह कार्यभारी व्यक्तियों को दिया जाता है। यह धन लेने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं माननीय सदस्य से और अधिक जानकारी लेना चाहूँगा।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम दे सकता हूँ। सरकार कुछ व्यक्तियों को कृषि पण्डित की पदवी तथा अधिक उत्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार देती है। आंकड़े गलत रूप में प्रस्तुत कर ऐसे पुरस्कार जीते जाते हैं। आन्ध्र में श्री मेकहन गंगाना को प्रति एकड़ 35 क्विन्टल धान उगाने पर उक्त पुरस्कार दिया गया जो 43 बोरी बैठता है। मैं स्वयं किसान हूँ और यदि पूर्व कथित उत्पादन सम्भव हो तो मैं अपनी सदस्यता त्यागने को तैयार हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि स्टेट बैंक ने कृषकों को वित्तीय सहायता देनी प्रारम्भ की है। उस परियोजना को व्यापक रूप देने के लिए मुझे 4000 रुपए ऋण भी लेने के लिए बैंक के एजेन्ट ने प्रेरित किया जिसके लिए मुझे भूमि गिरवी रखने को कहा गया जिसका मूल्य 150,000 रु० बैठता है। इसके नियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

सहकारी समितियों का कार्य राजनीतिक दृष्टिकोण से चल रहा है। जिस समिति का अध्यक्ष कांग्रेसी है उसे ही सभी लाभ दिये जाते हैं, अन्य समितियों को नहीं। इन सभी पहलुओं पर विचार होना चाहिए।

अभी कृषक सिर उठाने ही लगे हैं कि उन पर कर भार बढ़ाया जा रहा है। क्या वित्त

मन्त्री ने कृषि मन्त्री से इस बारे में परामर्श किया था तथा क्या कृषि मन्त्री ने उसका समर्थन किया था अथवा विरोध किया था ?

सरकार के पास भाखड़ा नंगल आदि बड़े-बड़े बांधों के लिए धन का अभाव हो सकता है। परन्तु सरकार ड्रिलें उपलब्ध कर भूमितल में विद्यमान पानी का उपयोग बढ़ा सकती है। ऐसी एक ड्रिल का निर्माण तामिल नायडू में राज्य सरकार ने करवाया है।

सामुदायिक विकास तथा सहयोग परियोजना सर्वथा असफल रही है। ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाओं के पदों को समाप्त करना चाहिए क्योंकि वे कोई भी उपयोगी कार्य नहीं कर रहे। समुदायक विकास खण्डों को अतिरिक्त इंजोनियरिंग नीरीक्षक तथा प्रदर्शकर्ता उपलब्ध किए जाने चाहिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी वृन्द पर 42000 रुपया तथा औषधिओं पर केवल 7000 रुपए व्यय हो रहे हैं। औषधिओं के स्थान पर शोधित जल ही उपलब्ध किया जाता है जिस पर 200 रुपये के स्थान पर 2000 रुपए व्यय हो रहे हैं।

डाक्टरों को चिकित्सा के लिए औषधि क्रय करने के अधिकार दिये जाने चाहिए क्योंकि महामारी आदि के समय अनेक लोगों की जानों को खतरा हो जाता है।

आवडि में वनस्पति का कारखाना खोले जाने का मैं स्वागत करता हूँ। उस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने एक सहकारी समिति के होते हुए भी एक नई सहकारी समिति अपने मित्रों एवं अनुयायियों द्वारा स्थापित कराई और उसकी ही सिफारिश की गई। मैंने इस बारे में पत्र लिखा तब मुझे बताया पुरानी समिति ठीक कार्य नहीं कर रही थी।

श्री को० सूर्य नारायण (एल्लूरू) : उन्होंने केन्द्रीय सरकार को नहीं अपितु राज्य सरकार को लिखा था।

श्री गाडिलिंगन गौड : इस बारे में मेरा निवेदन है कि एक के बाद एक रजिस्ट्रार द्वारा पुरानी समिति के कार्य की प्रशंसा की गयी थी तथा उसके लिए लाखों रुपए के ऋणों की सिफारिशें भी की थी।

अप्रेल 1968 को भी रजिस्ट्रार ने 5 लाख रुपए की सिफारिश की परन्तु राज्य सरकार के रूख के कारण रजिस्ट्रार को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वहां एक अध्ययन दल नियुक्त किया जाये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : मैंने अधिकारियों का एक दल भेजने का पहले ही निश्चय कर लिया है।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : इस दल को जांच करनी चाहिए कि नई समिति के संस्थापकों का इसमें स्वार्थ निहित हैं। दल को फैक्टरी के खर्चों में कमी करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

तम्बाकू पर सरकार 194 करोड़ रुपए उत्पादन कर लगाती है। 1967 में 19 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। 10 करोड़ रुपए का माल गोदामों में पड़ा है क्योंकि राज्य व्यापार निगम उसके निर्यात की व्यवस्था नहीं कर सका। कुछ काल पूर्व उक्त निगम ने अपने प्रयत्नों द्वारा मूल्यों को गिरने से बचाया था। परन्तु इस वर्ष वालिया फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए कोई माल क्रय नहीं किया। फलस्वरूप तम्बाकू का कोई निर्यात नहीं हुआ।

राज्य व्यापार निगम एवं वालिया फर्म के षड्यंत्र के कारण तम्बाकू उत्पादकों एवं व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी।

इसलिए राज्य व्यापार निगम से अनुरोध करना चाहिए कि उत्पादकों तथा व्यापारियों से तम्बाकू खरीद कर गोदामों में भरे जिससे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Minister incharge of Food and Agriculture Ministry and the other Ministers in the Ministry deserve congratulations for the green revolution. Research scientists working in various institutions are doing good jobs. These people work quietly with great dedication and with a sense of patriotism on the farms and laboratories. They have helped in achieving self reliance in food and it is hoped that soon we shall enter in the export market of cereals. These people work to fight the hunger in the country and the world over. They should be paid adequate emoluments.

The climate of our country is such that we can grow multi-crops, rather it is very easy to have four crops a year. Our scientists working in this field should be given due credit for their dedicated service. The new crops of soabean and suger beet have been tried in our country and these should be popularised.

Experiments have been made in Pant Nagar and Delhi on Brans Wheat. If we succeed in our endeavour we shall be able to raise the production to 120 million tonnes and even more. Our Food Minister belongs to a village and has a soft corner for the poor.

With the popularisation of new varities of wheat like Sharbati, Sonara and Kalyan etc., the production has risen three fold. All concerned deserve congratulations for this achivement.

The Food Ministry and the Agricultural commission deserve praise for withholding the price line for wheat. The peasants need incentive. The fertilizer is costly today. There should be no tax on the fertilizer. In fact only well-to do farmers are able to purchase the required quality of fertilizers. We should see that peasants use cow dung as a fertiliser and in lieu they should be provided cheap coal. The price of fertiliser should be brought down.

The tax on pumping sets and tube wells should be withdrawn.

The peasants can get 2-3 thousand rupees from Land Mortgage Bank but a considerable part of it is eaten away by middle men. I, therefore, suggest that a Tubewell Corporation may be formed to help the peasants.

I fully appreciate the proposal for the setting up of an Agricultural Commission. I suggest that agriculturist members of this House may be included as members of this Commission. As far as possible the buereocracy should be kept at an arm's length from this Commission.

Agricultural Industrial Corporation advance crores of rupees to factories. I suggest that an Agricultural Finance Corporation may be set up in lieu of the Food Corporation. It should accept the produce of the peasants and issue coupeons that may entitle them to draw requirements whether it be for bullocks or for tractors.

The Food Corporation of India is working in the right direction. But a poor farmer has to go to a number of agencies who do not care for him. The cooperative societies, the loans department, the Government officials all these together unnecessarily harrass the poor peasants.

The Industrial Corporation charge 2-3 per cent interest whereas the peasants have to pay 11 per cent interest. This deserve attention.

The reclamation of land has reached a saturation point but if proper incentives are given they can achieve further success in this direction.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

A ceiling of 20 or 30 acres has been fixed for agriculture land but on the other hand there is no ceiling on the urban properties. There should not be any such discrimination.

There are various types of Taxes on peasants whereas Tatas Birlas and other big business magnates escape the burden of taxes. There should be uniformity in the imposition of taxes.

The prices of suger cane fixed by the Central Government is Rs. 10/-whereas certain states have not implemented it and have reduced it to Rs. 7/50. This has led the peasants to loose their faith in the pledges made by the Central Government.

When the commodities like cotton groundnut of peasants are received in the market imported soyabeen and cotton are released in the market. This cannot be tolerated.

In the fixation of prices of fountain pens, watches and cars the cost of production is worked out and then 50 per cent profit is added. Whereas in the commodities of peasants such cost price is not worked out nor any profit allowed.

I suggest that all the members of the Agricultural price commission should be peasants.

The community Development is a good thing but due to it party feelings have penetrated in the remost vllages and this has disturbed the peace and cooperative spirit. This position should be improved by giving incentive for unanimous elections.

I suggest that all surplus Government land be allotted to landless Harijans.

I shall like that efforts be made that the cows of Haryana may give as much milk as those of Banglore.

The exhibition being held here ought to be seen by every Member of this House.

---

8 अप्रेल 1969 को पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के बारे में

RE : ORDERS OF THE CHAIR ON 8-4-1969

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : During the course of debate on Doctors's strike there was lot of noise in the house. In that atmosphere you passed orders that the speachs of two members belonging to my party viz: Shri Kanwar Lal Gupta and Shri Hukam Chand Kachwai will not be recorded for eight days. It is against the parliamentary traditions. Shri Gupta was referring to two doctors only and probably you understood as if he was speaking for doctors in general.

Probably Shri Kachwai was speaking loudly.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त ने डाक्टरों पर सामान्य आरोप नहीं लगाया परन्तु उनके भाषण में डाक्टरों के धंधे के बारे में कुछ सामान्य आरोप लगाए गये थे। उन्हें भाषणों के अवसर मिलते रहेंगे।

अनुदानों के लिए मांगें-जारी

DEMANDS FOR GRANTS (contd.)

श्री वी० कृष्णा मूर्ति (कुडुलूर) : हमें बताया गया है कि मंत्रियों द्वारा निर्धारित नई कृषि नीति के कारण अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसका आयात घटा है। परन्तु पिछले वर्ष भी 360 करोड़ रुपए का अनाज आयात किया गया।

हमारे देश में कृषि योग्य भूमि तथा किसान तो विद्यमान हैं परन्तु अन्न उत्पादन में आत्म

निर्भरता लाने के प्रयासों में कमी अवश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। हमें इसके लिए अधिक ट्रैक्टरों, पम्पों, मोटर ड्रिलों, तेल के इंजनों एवं मोटरों की आवश्यकता है। इन सबका निर्माण औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन है जिसकी इसमें विशेष रूचि नहीं। दोनों मंत्रालयों के मध्य समन्वय का भी अभाव है। ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों के लिए कई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उनकी बिक्री चोर बाजार में होती है। इससे प्रकट होता है कि अन्नोत्पादन के लिए विशिष्ट प्रयत्न नहीं किए जाते। ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि-उपकरणों का निर्माण कृषि मंत्रालय के अधीन आना चाहिए।

मैं स्वयं एक वर्ष से ट्रैक्टर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आम किसानों को तो कोई पूछने वाला भी नहीं।

तामिल नायडू, जोकि किसी समय अन्न बहुल राज्य था, प्रकृति के प्रकोपों से वहां अन्न की कमी हो गई है। मंत्री महोदय उस प्रदेश के प्रति उदारता बरतते रहें। हमें अन्न उत्पादन के मामले में राजनीति को स्थान नहीं देना चाहिए।

जब श्री जगजीवन राम अपने तामिल नायडू के दौरे में वहाँ की सरकार के मंत्रियों की प्रशंसा करते हैं तब वहाँ की काँग्रेस के अधिकृत पत्र में उस प्रशंसा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता।

खाद पर 10 प्रतिशत तथा पम्पों पर 20 प्रतिशत कर वित्त मंत्री ने लगाए हैं। अभी तो हम अन्न का आयात कर रहे हैं। जब हम अन्न उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जाते हैं तथा निर्यात करने में सक्षम हो जाते हैं तब कर बढ़ाना उपयुक्त हो सकता है।

मेरे इलाके में सैकड़ों ग्रामों में पीने के पानी की कमी है। पानी 150-200 फुट नीचे है तथा वहां सिंचाई के लिए पम्प लगाने के लिए 1500-2000 रुपए अतिरिक्त कर देना पड़ता है। यदि श्री जगजीबन राम जी अतिरिक्त करों के उन्मूलन के लिए संघर्ष करते हैं तो सारा देश उनके साथ है।

हमारे देश में 4 करोड़ टन धान उपजाया जाता है। हमारी चावल मिलें पुरानी किस्म की हैं जिनसे वसूली 55 प्रतिशत हो पाती है। यदि हम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करें तो वसूली 70-72 प्रतिशत हो सकती है अर्थात 15 प्रतिशत चावल अधिक उपलब्ध हो सकते हैं। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

हमने 1964-65 में 30 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो बाद में घटकर 20 लाख टन तथा 17 लाख टन रह गया। पिछले वर्ष प्रयत्न से 22 लाख टन तक पहुँचा और इस वर्ष 27-28 लाख तक बढ़ने की सम्भावना है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : तीस लाख टन

श्री वी० कृष्णा मूर्ति : यदि 30 लाख टन उत्पादन हो जाता है तो यह खपत से कम नहीं है। फिर खुले बाजार में चीनी का भाव चार, सवा चार रुपए प्रति किलो क्यों रखा जाता है। चीनी निदेशालय में कुछ दोष अवश्य है। जिसे मंत्रीगण न जानते हों। सरकार द्वारा चीनी समय पर और उचित मात्रा में मण्डी में न दिये जाने के कारण उपभोक्ताओं को एक सप्ताह में ही 75 पैसे अधिक देने पड़ते हैं।

माननीय मंत्री ने इस सभा में घोषणा की थी कि जब तक वह कृषि मंत्री रहेंगे वह गन्ना

उगाने वालों को 100 रु० का न्यूनतम मूल्य दिलायेंगे। यह मूल्य किसान को देश में कहीं भी नहीं दिया जाना है। मंत्री महोदय को चाहिये कि या तो वह 100 रुपये मूल्य दिलायें या फिर मिलों को बाध्य करने के लिये एक बिधेयक इस सम्बन्ध में लायें। मेरे राज्य मद्रास में तो 85 रु० प्रति टन की दर से गन्ना लिया जाता है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो कोई 50 रु० प्रति टन की दर से भी गन्ना खरीदने को तैयार नहीं है और वह पड़ा पड़ा नष्ट हो रहा है।

केन्द्रीय सरकार उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं कर रही है। तमिलनाडू सरकार ने सहकारी क्षेत्र में तीन लाइसेंस दिये जाने के लिये और कुछ वर्तमान मिलों की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की थी, किन्तु केन्द्रीय सरकार का रवैया पक्षपात पूर्ण है और उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तमिलनाडू सरकार के साथ सचिवालय के अधिकारियों द्वारा सोतेली माँ का सा व्यवहार किया गया है। तमिलनाडू सरकार 1965 से लिखा-पढ़ी कर रही है किन्तु उसे अभी तक लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि अन्य राज्यों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 1967-68 में 10.06 लाख टन की क्षमता के नये कारखाने लगाये गये और विद्यमान कारखानों में 7.82 लाख टन की क्षमता बढ़ाई गई। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में अधिक क्षमता के लिये लाइसेंस क्यों नहीं दिये गये जबकि राज्य सरकार ने इसके लिये न तो विदेशी मुद्रा, न गंधक और न किसी ऋण आदि की मांग की है। माननीय मंत्री इस विषय पर गहराई से विचार करें और वहां के लोगों की यथा संभव सहायता करें। माननीय मंत्री ने तमिलनाडू सरकार को 3 लाख टन चावल तुरन्त देना स्वीकार करके अपनी उदारता का परिचय दिया है।

श्री ला० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैंने खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के चारों प्रतिवेदनों को पढ़ा है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से एक में भी मेरे मित्र श्री गुरुपदस्वामी का नाम नहीं दिया गया है। यह एक भारी भूल है।

It is heartening to note that the food situation has eased in the country after a pretty long time and now the states are not seen scrambling for allotment of foodgrains. At present the per capita availability of foodgrains is different in different states which is not a happy situation. The distribution machinery should be streamlined so as to have uniform per capita availability throughout the country. If any part of the country is facing shortage or drought condition, all other parts should feel the pinch of it and share the burden equally.

Before Shri Jagjiwan Ram took charge of the Food portfolio, the food position of the country was in shambles. People were not certain whether they would be able to stave off starvation. But by and by the situation went on improving not only in the matter of food-grains but also in respect of sugar.

Now I want to draw your attention to another aspect of the present situation. In the open market the price of sugar has shot up very high while on the other hand Government is supplying sugar at subsidised rates to white collar people who constitute more vocal sections of the society. It does not redound to the credit of the Government to yield to the pressure of the vocal and affluent sections of the society and neglect the interests of the vulnerable sections as the latter have to purchase sugar from the market at exorbitant rates. May I request my Communist friends, who have been struggling and fighting to have their separate food zones. to have a look at what is happening in Bihar and in Uttar Pradesh and in other parts of the country. They should broaden their outlook and strive to have uniform per capita availability throughout the country.

Coming to the annual food production, it has been stated in the report that the food production during 1968-69 will be just the same as in the year 1967-68. I should like to caution the Government that there is nothing to be complacent about it. They should note it that the population multiplies in geometric ratio and unless the same tempo is maintained in the matter of food production, the situation is bound to be accentuated.

Now, there is multiplicity of organisations in respect of certain matters. For example, the construction of warehousing is dealt with by four organisations, viz., Warehousing Corporation, the Food Corporation Central Government and the State Government. This is not at all a happy state of affairs. The entire work relating to warehousing should be entrusted to the Warehousing Corporation. The Food Corporation should have nothing to do with it and it should concentrate its energy only on the procurement and distribution of foodgrains.

Now a word about the Seed Corporation. The only function of this organisation is to distribute quality seeds among the farmers which it is not doing satisfactorily. Pretty often even small quantities of seeds are not available. The Hon. Minister should look into its working and see that the benefits from this Corporation do not remain confined to the big farmers only but also percolate to small farmers.

Another point which I want to make is this that the fixing of ceiling on land holdings does not augur well. Already the number of small farmers in our country is preponderant. They are indigent and do not have the means to purchase tractors. pumping sets etc. Old fashioned plough is not fit for deep ploughing. Government should provide some tractors at the Block level and lend them to small farmers on hire basis. Another important for agriculture is water. Government should have tube wells sunk for them. If the Government can do these two things, the rest will be taken care of by the farmer himself.

I want to draw your attention to another aspect of the food situation. There are certain states which have fertile lands but which are not favourable placed with regard to other resources and hence cannot bring them under the plough. A broad chunk of India's population lives in North Bihar which is afflicted with abject poverty, where the per capita income ranges between Rs. 105 and 110. There the land is very fertile but there are no means of irrigation. The Gandak Project has been hanging fire for the last ten years. Hence the immediate and imperative requirement of this area is irrigation facilities. That project is crawling at the snail's pace and therefore I urge the Government to have some tube wells sunk to which it stands committed, in the meantime. The subsidy which hitherto was being provided to the farmers should be restored.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The culture and civilisation and the progress of this country have been inextricably linked with its agriculture, but unfortunately our Government never recognised this fact and gave precedence to industry over agriculture in its three five-year plans. To corroborate my point I would like to quote only one sentence from the booklet 'Economic Review' which is :

> "The unsatisfactory development of agriculture has hampered the harmonious development of the country".

Even according to Government statistics the average yearly increase in the food production has been only 2.4 per cent over the last four years.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
SHRI GADILINGAN GOWD IN THE CHAIR]

Although the wheat production registered an increase, the commercial crops remained absolutely neglected. The production of jute, cotton and oilseed has remained static, it is the same in the 1967-68 as it was in 1964-65. Again, the increase in food-grains has been not due to the efforts of the Government, but due to the fact that more land has been brought under the plough.

I want to sound a note of warning by saying that if timely attention is not paid to cotton, our textile industry will come to a grinding halt. The number of spindles in the textile industry has gone up by 42 per cent while the cotton production has increased only by 22 percent. This lag of 20 percent will inevitably put the textile industry in a perilous postition. This shortage is not attributable to low acreage, but to the low yield per acre. What needs to be done in this regard is to increase the per acre yield and for this there is enough scope.

As regards the production of food-grains, if Government applies its mind to it fully and if inputs of agriculture are increased to the desired extent, there is no reason why we should not produce four times our present production of foodgrains. No reclamation of land is necessary for this purpose. Another factor accounting for our failure on the food front is the lack of coordination among the departments directly related with agriculture. Secondly, there are not enough mutipurpose projects to cope with the need of agriculture. Graduates from Agricultural colleges do not like to take up agriculture as their profession but prefer to teaeh in colleges. The actual tillers of the soil are not the owners of the land they plough. This dampens their enthusiasm and accounts for low yield per acre. Unless the farmer has the sense of belonging, he can not be expected to work whole-heartedly. Unless the various inputs of agriculture, viz., water, manure, seed, modern agricultural implements, training, protection of cow progeny etc. are directly attended to by the Agriculture Ministry, we cannot achieve a breakthrough in agriculture. As regards the water, Government should make a commitment to provide water and employment to every individual. The colossal sums spent on major irrigation projects have proved infructuous expenditure. Had it been diverted to minor irrigation schemes, water would have percolated to every field. There is another scandalous practice going on in the rural areas. Only half of the amount advanced to the farmer for tubewell etc. reaches him. Apart from this the present rules regarding the advance of such loans should be suitably amended so as to enable a farmer having less than 15 acres of land to get a loan of Rs. 1500. Then, Government should also help the farmers locating places where water can be struck at higher levels.

The present system of assessing the requirement of fertiliser on the basis of the information received from the District Magistrate is faulty since that information is divorced from reality. The distribution system is also not working properly. The cultivators should be given training in the use of fertiliser and seeds.

Proper preservation of foodgrains has a great bearing on our food problem. It is ironical that the Government is embarking upon the programmes of bullding buffer stocks when it does not have adequate storage facilities. Government should grant subsidies to the farmers in the villages for building godowns. In rural areas at present enormous quantity of foodgrains is eaten away by the rodents. The movement of foodgrains in open wagons should be banned since lakhs of maunds of foodgrains was wasted through exposure to rains last year.

Another important point which I want to make is this that the food shipments under P. L. 480 are corroding our body politic as also our culture and hence they should be stopped forthwith. The P. L. 480 funds are given to the Christian missionaries operating in Nagaland and at other places. Present system of laying down targets for internal procurement and imports from outside is misconceived. The Government should first assess the quantity of internal procurement and then that of imports.

We have reasons to be sceptical that Government will be able to meet the food situation when the growing population has overtaken the food resources over the years ahead. That is an eventuality from which there is no escape and all Government efforts are stultified it would be driven to find out a substitute. The best substitutes to my mind which can effectively reduce the consumption of foodgrains are milk and ghee. Hence I suggest that

gosadans and goshalas should be opened at all the places. The per capita consumption of milk in our country is much less than what is in Sweden, Australia and Canada ; it is even less than that in Pakistan. Efforts should be made to augment the milk production. I have learnt that you are going to wind up the Gosanwardhan Committee. I call upon the Government to give more powers to this committee and make it a standing committee.

Shri Baswant (Bhiwandi) : I rise to support the demands of this ministry and at the outset I should like to congratulate and extend my gratitude to the scientists and other personnel and the ministers associated with the Ministry for the fine work they have put in.

If we cast a look at the per acre yield of wheat vis-a-vis rice over the last few years we would notice that while the wheat production has shown a marked increase, the rice production has remained static. This is obviously due to the fact that high-yielding varieties of wheat have been given wide poblicity while it has not been done so in the case of rice. Because of the widespread illiteracy among the farmers, they are not able to benefit from the literature brought out in this regard. Hence I would hasten to suggest that visual publicity media should be increasingly used to enlighten the cultivators.

It is ironical that while the small farmer does not have the purchasing power to make use of the fertiliser, Government wants to impose excise duty on fertiliser. Again, it is lamentable that precious little has been done in the first three plans for the landless labour who constitute the bulwork of our agrarian economy.

I do not want to dilate on what the Agricultural Price Commission has done. It was prudent on the part of the Ministry to allow sale of 40 percent of the sugar produced in the open market. Had this matter been given to the Commission, the Commission would have raised the price of sugar by 10 or 15 paisa and this would have hamstrung the production efforts. The per acre yield of sugar cane in Maharashtra is three times that in several other states. It would be appreciated if the Central Government gives sympathetic consideration to the legitimate demands of Maharashtra in regard to the production of sugar.

If the Government mean business with agriculture, it should release sufficient foreign exchange for the import of tractors and power tillers since their performance is much better than that of the indigeneous ones.

"Our country is deficient in milk". This has been spelt out in the book 'Latest Progress in the field of Agricultural Research and Education'. Government's emphasis in this regard is misplaced and this is evident from the fact that Rs. 320 lakhs have been provided for cows whose contribution is 20 percent and Rs. 100 lakhs for buffalos whose contribution to the entire milk production of the country is 80 percent. Therefore unless enough incentives are given for buffalo breeding, we will not be able to augment our milk production. The dairy business is closely related to agriculture, since cowdung etc. can be profitably used in the fields as manure. I therefore, urge upon the Ministry to encourage the dairy business through the cooperatives which should have a rapport with the consumers and all middlemen should be eliminated.

As regards our fish industry, our fishermen have some genuine grievances. The indigeneously manufactured engines used by them are not so good to work with as the Japani engines. Our fish industry has not so far been able to achieve a break-through because our fishing technique is outmoded and our engines are defective.

There is abundance of wood in the Andman forests and even if we continue to draw our wood supplies from there for 50 years the forests there would not be depleted. There are many trees there which are about 1000 years old and which can yield about 1,000 to 1,500 cubic feet of wood per tree. These should be shipped to the mainland and distributed among the landless agriculturists.

Before I conclude I would urge upon the Government to give attention to the Dapehari

Milk Project near Bombay so that it may materialise soon and be able to meet the shortage of milk in Bombay.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Many previous Congress speakers have eulogised the performance of the Food Ministry in most eloquent terms. But I am here to put this Government in the dock for its misrule of 20 years during which it cempelled its people to die of starvation. It need not be added that our ministers have been trotting the globe with a begging bowl. According to the 1965 Survey 5 percent of the agricultural families have no agricultural property. 50 percent of the agricultural families have only 7 percent of the entire rural property/and the most vulnerable lot among them numbering 2 crores are leading a life of privation with a per capita daily income of 27 paisa only. More than 32 crores of the people are not getting nutritius food. A broad chunk of the agrarian populace is deprived of land. 81 percent of the land holdings are fragmented and uneconomic. There are no indications of the country's attaining self-sufficiency in the matter of food in the foreseable future. Government is never tired of shouting meaningless slogans, the constant refrain of which is 'Grow more food' ; Family Planning, etc.

In 1365 a committee was appointed to look into the question of fallow land and tha Committee had mentioned in its report that 4.88 hectares of land in our country is cultivable and it is not being put to any use/and for the distribution of which no arrangements exist. Still Government is not tired of saying that we are progressing. If we go through their report it would appear that they are living in some other paradise. The middle class people are not getting two square meals a day.

Government have no policy regarding price fixation. The price of sugar in the open market is Rs. 400 per quintal while the sugarcane is purchased at Rs. 7.33 per quintal. The Food Corporation is not functioning properly. There is a large army of officers that roam about in the villages and spend crores of rupees in the name of planning. The cultivator is not at all benefiting from these infructuous expenditures. Last year the Government earned Rs. 10 crore worth of foreign exchange through sugar exports. Even then this industry is being neglected by the Government. There is no price policy or the production policy or the land distribution policy. Government wants to bolster self.confidence among the masses by raising empty slogans. This cannot lead us to self-sufficiency.

Land Mortgage Banks have been opened by Governmert for the benefit of agriculturists, but they do not get the full amount of loan sanctioned to them from these banks, because they have to give a substantial portion of loan they get as bribe to get the loan. These banks are thus of no use to the farmers. Neither the water nor the electricity is supplied to the farmers even now.

The eastern districts of Uttar Pradesh are most backward. The cordition of the people in these districts is very bad. I would warn the Government if no timely steps are taken a situation like the one in Telengana will also develop there, however, we might not like it. The Government have not so far implemented the recommendations of the Patel Commistion in respect of these districts.

Even six per cent of the land is not irrigated in these districts. I therefore submit that more attention should be paid for improvement of agriculture in Eastern districts of Uttar Pradesh.

Now I would like to say something about the Department of Cooperation. This Department has not succeeded in providing credit facilities to the weaker section of our society. There is a lot of corruption in this Department. As a matter of fact the Department of Community Development and Cooperation has proved utterly useless. I, therefore, sugget that this Department should be abolished immediately.

Even after 20 years of independence food situation of the country is very bad. The Government will not be able to solve this problem by raising mere slogans only. They should

provide fertilizers to the farmers, land to the landless and more irrigation facilities. This is the only way to solve the food problem of the country.

श्री से० ब० पाटिल (बागलकोट) : सभापति महोदय, यह सराहनीय बात है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास किया है और हमारे किसान उनका उपयोग करके अधिक अनाज का उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है और कुछ ने डेरी उत्पाद बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय में 49 प्रतिशत राजस्व आता है। सरकार को कृषि का विकास तेजी से करना चाहिए।

कृषि के क्षेत्र में अधिक विकास न हो सकने का एक कारण यह है कि हमारी 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता मुख्यतः खेती पर ही निर्भर करती है किन्तु कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। हम प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख टन अनाज का आयात करते हैं और इस प्रकार लगभग 11 अरब रुपये मूल्य के अनाज का आयात होता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के नये तरीके केवल गत वर्ष से अपनाये जा रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने में किसान भी अब रुचि लेने लगे हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी किन्तु दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को छोड़कर भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास नहीं हो सका। चौथी पंचवर्षीय योजना में, विशेषतः गत दो वार्षिक योजनाओं में सरकार ने निश्चय किया है कि कृषि उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाये। किन्तु इसमें अब भी कुछ कठिनाइयाँ है और जब तक ये कठिनाइयाँ दूर नहीं की जाती हैं तब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

हमारा खाद्य उत्पादन वर्ष 1950-51 में 5 करोड़ 49 लाख टन था जो बढ़कर 1964-65 में 8 करोड़ 90 लाख टन हो गया था। इस प्रकार उत्पादन में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। किन्तु दुर्भाग्य से वर्ष 1965-66 में उत्पादन घट कर 7 करोड़ 20 लाख टन रह गया था। उत्पादन कम अनावृष्टि के कारण हुआ था। खाद्यान्न का वर्तमान उत्पादन 9 करोड़ 50 लाख टन है और यह वर्ष 1950-51 की तुलना में 73 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ साथ हमारे प्रति एकड़ उत्पादन वर्ष 1949-50 में 2.45 क्विंटल से बढ़ कर 1 64-65 में 3.37 क्विंटल हो गया था किन्तु हमें वर्ष 1966 में लगभग 1 करोड़ 4 लाख टन और वर्ष 1967 में 94 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा था। वर्ष 1968 में केवल 75 लाख टन अनाज का आयात किया गया था। इस समय लगभग 12 करोड़ हैक्टर भूमि में खेती की जाती है और यदि प्रति हैक्टर 1 टन अनाज के उत्पादन की भी औसत रहे तो हमारी खाद्यान्न सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो सकती है और यदि अधिक पैदावार देने वाले बीज बोये जायें तो प्रति हैक्टर 2 टन उत्पादन भी हो सकता है।

खाद्य उत्पादन और देश की आवश्यकता में केवल 15 प्रतिशत का अन्तर है। खाद्यान्नों को गोदामों में रखने की व्यवस्था न होने से लगभग 15 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है। अतः यह बर्बादी रोकी जाये तो खाद्य समस्या काफी सीमा तक हल हो सकती है।

खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ाने में एक कठिनाई यह है कि हमारे देश में उर्वरक आदि के मूल्य बहुत हैं जिसके कारण हमारे किसान उन्हें नहीं खरीद पाते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि भूमि

सुधार कानूनों को तेजी से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। भारत में प्रति एकड़ बहुत कम मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किया जाता है जबकि उन्नत देशों में काफी मात्रा में भूमि में उर्वरक डाले जाते हैं। बेल्जियम में प्रति एकड़ 268.68 किलो ग्राम उर्वरक डाले जाते हैं और वहां उत्पादन प्रति एकड़ 37.5 क्विंटल होता है। पश्चिम जर्मनी में प्रति एकड़ 204 कि० ग्रा० उर्वरक डाले जाते हैं और 30.3 क्विंटल, गेहूँ प्रति एकड़ पैदा होता है। किन्तु भारत में प्रति एकड़ केवल 4.57 कि० ग्रा० उर्वरकों का प्रयोग होता है और प्रति एकड़ उत्पादन केवल 9 क्विंटल है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय किसान महंगे उर्वरक नहीं खरीद सकते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। मैसूर में बड़ी मात्रा में उर्वरक गोदामों में पड़े हैं। मूल्य अधिक होने के कारण उनका कोई खरीददार ही नहीं है। भारत में केवल 4 प्रतिशत किसान महंगे उर्वरक खरीद सकते हैं और 96 प्रतिशत किसान उन्हें खरीदने में नितान्त असमर्थ हैं। इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

1961-62 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 7 करोड़ 20 लाख परिवारों के 12 प्रतिशत परिवारों के पास कोई भूमि नहीं थी। 72.2 परिवारों के पास 5 एकड़ से कम भूमि थी। 88.1 प्रतिशत लोगों के पास 10 एकड़ से कम भूमि थी और केवल 4.4 प्रतिशत लोगों के पास 20 एकड़ से अधिक भूमि है। अतः कृषि क्षेत्र में यह समस्या हल करने के लिए भूमि सुधार कानूनों को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमि सुधार क्रियान्विति समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति में विलम्ब के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में अनिश्चितताएँ पैदा हो गई है भूमि सुधारों की तेजी से क्रियान्विति न होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में लगाई जाने वाली प्रस्तावित पूंजी का लाभ-निर्धन ग्रामीण जनता को नहीं हो पायेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता और तनाव में और वृद्धि हो जायेगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कार्यकारी दल ने इस सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यदि कृषि कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाये, काश्तकारों के स्वामित्व की रक्षा की जाये और उन्हें कृषि उत्पादन में भागीदार माना जाये तो कृषि उत्पादन काफी बढ़ सकता है। खाद्य तथा कृषि संगठन के कथनानुसार अपर्याप्त विनियोजन तथा वास्तविक प्रोत्साहन के कारण कृषि उत्पादन में अवरोध बना हुआ है। भारत जैसे विकासशील देश में भूमि सुधार से खाद्य समस्या काफी सीमा तक हल हो सकती है। ये प्रतिवेदन सरकार के सामने है। अतः सरकार को विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

अब मैं भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस निगम का मुख्य काम यह है कि वह किसानों के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों की व्यवस्था करे। इस निगम के कुछ पदाधिकारी निर्धन किसानों की सहायता करने के बजाय उन्हें तंग करते हैं। इससे अनेक राज्यों में किसानों के लिए कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। किसानों को अच्छे बीजों के स्थान पर घटिया बीज दिये जाते हैं। सरकार को इस मामले की जाँच करनी चाहिए। किसानों के लिए अधिक पैदावार देने वाले बीज पैदा करने का कार्य विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों को सौंपा जाना चाहिए और किसानों को अच्छे किस्म के बीज दिये जाने चाहिए।

सहकारिता विभाग के प्रतिवेदन में मैसूर में जिला परिषदों की संख्या 19 दी गई है जब कि तथ्य यह है कि जिला परिषदों के बारे में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पिछले आठ

वर्षों से राज विधान मंडल के पास पड़ी है। मैं नहीं समझता कि इसे इनमें कैसे सम्मिलित किया गया है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैसूर में कोई जिला परिषद नहीं है। प्रतिवेदन में उनका उल्लेख करना मंत्रालय की अनभिज्ञता का द्योतक है।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुरुपदस्वामी) : 'जिला परिषद' शब्द का प्रयोग गलत हुआ है। मैसूर में जिला विकास परिषद है न कि जिला परिषद।

श्री से० ब० पाटिल : पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने एक विवरण प्रकाशित किया है जिसमें नये कृषि करों तथा उर्वरकों पर करों के बारे में कहा गया है कि बड़े व्यापारियों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये वर्तमान कर-ढांचे में प्रस्तावित संशोधन किया जा रहा है। विश्व में यही एक ईमानदारी का व्यवसाय था जो व्यापारियों के प्रवेश से भ्रष्ट कर दिया गया है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : गत वर्ष हमने अच्छी फसल और रक्षित भंडारों की चर्चा की थी और वर्ष सरकार ने खेती में 'ग्रीन रेवूल्यूशन' तथा नये तरीके का नारा लगाया है। प्रति वर्ष नये-नये नारे लगाये जाते हैं किन्तु परिणाम बिल्कुल प्रतिकूल रहते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 1965 की तुलना में प्रति व्यक्ति दैनिक खाद्यान्नों की उपलब्धता 3.6 प्रतिशत कम हो गई है। 1965 में दैनिक उपलब्धता 474 थी जो घट कर 1968 में 457 रह गई थी।

हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 22 वर्षों के बाद तथा तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद अब भी भूमि सुधारों और खाद्य समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1964-65 और 1967-68 के खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों की तुलना करने के बाद आर्थिक सर्वेक्षण इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि गेहूँ तथा मक्के के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

खाद्यान्नों के लिये राज सहायता बन्द करने के कारण अगले वर्ष खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जायेंगे। 21 फरवरी को खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम ने कहा था कि अगले वर्ष खाद्यान्नों के विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी पड़ेगी क्योंकि खाद्यान्नों के लिए राज सहायता देने के कारण सरकार ने 10-11 करोड़ रुपये की हानि उठाई है। इससे शहरी क्षेत्रों में जनसाधारण की खाद्यान्न क्रय शक्ति कम हो जायेगी। शहरों में निर्वाह व्यय और बढ़ जायेगा। गाँवों में इस समय 80 प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति दैनिक आय 1 रुपये से कम है, जब कि निर्वाह व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है।

स्वतन्त्रता संग्राम के समय से ही खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता हमारा उद्देश्य रहा है। किन्तु आत्म निर्भरता प्राप्त करने का कार्यक्रम अब सरकार के कागजों तक ही सीमित रह गया है। सरकार ने अश्वासन दिया है कि मार्च, 1971 तक हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे किन्तु अभी तक खाद्यान्न सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की गई है। अब भी हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर करते हैं।

देश के करोड़ों किसानों में उत्पादन बढ़ाने का उत्साह भरने के लिए भूमि एकाधिकार समाप्त किया जाना, भूमिहीन किसानों को भूमि देना तथा उनके ऋण भार का हल्का किया जाना आवश्यक है। अब भी सरकार जमीदार समर्थक नीति पर चल रही है।

वर्ष 1960 से 1968 तक की अवधि में खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि हुई है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न-सहायता लेने से हमारी अर्थव्यवस्था पर अमरीका का प्रभाव बढ़ गया है। इस करार के अन्तर्गत सितम्बर 1967 तक 1719.83 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात किया गया था।

वर्ष 1959 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 16.48 औंस थी, जो 1966 और 1967 में घट कर 14.7 औंस रह गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि जब तक किसानों की सहायता नहीं की जाती और उन्हें भूमि नहीं दी जाती तथा सहकारी आधार पर खेती नहीं की जाती तब तक उत्पादन बढ़ना असम्भव है।

केरल तथा बंगाल जैसे कमी वाले राज्यों को केन्द्र से कम मात्रा में अनाज मिलने के कारण अब भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार खाद्यान्नों की सप्लाई के मामले में केरल के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव करती है। केरल में वितरण के लिये प्रति मास 75 हजार टन चावल की आवश्यकता है किन्तु सरकार ने 1968 में केवल 5.85 लाख टन अनाज दिया था। आवश्यकता को देखते हुए यह मात्रा बहुत कम थी। अब केरल प्रति व्यक्ति 6 औंस चावल का राशन नहीं दे सकता है। केरल में वर्ष 1966-67 में 6 औंस चावल का राशन था जिसे वर्ष 1967-68 में कम करके 3 औंस कर देना पड़ा था। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1966 के आरम्भ में चावल के मूल्य 11 रुपये प्रति क्विंटल और 1968 के जनवरी में 1968 में 16 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिये थे। केरल की गैर-कांग्रेसी सरकार के प्रति केन्द्र का इस प्रकार का दृष्टिकोण है। खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भरता का नारा अर्थहीन हो चुका है।

भूमि के कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण हो जाने से कृषि में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है और एक प्रकार से सामन्तवाद की स्थापना फिर से होने लगी है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 47 प्रतिशत परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है और 2·5 प्रतिशत लोगों के पास 30 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि है तथा एक प्रतिशत लोगों के पास 40 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि है। कांग्रेस के सरकार भूमि सुधारों का यह परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति दैनिक आय एक रुपये से कम है।

सामन्तवाद के सूदखोरी द्वारा शोषण के परिणामस्वरूप किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ गई है। उन पर ऋण की राशि 900 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1961-62 में 2,489.10 करोड़ रुपये हो गई थी। तब से अब तक यह अवश्य और बढ़ गई होगी। रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1961-62 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार किसानों को प्रति वर्ष 299·83 करोड़ रुपये, अर्थात् 4·3 प्रतिशत की दर से, व्याज देना पड़ता है।

खेतीहर मजदूर, निर्धन किसानों, शिल्पी तथा आदिवासी बुरी तरह ऋणग्रस्त हैं, कांग्रेस के शासन में खेतीहर मजदूरों को भूमि देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आदिवासियों और खेतिहर मजदूरों को अब भी दबाया जाता है। किसानों की शोचनीय दशा ही हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि न होने का कारण है। जब तक कृषि के क्षेत्र में जमीदारी और पूँजीवाद समाप्त नहीं किया जाता तब तक खाद्य संकट दूर नहीं हो सकता है। किन्तु केन्द्रीय सरकार यह करना नहीं चाहती है यद्यपि वह समाजवादी समाज की स्थापना का दावा करती है। केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य सरकार को भूमि सुधार कानन बनाने की अब तक अनुमति नहीं दी है, यद्यपि

अनौपचारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया था। इस आशय का विधेयक इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के बजाय इस में कुछ और उपबन्ध सम्मिलित किये जाने का सुझाव दिया है जो कि वास्तविक काश्तकारों के हितों के विरुद्ध है। केन्द्रीय सरकार के ये सुझाव केरल सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह कहीं नहीं कहा है कि इस विधेयक के कुछ उपबन्ध संविधान के विरुद्ध हैं फिर भी वह इस मामले में टालमटोल कर रही है।

कन्नन देवान प्लांटेशन कम्पनी के पास 1,25,000 एकड़ भूमि है, जिसमें से केवल एक लाख एकड़ भूमि में बागान है और शेष 25,000 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। विधेयक में इस भूमि को किसानों में वितरण के लिये कुछ उपबन्ध है किन्तु सरकार इस ब्रिटिश कम्पनी की सहायता करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार का कोई भी सुझाव केरल सरकार को मान्य नहीं है क्योंकि वह काश्तकारों को लगान आदि तथा ऋणों से मुक्त करना चाहती है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि अब भी जमीदार समर्थक नीति अपनाई जाती रही तो यह व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं टिक सकेगी। इसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है।

आज जातिवाद और सामन्त वाद पुराने पड़ चुके हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि अनेक राज्यों में सरकारें बदल चुकी हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार जमीदारी प्रथा को शीघ्र समाप्त करके निर्धन किसानों की सहायता करे।

Shri Bishwanath Roy: (Deoria) Mr. Chairman, one Communist Member from Uttar Pradesh charge the Government for not distributing to the landless farmers the jungle land lying uncultivated. But we should realise that forests are very essential for rains and in India the percentage of forest land is already much less than that in other countries. We cannot, therefore, afford to deplete our forests any more.

We have a record production of foodgrains last year after two years of severe droughts. It is the cummulative results of the programme of self sufficiency in foodgrain initiated in 1951 which has now gained momentun. The credit goes both to the farmers and the Government. If we had not to face two years of severe drought, we might have achieved it earlier. It should also not be forgotten that our population of 50 crores have to be fed now as against 37 crores when we achieved independence.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

Our farmers, particularly the smaller ones, have not been able to get full return of their labour which has brought about increased food production. The reason is that they do not have any organised marketing arrangements and middlemen continue to exploit them. Therefore, together with other facilities, the Government should provide godown facilities to the farmers where they can pledge their grains and also arrange for the marketing of their produce.

It is a fact that small farmers cannot purchase tractors or pumping sets. Government has set up an Agro-Industries Corporation to help the farmers financially. But small farmers cannot fulfil the conditions for loan etc. from this Corporation. So I want to suggest such facilities should be made available to small farmers through blocks and more branches of Agro-Industries Corporation should be opened. Such centres should be opened from where they can get tractors and pumping sets on hire and their agricultural implements repaired ea ily. For repair purposes a mobile workshop should be put in operation on behalf of Government or some cooperative society. Only then the tractors and the pumping sets supplied by Government can be utilized fully.

I am glad to know that this Ministry is going to give preference to irrigation programmes. The Ministry should give more encouragement to States to start and complete more small irrigation projects. I also favour big irrigation projects. The progress on Gandak Project is very slow. It should be completed soon.

As regards the Food Corporation of India I want to say that it should be given wide scope to play its role. If we want to solve the food problem of the country, Government should enter into the trade of foodgrains through Food Corporation or any other rgency.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

It is very fortunate that our scientists are succeeding in making research work which is very much useful for agriculturists. Good seeds are required by everybody in the villages. A number of research results are coming out but their publicity is very much poor. At present radio is being used to make them popular. But I suggest that the agriculture-officers working in various blocks should be first made conversant with the New techniques and they should be accordingly trained so that they may teach the farmer to adopt new methods and techniques.

Once uttar Pradesh used to produce 60 percent of the total sugar production. But now the percentage is reduced to 45. It is not due to any wrong on the part of the farmer but it is due to the old factories. The old machine is not capable of extracting the full sucrose out of the sugarcane. Thus the percentage of sucrose is redueed on account of the sugar factory being old in its machinery. So I suggest that a special fund should be created to renovate the old factories so that more sugar may be produced. I have more than once pleaded for nationalization of sugar industry. Now its necessity has been proved. This time the owners of private sugar factories have refused to honour the agreement reached between them and Government in regard to the rate of Rs. 12/- per quintal of sugarcane. Now licences should be given to only cooperative sugar factories. If necessary, this industry should be nationalized.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। परन्तु यहाँ के किसान सदैव ऋणी रहते हैं। वे मानसून और प्रकृति की कृपा पर आश्रित हैं। यह है सरकार की कृषि नीति। वह प्रति वर्ष विदेशों से अनाज का आयात करती है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्या विकास किया है। सरकार ने एक खाद्य निगम स्थापित किया है उसका चेयरमैन चुनाव में हारा हुआ एक राजनीतिज्ञ बना दिया गया है। वह स्वयं भी लखपति और बड़ा व्यापारी है। यह खाद्य निगम अनाज की खरीदारी में गोलमाल और चोर बाजारी कर रहा है। उसका बड़े व्यापारियों से अनुचित गठबन्धन हो गया है। केरल राज्य और देश के अन्य भागों में ऐसा हो रहा है। मैसूर में छोटे किसानों से उपकर वसूल किया जा रहा है और जो चोर बाजारी करते हैं, वे बच निकलते हैं। भूमि सुधार कहाँ किये गये और उनका परिणाम क्या निकला ? यह सब सरकार की कृषि सम्बन्धी दोष पूर्ण नीति का परिणाम है। सरकार केवल घोषणा करते ही कार्य की इति श्री समझ लेती है। कोई सुनियोजित कार्यक्रम न बनाया जाता और न क्रियान्वित ही किया जाता। दुर्भिक्ष और सूखे का सामना करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें हुईं परन्तु हमारी फसलों को फिर सूखे का सामना करना पड़ा।

कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का विभाग खोला गया था। दुर्भाग्य से उस विभाग के सभी अधिकारी केवल अधिकारी बन गये और अपना कार्य अथवा दायित्व भूल गये। ग्राम सेवक तक जीप में यात्रा करने के आदी हो गये। अब इस विभाग के

अधिकारी चुनाव में सत्तारूढ़ दल का सहयोग करते हैं, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए वे कुछ नहीं करते। अतः मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा को समाप्त किया जाये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : अब देश में राष्ट्रीय विकास सेवा नहीं है बल्कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है।

श्री लकप्पा : मैसूर राज्य में यह सेवा ज्यों की त्यों बनी हुई है। वैसे ही जीपें हैं, वैसे ही अधिकारी हैं और उसी प्रकार जीपें चुनाव के समय प्रयोग में लाई जाती हैं। आज देश पर सहकारी समितियों, सुपर बाजारों तथा भारत सेवक समाज का शासन है।

क्या देश आज अन्न के मामले में आत्म निर्भर है? देश किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। यदि वह आत्मनिर्भर है तो केवल भ्रष्टाचार में, चोरबाजारी में और जाली नोट बनाने में। स्वतंत्रता के इतने दिन बाद भी हम अपने देश के सब लोगों को भर पेट खाना नहीं दे सके, पशुओं को चारा नहीं दे सकते। वर्ष 1969-70 में सरकार कम मात्रा में अनाज का आयात करेगी। आत्म निर्भरता का तो अभी प्रश्न नहीं है।

मैसूर राज्य में छोटी सिंचाई योजनाएँ हैं ही नहीं। मैंने इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया था, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि मैसूर राज्य और सीमावर्ती आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में सूखे से बचने का कोई स्थाई उपाय किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। जहां तक मैसूर में चीनी मिलों को लगाने का सम्बन्ध है सरकार ने कहा था कि सहकारी समितियों को लाइसेंस दिये जायेंगे। अब वहाँ सहकारी समितियाँ बन गई, धन एकत्र कर लिया गया, परन्तु फिर भी सरकार गैर सरकारी कम्पनी को लाइसेंस दे रही है। इसके साथ ही मैं भाषण समाप्त करता हूँ।

Shri C. D. Gautam (Balagat) : Sir, I support the demands for grants of this Ministry. I want to emphasise the fact that top priority should be given to agriculture, particularly to irrigation schemes, so that agricultural production may go up. There are a number of schemes to boost agricultural production. But the publicity about them has been very poor. Only big farmers take advantage of them and their benefit does not accrue to the small farmers. Government should pay attention to it also and steps should be taken to ensure these facilities to small farmers.

One of the way to help the small farmers is to open small godowns for storing food grains in villages. From where they can get the foodgrains at time of need and they pay back in terms of foodgrains at harvest time. In some villages of my state this system is working well. Similarly, there should be arrangement of a tractor at village panchayat or cooperative society level which can be hired by those small farmer who cannot purchase their own tractors.

Fertilizers should be made available to the farmers in the month of May and not in July-August, the months of rainy season. These should be made available to all those who are in need of fertilizers. Government should see that the demand of fertilizers is increasing, and that must be met. Fallow or barren lands lying in Chambal river area of Madhya Pradesh should be made reclaimed so that it may be utilized for agricultural purposes. Irrigation facilities should be extended to all farmers if you want increase in agricultural production. Control should be lifted from agricultural commodities if there is bumper crop. No wealthr tax should be imposed on agricultural property. Government should make efforts to get a small tractor produced which may cost two--three thousand of rupees, so that small farmers may also purchase it.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Deputy Speaker, the issue of agriculture is very complicated one. On agriculture 70 Percent of people in this country live. We are getting 50 percent of national income from Agriculture. So why do you oppose the imposition of wealth tax on agriculture. There are 81 per cent people in our country, who are engaged in agriculture. Out of them 63 per cent people own land measuring less than 5 acres. It means that you are pleading for 18 percent of agriculturists by pleading for non-imposition of wealth tax on agriculture and ignoring 63 per cent of them. I support the imposition of wealth tax on agriculture. it is essential in circumstances when capitalists are turning to agriculture. These capitalists and big farmers should be taxed. But in this connection I would like to say that the tax on agriculture should be imposed by State Governments and by the Central Government. Secondly, the land revenue should be abolished with the imposition of tax on agriculture. This will add to your income as well as it will be a step towards socialism.

This Ministry spend more on agricultural research than on development in agriculture. But I am unable to understand what kind of research they make. According to the figures published in 1964-65 the area of agricultural land was 15 crores 80 lakhs hectares and only 2 crore 51 lakhs hectares was covered by irrigation facilities. This is the result of research. It is totally stupid to speak of fertilizers if water is not there to irrigate the agricultural land. If water is made available to the whole area of agricultural land, there will be no necessity to make any other research.

The root cause of failure of land reforms in our country is the different ceiling of land fixed in different states. On page 204 of 'India 1968,' a Government publication the details in respect of land ceiling of each state have been given. Thus it can be said that disparities are bound to be there where different standards in respect of land-ceilings have been adopted.

One thing more, I asked a question about a big scandal involving crores of rupees in U. P. District Boards, when there was President's rule in that state. In reply it was stated that the accounts of only 33 district boards have been audited till 1967-68. So I request that detailed information atleast about these 33 district boards should be furnished. This much I wanted to say.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahar) : Sir, I support the Demands for Grants of the Ministry of Food and Agriculture. Government have undoubtedly paid attention to agriculture. In fourth five year Plan too agriculture has been given top priority. It is a matter of great satisfaction. Congress is doing verything in this direction, right since it came to power.

Now Congress Government is trying to provide good seeds, fertilizers, improved agricultural implements to agriculturists. Irrigation facilities are also being provided. These days even educated people take interest in agriculture. Tubewells are being sunk, canals are being dug, and dams on various rivers are being constructed. But still there is a great scope for work to be done. So in my opinion more attention should be paid to agriculture so that farmers may grow sufficient foodgrains. There was time, that we used to give food to the whole world because of our resources, but today we cannot feed our countrymen adequately.

Agriculture is closely related with the animal husbandry. In India most of the farmers require bullocks for tilling the land. Moreover, manure is prepared from the cattle dung. But it is a matter to be considered that the cattle population is decreasing. Thesedays there are no pastures for cattle at village, district or State level. Government should take steps to provide graziery at village-level. The manure made of cattle dung is far better than the chemica fertilizers. But now cattle-dung manure is not easily available because the population ol animals is decreasing and farmers use dried dung as fuel. So farmers should be providedf with woods and coal for their domestic use of fuel so that dung may be utilized for manure only.

The prices of foodgrains should be fixed by Government on the basis on which the prices of other commodities are fixed after taking their cost of production into consideration. While fixing the prices the representatives of farmers should also be consulted because in all other

cases the manufacturers are the main party to fix the price. The more or less production of foodgrains in particular year should not cause the fluctuation in the prices. Steps should also be taken to put an end to the land disputes so that they may get rid of litigation. Farmers should be issued pass books with entries relating to individual farmer's accounts therein. Government should pay attention to my suggestions. With these words I support the demands of the Ministry.

Shri Ramesh Chandra Vyas (Bhilwara) : Sir, I would like to support the demands of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. Since Shri Jagjivan Ram had taken over this Ministry, there has been green revolution in agricultural field. Every body can see it while touring in his constituency or any rural area. I went to Indian Agricultural Institute, Pusa. There I saw scientists making new researches in agriculture. They have successfully developed a number of varieties of high-yielding seeds of wheat etc. Such efforts are being made at Pantnagar and other places of India. The success they have achieved in this field is really commendable. In this context I want to point out that Indian seientist are understood to be inferior to the foreign scientist. Such a tendency should be put to an end, if we want to achieve self-sufficiency in agriculture.

To some extent we have succeeded in green revolution. But we have to see that there has been diversion of big businessmen towards agriculture. They have established big agricultural farms in various part of the country. These are the people who can pay wealth tax on agricultural property. Those farmers who possess less than 5 acres or 10 acres will be free from this tax. It means that 81 per cent of farmers will not be subjected to this tax. Then why the imposition of such a tax is being opposed.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल पूरा करें।

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re : CONTEMPT OF THE HOUSE

संसद कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान् मैं आज सभा में दोपहर बाद हुई घटना के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा संकल्प करती है कि (1) श्री रणवीर सिंह और (2) श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा नाम के दो व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज 2.23 बजे म० प० पर सभा-भवन में दर्शक-दीर्घा से पर्चे फेंके थे और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड आफिसर ने शीघ्र ही अभिरक्षा में ले लिया था, घोर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें शुक्रवार, 11 अप्रेल, 1969 के 7 बजे म० प० तक के लिये साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए और तिहाड़ जेल, दिल्ली, में भेजा जाए।"

श्री गाडिलिंगन गौड (कुरनूल) : पर्चे में क्या लिखा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने आपके बेरोजगारी संघ, आगरा का प्रधान और सचिव बताया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वे बेरोजगारी के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही पर्चे के विषय का सार है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं उपरोक्त प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। वे युवक हैं, बेरोजगार हैं। वे बेरोजगारी की समस्या की ओर संसद और सरकार का ध्यान दिलाना चाहते

हैं। वे धारा 144 के कारण वे संसद के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। अतः मेरा यह अनुरोध है कि धारा 144 को उठाया जाये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir I oppose to what Shri Banerjee said. We have full sympathy with them as far as their unemployment is concerned. But to obstruct the proceedings of the House is certainly objectionable. I think there is hand of some political party behind it on whose behalf they were given visitor passes ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Sir, it is not proper to ask as to who recommended their names for visitor passes. By face no Member of Parliament can guess about the intention of the visitor. I have full sympathy with their object. But we should not encourage such a tendency, because the House has its own prestige, privilege and practice. In view of it I support this motion.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Sir, the way they have adopted for demonstration is not good. Yet I request that the punishment given to them should be reconsidered. I also support that section 144 should be lifted so that people desirous of staging a demonstration before Parliament House may do so.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यद्यपि सभा का अवमान करने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता, फिर भी मेरा यह सुझाव है कि कैद की सजा की दृष्टि से आज का पूरा दिन गिना जाये और कल का दूसरा और फिर उन्हें छोड़ दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि सजा की अवधि घटाकर 24 घंटे कर दी जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सभा की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए। सभा के अन्दर किये जाने वाले ऐसे प्रदर्शनों का किसी भी सदस्य को समर्थन नहीं करना चाहिए। सभा की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार को भंग किए बिना अन्य माध्यमों से लोगों को अपनी शिकायतें या कष्टों को अपने प्रतिनिधियों का बताना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि धारा 144 को उठाया जाये ताकि प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच सकें। सजा को घटाकर 24 घन्टे कर दो जाये।

श्री रघुरामैया : मुझे प्रसन्नता है कि इस घटना की सभी ओर से निन्दा की गई है। मैं सजा को घटाकर दो दिन करने को तैयार हूँ। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि पर्चे के विषय के आधार पर अपराध की गम्भीरता को न आंका जाये। भविष्य में सभा इस अपराध के लिए और भी कड़ी सजा दे सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : दर्शक-पास श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के नाम से जारी किये गये थे। जैसा श्री शास्त्री जी ने कहा कि इसे रोकना बहुत ही कठिन है। यद्यपि प्रशासन की ओर से सभी चौकसी की जाती है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार से सभा में किसी समस्या की ओर ध्यान दिलाना उचित नहीं है। जहां तक धारा 144 को हटाने की बात है, उस पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता। सजा को कम करने के लिए मन्त्री महोदय राजी हो गये हैं। परन्तु इस प्रकार की उदारता देते समय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की उदारता से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। अब मैं संशोधित रूप में प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

श्री रघुरामया : संशोधित रूप में प्रस्ताव निम्न प्रकार होगा :

"यह सभा संकल्प करती है कि (1) श्री रणबीर सिंह और (2) श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा नाम के दो व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज 2.23 बजे म० प० पर सभा-भवन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके थे और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड आफिसर ने शीघ्र ही अभिरक्षा में ले लिया था, घोर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें गुरुवार, 10 अप्रेल, 1969 के 7 बजे म० प० तक के लिए साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए और तिहाड़ जेल, दिल्ली, में भेजा जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि (1) श्री रणबीर सिंह और (2) श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा नाम के दो व्यक्तियों ने, जिन्होंने आज 2.23 बजे म० प० पर सभा-भवन में दर्शक-दीर्घा से पर्चे फेंके थे और जिन्हें वाच एण्ड वार्ड आफिसर ने शीघ्र ही अभिरक्षा में ले लिया था, घोर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें गुरुवार, 10 अप्रेल, 1969 के 7 बजे म० प० तक के लिए साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए और तिहाड़ जेल, दिल्ली, में भेजा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

**पाकिस्तान के लिए रूसी हथियार

RUSSIAN ARMS TO PAKISTAN

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar): From the replies given by the Minister regarding Russian arms to Pakistan. I make out that the Russian policy towards India is gradually undergoing change. In the beginning Russia was with us. Then he became neutral and now he has adopted pro-Pakistani policy. The Soviet Defence Minister made a speech in Pakistan that the Soviet Union is interested in Pakistan strengthening its defence against its enemy and in the maintenance of military balance in the region." It was quoted by the Pakistani press and radio. The statement made by the Soviet Deputy Chief of Naval staff and which was publisbed in Pakistan 'Times' of 20th March said "Powerful Pakistan fleet is pre-condition for peace in the Indian Ocean." These two statements show the attitude of U. S. S. R. towards India.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

Now may I know whether there has been change in Russian policy towards India, if so, the details thereof; the reaction of Government of India to the statements made by the Soviet Defence Minister and Deputy Chief of Naval Staff; whether U. S. S. R. will veto the question of Kashmir if again raised in Security Council, in India's favour ; the number of Russian weapons including sub-marines and shipping vessels

---

**आधे घंटे की चर्चा।

Half-an-Hour Discussion.

etc., and the steps taken by Government to be self sufficient in producing military equipment in our own country, so that our independence on U. S. S. R. in this field may be put to an end ? May I also know whether missiles are being manufactured in our country ; the strategy proposed to be adopted by Government to face the joint attack of China and Pakistan; whether our Government have sought assurance from Russia that in case of joint attack they will help India ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें स्वयं रूस द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियार दिये जाने पर गहरी चिन्ता है। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को रूस द्वारा हाथियार दिये जाने के बारे में हमारा रवैया स्पष्ट करते हुए प्रधान मन्त्री ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया था। मैं स्वयं भी इस मामले में बहुत कुछ कह चुका हूँ।

हम पाकिस्तान के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने का लगातार प्रयत्न करते रहे हैं। हमने अनेक अवसरों पर यह कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ शांति पूर्वक तथा एक अच्छे पड़ौसी की तरह रहना चाहते हैं। हमने बार-बार यही कहा है कि हमारी इच्छा पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ौसी के सम्बन्ध बनाये रखने की है। परन्तु हम अपने इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी पाकिस्तान से इस इच्छा का प्रत्युत्तर प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिये हम समझते है कि पकिस्तान की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने का अर्थ चाहे यह वृद्धि अमरीका अथवा चीन अथवा किसी अन्य नेटो देश द्वारा दी गई सहायता के कारण होती है—उस देश के रवैये को और आक्रमक बनाना तथा सामान्य स्थिति को कायम करने को और कठिन बनाना है।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने का हमारे ऊपर भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि हमें भी अपने सैन्य बल में तदनुसार वृद्धि करनी पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें तीन बार पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा है। इसी कारण हमें मालूम है कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने से हमारे ऊपर भारी बोझ पड़ता है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने में हमारी क्षमता किसी प्रकार भी कम न हो, हमें काफी कदम उठाने पड़ते हैं। हम किसी देश पर आक्रमण करना नहीं चाहते हैं परन्तु साथ ही हम अपनी प्रभुसत्ता तथा अखण्डता की रक्षा करने के लिये कृत संकल्प हैं, चाहे इसके लिये हमें कितना ही बलिदान क्यों न करना पड़े। हमने अपनी स्थिति रूस सरकार तथा उसके विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को कई बार स्पष्ट कर दी हैं। गत वर्ष के अन्त में जब मैं रूस गया था तथा रूस के रक्षा मन्त्री जब भारत आये थे, तो इन अवसरों पर मैंने यह स्पष्ट किया था कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने से हमें बड़ा भारी खतरा है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम रूस को इस बात से सहमत नहीं करा सके हैं कि पाकिस्तान को उनके द्वारा हथियार दिये जाने का स्पष्ट अर्थ यही है कि उससे एक बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा। यद्यपि रूस बार-बार यह कहता रहा है कि वे पाकिस्तान को कुछ कम हथियार देंगे तथापि इस सम्बन्ध में उसकी नीति पाकिस्तान को लगातार हथियार दिये जाते रहने की रही है। हमें ज्ञात है कि पाकिस्तान को चाहे कितनी ही कम मात्रा में हथियार दिये जायें उससे हम पर निश्चय ही एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना दृष्टिकोण बार-बार दोहराते रहने का और सभी देशों को जिनमें रूस भी शामिल है, स्पष्ट रूप से बार-बार यह बताने का प्रयत्न जारी रखना है कि पाकिस्तान को चाहे कितनी ही कम मात्रा में हथियार

दिये जायें, उससे एक कठिन और विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी तथा उन्हें इस नीति को छोड़ देना चाहिये। साथ ही हमें अपनी ओर भी पर्याप्त कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम पाकिस्तान द्वारा किसी भी समय अपनाये गये आक्रमक रवैये अथवा कार्यवाही का मुकाबला करने के लिये हर समय तैयार रहें। यही कारण है कि हमने विभिन्न दिशाओं में कार्यवाही की है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये सभी साज सामान बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। हम इसी नीति पर चल रहे हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है कि सशस्त्र सेना के लिये महत्वपूर्ण साज सामान बनाने में लगे हुए आयुध कारखानों, राज्यों उपक्रमों और गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता से उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। हमारा यह प्रयास हमेशा जारी रहेगा। कुछ उपक्रम ऐसे हैं जिनमें हम आधुनिक ढंग का सामान बनाने की क्षमता अभी तक स्थापित नहीं कर सके हैं, परन्तु हमें जिस स्रोत से भी उपलब्ध हुआ है उससे ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये साजसामान लिया है। आधुनिक साजसामान की क्षमता को स्थापित करने में हमें समय लगेगा तथा लगातार खतरे को देखकर हम तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अतः हमें जिस स्रोत से भी साजसामान उपलब्ध हुआ है हमने उसे लिये है। हम जो साजसामान लेते हैं उसके लिये धन का भुगतान करते हैं। अतः धन देकर किसी भी स्रोत से सामान खरीदने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हमने ब्रिटेन तथा फ्रांस सहित यूरोपीय देशों से साजसामान लिया है तथा रूस सहित पूर्वी यूरोपीय देशों से साज सामान लिया है।

हम इस सम्बन्ध में पूरी तरह से सचेत हैं कि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अपने संसाधनों को इस दिशा में लगाने पर कितना अतिरिक्त भार हम पर पड़ेगा। लेकिन देश के समूचे क्षेत्र को तथा इस बात को देखते हुए कि हमें किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिये पाकिस्तान के विरुद्ध ही नहीं अपितु चीन के विरुद्ध भी पूरी तरह से तैयार रहना है, हमें यह भारी बोझ उठाना पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम हर स्थिति का मुकाबला करने के लिये पूर्णतया सक्षम हैं, क्योंकि हमारी सेना प्राक्रमी है, हमारी जनता में एकता और सहयोग की भावना है जो उसने सभी संकटकालीन अवसरों पर दिखाई है, देश में साज सामान तैयार किया जा रहा है तथा विदेशों से भी प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो घटनायें हो रही हैं, उन को देखते हुए प्रतिरक्षा की तैयारी में ढील देने का कोई प्रश्न नहीं है। वे पाकिस्तान की आन्तरिक तथा राजनैतिक घटनायें हैं, परन्तु उनको देखते हुए हम अपनी सैनिक तैयारियों के लिये किये जा रहे प्रयत्नों में ढील नहीं दे सकते हैं और हमें सतर्क तथा तैयार रहना पड़ेगा।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या रूस की नीति में ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद कोई परिवर्तन हुआ है। निस्सन्देह उसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब हम ने ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे उस समय रूस पाकिस्तान को घातक हथियार नहीं दे रहा था पर अब वह उसे घातक हथियार दे रहा है।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि समाचार पत्रों में रूस के रक्षा मन्त्री तथा नौ सेना उपाध्यक्ष के जो वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं, उनके बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया है। उन वक्तव्यों को पाकिस्तान में दिया गया बताया जाता है। हम ने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है तथा कर रहे हैं। हमें अभी तक उन वक्तव्यों की प्रमाणीकृत प्रतियां नहीं मिली हैं।

तीसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि पकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर का प्रश्न उठाये जाने पर रूस का क्या रवैया होगा। मेरा इस प्रश्न से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु चूंकि मैं काश्मीर के मामले से सम्बन्धित रहा हूँ, इस लिये मैं यह कह सकता हूँ कि हमने समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वे हम पर काश्मीर के प्रश्न पर एक सीमा तक ही प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि न केवल रूस अपितु अनेक अन्य देशों ने, जिन्होंने दुर्भाग्यवश कभी भी इस विषय पर हमारे साथ सहमति प्रकट नहीं की, अब अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया है और वे हमारे मामले की मजबूती को समझने लगे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो पूर्णतया भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं, क्योंकि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ऐसे मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय संघ के समक्ष पेश करने के हर प्रयत्न का विरोध करेंगे और इस विषय पर होने वाली किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेंगे। हम इस मामले में स्पष्ट हैं और कोई देश हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। हमारी यह भी इच्छा है कि वीटो के इस्तेमाल के कारण हम किसी देश से प्रभावित न हों। यदि ये देश वीटो का इस्तेमाल करते हैं, तो वे स्थिति के औचित्य और अनौचित्य के अनुसार ही ऐसा करते हैं। हम पर कोई अहसान करके नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी मित्र देश द्वारा भी कोई पक्षपात किया जाय। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है।

एक अन्य प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या रूस द्वारा पाकिस्तान को नौसेना का कुछ साज-सामान दिया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई साजसामान नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य ने जासूसी जहाज़ों तथा पण्डुब्बियों के बारे में भी पूछा था। मेरी जानकारी के अनुसार पण्डुब्बियां तथा जासूसी जहाज़ नहीं दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त यह पूछा गया था कि पाकिस्तान की नई सरकार के साथ कौन-कौन से देश मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। यह उन सम्बन्धित देशों का मामला है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी कोई बुरी भावना नहीं है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे प्रति शत्रुता की भावना छोड़ दे। हमें विश्वास है कि पाकिस्तान की जनता हमारे प्रति तनाव का वातावरण बनाये रखना नहीं चाहती है। वे लोग भी हमारे साथ शांति से रहना चाहते हैं तथा हमें ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिये और अन्य किसी रवैये की बात नहीं करनी चाहिये।

फिर यह पूछा गया था कि क्या हमने पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में सैनिकों के ले जाने के लिये कोई सुविधा दी है। मैंने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की थी, क्योंकि यही प्रश्न इस सभा में अथवा शायद दूसरी सभा में, पहले भी पूछा गया था। शायद यह सही है कि पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक को भेजा है। परन्तु ऐसा समुद्र के रास्ते से किया गया है। परन्तु जहाँ तक पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान में विमान द्वारा अपने सैनिकों को ले जाने का प्रश्न है, न तो उन्होंने इसके लिये हमसे कोई अनुमति मांगी है और न ही हमने कोई अनुमति दी है। यह सूचना गलत है कि हमारी अनुमति के बिना हमारी वायु सीमा में से पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को विमान द्वारा सैनिक भेजे गये हैं।

यह भी कहा गया था कि हमें किसी देश पर अत्याधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारी नीति यह होनी चाहिये कि हम साजसामाज अपने ही कारखानों में तैयार करें। परन्तु हमें रूस तथा अन्य मित्र देशों से मिलने वाली सहायता को भी कम महत्व नहीं देना चाहिये।

हमें हर समय सन्देहात्मक दृष्टि नहीं रखनी चाहिये। यह स्वस्थ रवैया नहीं है। इससे न ही हमें आत्म विश्वास प्राप्त करने में और न ही मित्रता कायम रखने में सहायता मिलेगी। हमारी नीति का उद्देश्य अपने को शक्तिशाली बनाना है तथा सहायता लेने में हमें जरूरत से ज्यादा सन्देहास्पद नहीं होना चाहिये। जैसा कि कल विदेश मंत्री ने बताया था कि दुनिया बदल रही है, पुराने गुट समाप्त हो रहे हैं, तथा नई शक्तियाँ पैदा हो रही है। इस बदलती हुई दुनिया में हमें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही नीतियाँ निर्धारित करनी हैं। अतः आज हमारी नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षक और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने वाली है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I want to know whether the Soviet Union has given any assurance to support us in case a combined attack is made by China and Pakistan.

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी नीति स्पष्ट है। हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, परन्तु किसी भी देश के आक्रमण का मुकाबला करने में तत्पर रहेंगे। अमरीका, रूस अथवा किसी अन्य राष्ट्र के प्रति सहायता के लिए देखना हमारे गौरव के अनुरूप नहीं है। अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए हमें राष्ट्र में आत्म विश्वास की भावना का निर्माण करना होगा।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक स्वतंत्र तथा सुदृढ़ राष्ट्र के प्रतिरक्षा मंत्री की भांति भाषण दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि रूस की नीति में परिवर्तन हुआ है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि हमारी नीति बदली है। माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि रूस की नीति बदली है, अतः वह हमारी बधाई के पात्र हैं, अभी तक तो सरकार यह कहती रही है कि रूस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मंत्रियों ने यह तक कहा है कि पाकिस्तान सहित किसी भी देश को हथियार बेचने में रूस स्वतंत्र है।

मार्शल ग्रेचको का वक्तव्य 11 अथवा 12 मार्च को प्रकाशित हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि राजनैयिक सम्बन्धों के होते हुए भी हम उनके वक्तव्य की पूरी जानकारी क्यों प्राप्त नहीं कर सके हैं, हालांकि एक महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति बहुत बढ़ा ली है। उसने चीन, अमरीका, रूस तथा फ्रांस से हथियार प्राप्त किये हैं। इस समय पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या भारत के बराबर है और पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय सेना से अधिक हथियार हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? स्पष्ट है कि पाकिस्तान केवल भारत को ही अपना शत्रु समझता है तथा उसकी सारी तैयारी भारत के ही विरुद्ध है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान अपनी सैनिक तैयारी का अनुचित लाभ न उठाये और भारत पर आक्रमण न करे, जैसा कि उसने वर्ष 1965 में काश्मीर में किया था, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Though I agree that we should not adopt unfriendly posture to both Russia and China. But there is a limit to our friendship towards U. S. S. R. we had to pay a very high price for our friendship to U. S. S. R. According to the statement given by Shri Ramesh Thapar, Chairman Tourist Corporation of India, Russia had charged 40 to 50 per cent higher prices than the world market for the material supplied by her in Bokaro Steel Plant. Moreover our trade with all countries of the world is done through the State Trading Corporation, but with Russia we have direct trade and that too in rupee payment. No accounts are maintained as to how much money is remitted to Russia and how much is spent in our country.

First of all it was reported that Russia had supplied helicopters to Pakistan. Then it was reported that tanks had been supplied to Pakistan by Russia. After that the reports came the MIG Aeroplanes were being supplied to Pakistan. Now it is being reported that U. S. S. R. is sending her atomic experts to Pakistan to train her scientists in nuclear technology. I want to know whether the Minister is aware about the intention of this atomic callaboration between Pakistan and Russia and whether it is not a fact the ultimate aim of this atomic collaboration between Pakistan and Russia is something else than the peaceful uses of atomic energy ?

Thirdly I want full information regarding the types of arms supplied by Russia to us and to Pakistan. I want to know whether same types of arms have been supplied by Russia to both the countries and whether he wants to continue to maintain tension by instigating both the countries ?

Lastly I want to know whether after the new regime in Pakistan, there is any increased tension on the berders, because it is often seen that every new ruler of Pakistan in order to maintain his regime increases the tension on Indian borders.

श्री समर गुह (कुंटाई) : महोदय रूस के रक्षा मन्त्री मार्शल ग्रिचको का कथित वक्तव्य बहुत चिन्ताजनक है क्योंकि उन्होंने यह कहा बताया जाता है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को सहायता देने का एक विशिष्ट उद्देश्य पाकिस्तान को उसके शत्रु के विरुद्ध शक्तिशाली बनाना है। उन्होंने सैनिक सहायता देने का दूसरा कारण क्षेत्रीय संतुलन को कायम रखना बताया है। भारत को ऐसी बातों का बहुत कटु अनुभव है, क्योंकि जब अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार दिये थे, उस समय उसने भी यही बातें कहीं थी कि वह साम्यवाद का मुकाबला करने के लिये शस्त्र दे रहा है। यह भी कहा जाता है कि अमरीका ने पाकिस्तान से यह वचन भी लिया था कि उस द्वारा दिये गये हथियारों को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। अमरीका ने यह भी कहा गया था कि यदि पाकिस्तान इन हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग करता है, तो वह पाकिस्तान के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा। परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि कच्छ संघर्ष के दौरान और 1965 के संघर्ष के दौरान भारत के विरुद्ध उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस लिये ग्रिचको के कथित वक्तव्य से भारत का चिन्तित होना, स्वाभाविक है। क्या सरकार ने रूस सरकार से यह जानकारी प्राप्त की है कि मार्शल ग्रिचको द्वारा जो वक्तव्य दिया गया बताया जाता है, वास्तव में यह उन्हीं का वक्तव्य था और यदि हाँ तो रूस का 'उसके शत्रु' शब्द से क्या अभिप्राय है ? क्या रूस से यह पूंछा गया है कि वह किसको पाकिस्तान का शत्रु समझते हैं ? क्या सरकार ने रूस सरकार से यह पूछा है कि क्षेत्रीय असंतुलन से उनका अभिप्राय क्या है और वह पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे कर किस प्रकार क्षेत्रीय संतुलन कायम करना चाहते हैं ? क्या रूस सरकार से यह पूछा गया है कि पाकिस्तान को कितने तथा किस-किस किस्म के हथियार दिये गये हैं ?

मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत तथा पाकिस्तान के प्रति रूस की नीति में परिवर्तन हुआ है। अतः इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने उन आधुनिक शस्त्रों को जिन्हें अब तक रूस देता रहा है, किन्हीं अन्य श्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास किया है ?

रूस पाकिस्तान के आणुविक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि रूस के वैज्ञानिकों द्वारा पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को रिएक्टर सम्बन्धी तथा पल्यूटिनियम के रखरखाव सम्बन्धी तथा रिएक्टर से पल्यूटिनियम के पृथककीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और क्या यह भी सच है कि पल्यूटिनियम से वैज्ञानिकों द्वारा 2 महीने के अन्दर-अन्दर अणु बम बनाया जा सकता है ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : My first question is whether it is not a fact that the agreement under which arms are being supplied at present and will be supplied in future by Russia to Pakistan was concluded at the time of Tashkent Conference in which Russia was acting as a mediator ? Does it not mean that U. S. S. R. had a double standard at that time ?

The hon. Minister has stated that he has no information regarding the supply of Submarines. I want to know whether he has any information regarding supply of air to surface missiles which are being supplied to Pakistan and regarding the supply of nuclear arms, which is under negotiation between Russia and Pakistan and whether he is also aware of the fact that a very sensitive radar system is being established in West Pakistan by U. S. S. R.

I also want to know whether the hon Minister has the information regarding the value of arms in terms of money supplied to Pakistan and those supplied to India ?

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय, सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए मैं सब प्रश्न का उत्तर देने में तो असमर्थ हूँ, परन्तु मैं अधिकाधिक प्रश्नों का जहां तक संभव होगा, उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

कई माननीय सदस्यों ने सैनिक संतुलन की बात कही है। मैं समझा हूँ कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सैनिक संतुलन की बात करना स्थिति को गलत समझना है, क्योंकि आज भारत को जिन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उनको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के सैनिक संतुलन की बात बेकार है और हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। हमारा देश पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत बड़ा है और हमारी समस्यायें भिन्न हैं। हमें दो पड़ोसी देशों का मुकाबला करना पड़ रहा है जिनका रवैया हमारे प्रति अमित्रता पूर्ण है। ऐसी स्थिति में सैनिक संतुलन की बात करना संगत नहीं है।

मेरे मित्र मेजर रणजीत सिंह ने पूछा है कि पाकिस्तान के समाचार पत्रों में सोवियत संघ के रक्षा मंत्री के वक्तव्य का जिस रूप में उल्लेख किया गया है उसकी सचाई की छान बीन हम क्यों नहीं कर सके हैं। हमने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है और हमको बताया गया है कि वह उल्लेख यूं ही किया गया है। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि लिखित रूप में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था। फिर भी हम वक्तव्य का सही-सही पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु सोवियत संघ के उत्तर से स्पष्ट है कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि उस वक्तव्य का कोई प्रभाव पड़ा है।

मेजर रणजीत सिंह ने इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत भारत के बराबर कर ली है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी यह जानकारी सही नहीं है और मेरा सुझाव है कि पाकिस्तान के साथ बराबरी की बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा मुकाबला केवल पाकिस्तान से ही नहीं है, अपितु हमारी दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, उसकी आज हमसे कोई तुलना नहीं है, हम हर दृष्टि से निश्चित रूप से मजबूत हैं, परन्तु मुख्य बात यह है कि हमारे अन्य शत्रु भी हैं।

मेरे माननीय मित्रश्री प्रकाश वीर शास्त्री ने रूस के साथ व्यापार की शर्तों तथा बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में पूछा था। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा, क्यों कि यह मामला एक अन्य मंत्रालय से सम्बन्धित है।

इसके बाद रूस और पाकिस्तान के बीच आणविक विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के बारे में

प्रश्न पूछा गया था। यह सच है कि आणविक विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के आदान प्रदान के बारे में पाकिस्तान तथा सोवियत संघ के बीच कुछ सहयोग है। परन्तु यह कल्पना करना गलत होगा कि रूस आणविक हथियारों के उत्पादन सम्बन्धी कोई तकनीकी जानकारी पाकिस्तान को दे देगा, क्योंकि सोवियत संघ ने यह वचन दिया है कि चाहे कोई देश हो, वह इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं देगा। इसके अतिरिक्त रूस आणविक अस्त्रों के फैलाव को रोकने की सन्धि के प्रस्तावक देशों में से एक मुख्य प्रस्ताव देश है।

कई माननीय सदस्यों ने पूछा है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के क्या कारण हैं। उसने कई अवसरों पर यह बताया है कि वह पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहा है। परन्तु मैं इसका कोई स्पष्टीकरण करने में असमर्थ हूँ। हमारी स्थिति स्पष्ट है। हम समझते हैं कि उसने पाकिस्तान के इरादों का गलत अनुमान लगाया है। हमने उन्हें अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने के प्रयत्न किये हैं परन्तु हम उन्हें अपनी बात से सहमत नहीं करा सके हैं। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा।

एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान में जब से नई सत्ता कायम हुई है, उसके बाद सीमाओं पर तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान में नई सत्ता आने के बाद सीमाओं पर तनाव में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

मेरे माननीय मित्र श्री समर गुह ने कई प्रश्न पूछे हैं। मैं उनके अधिकांश प्रश्नों जैसे कि रूस के रक्षा मंत्री का वक्तव्य, क्षेत्रीय असंतुलन तथा रूस और पाकिस्तान के बीच आणविक विज्ञान की जानकारी, इत्यादि का उत्तर दे चुका हूँ। जहाँ तक उनके इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को कितनी मात्रा में हथियार दिये गये हैं, हमने इस सम्बन्ध में रूस से नहीं पूछा है और न ही पूछने का विचार है क्योंकि यदि हम रूस से यह आशा करें कि हमें वह यह बताये कि उसने पाकिस्तान को कितनी मात्रा में हथियार दिये हैं तो पाकिस्तान भी उससे यह आशा करेगा कि वह उसे यह बताये कि उसने हमें कितनी मात्रा में हथियार दिये हैं। जहाँ तक उनका इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या वह समझौता जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे हैं, ताशकन्द में हुआ था। हमें इस बात से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है कि वह समझौता कहाँ हुआ था—ताशकन्द में अथवा किसी अन्य स्थान पर। हमारे लिये तो महत्व की बात यह है कि जब तक समझौता रहेगा तथा उसे क्रियान्वित किया जाता रहेगा, तब तक पाकिस्तान को हथियार मिलते रहेंगे।

मैं समझता हूँ मैंने सब प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं।

सभापति महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 10 अप्रैल, 1969/20 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, April, 10, 1969/Chaitra 20, 1891 (Saka).

Printed at Tirthraj Press, Allahabad--3